खण्ड-288, अंक-2
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1893
(23 मार्च, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३३–३७
प्रश्नोत्तर	३८–५८
व्यवस्था के प्रश्न	५८
लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य, श्री रामचन्द्र विकल का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र	५९
विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी ..	५९–६०
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव)जारी) ..	६०–१०४
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं	१०४–१०५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	१०५–११४
नत्थियां	११५–१२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—(३९८)

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद, पांडेय श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ , श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेग म, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद , श्री (जिला गोंडा)

गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचलसिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन, सिंह कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री

बरमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक , श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती

राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री

शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरु, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वतीदेवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ मार्च, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अतीकुर्रहमान द्वारा आत्महत्या

****१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मंत्री, श्री अतीकुर्रहमान की मृत्यु के विषय में अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

इस दुखद घटना की सभी पहलुओं से विस्तृत जांच के लिये सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में अपराध अनुसंधान तथा अभिसूचना विभाग के अधिकारियों का एक दल १७—२—७१ को ही तैनात कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसी दिन रुहेलखंड मंडल के आयुक्त को निर्देश दिये गये थे कि वे तुरन्त नगीना जाकर वस्तुस्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट दें। अभी तक हुई जांच से यही निष्कर्ष निकलता है कि श्री अतीकुर्रहमान ने आत्म हत्या की है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जब वहां आयुक्त महोदय पहुंचे और उन्होंने यह पहले ही घोषणा कर दी कि अतीकुर्रहमान साहब ने आत्महत्या की है तो जो दल बाद में यहां से भेजा गया, उस को निर्णय लेने में पूरी स्वतंत्रता नहीं रही और एक प्रकार से आयुक्त महोदय की बात ही उसने मानी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसा नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई है क्या उसमें स्पष्ट है कि जो आदमी स्वयं डूबता है तो उसके पेट से पानी निकलता है लेकिन अतीकुर्रहमान साहब के पेट से जो पानी निकला है वह इतना कम है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

रिपोर्ट से ही यह जाहिर है कि आत्महत्या ही की गयी है क्योंकि न कोई कपड़ा फटा है, न जिस्म पर कोई चोट है। माथे पर मामूली सी चोट है जिससे जाहिर होता है कि गिरने के कारण वह चोट आई और डाक्टर का कहना है कि पानी पीने से दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई है।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि आत्महत्या हुई है तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई चिटठी मिली है अथवा उनका कोई खानदानी झगड़ा चल रहा था जिसकी जानकारी सरकार को हुई हो ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जैसा रिपोर्ट से मालूम होता है उनको कुछ समय पूर्व से ही मानसिक कष्ट था। मेडिकल कालेज के एन० एन० गुप्ता का इलाज चल रहा था और जब लखनऊ से ७ फरवरी को नगीना लौटे तो वहां भी फैमिली डाक्टर से इलाज करा रहे थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

वह प्रदेश के एक राजनीतिक व्यक्ति थे तो उनकी मृत्यु से अनेक शंकायें पैदा हो सकती हैं। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विशेष जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जैसा मैंने बतलाया, कमिश्नर साहब को पहले जांच के लिये भेज दिया था। उसके बाद एडीशनल आई० जी० साहब को भेजा। इसके अतिरिक्त अपराध अनुसंधान विभाग, गुप्तचर विभाग भी इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में अतीकुर्रहमान साहब के पेट से पानी निकला है यदि हां, तो कितना ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

गाल ब्लेडर से १३ पौंड ४ औंस पानी निकला। इस प्रकार पेट भरा सा था। इसमें तो सिर्फ यह लिखा है कि पेट भारी सा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लगभग एक और सवा बजे की रात्रि में जहां पर कुयें में उनकी लाश पायी गई उसके पास ही एक छज्जा है, वहां पर सोने वाले व्यक्तियों ने धमाके की आवाज सुनी और तुरन्त १० मिनट के बाद ही टार्च से कुयें में रोशनी डाली तो उन्होंने पानी को हिलते डोलते भी नहीं देखा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, यह सही है कि एक आदमी अब्दुल समी नाम का साढ़े बारह बजे के करीब सिनेमा देख कर लौटा और उसके बाद जब लगभग १ बजे के करीब अपनी शैय्या पर सोने के लिये गया तो उस समय उसने एक धमाके की आवाज सुनी। उसने अपनी खिड़की के बाहर झांका और देखा कि ऐसा क्या हुआ। तब उसने कुछ और सहयोगियों को बुलाया। उसके बाद ३ आदमी आ गये उन्होंने टार्च से कुयें पर देखा किन्तु वहां कुछ दिखाई नहीं दिया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां के वे निवासी थे और जो उनका कार्य-क्षेत्र था, वहीं के लोगों ने कुछ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन पर आघात किया हो ?

श्री वीरन्द्र वर्मा---

मान्यवर, आघात की तो कोई सूचना नहीं है किन्तु आपस में कुछ इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा जरूर थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो उन्होंने उनके सुईसाइड का कारण बतलाया है तो वे किस आधार पर इस नतोजे पर पहुंचे हैं कि उन्होंने सुईसाइड किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैं तो अभी बता चुका हूं कि अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं हुई है जिससे किसी फाउल-प्ले का पता चल सके किन्तु उनके दिमाग में कुछ खराबी थी, डिप्रेसन था जिसका कि वे इलाज भी करवा रहे थे और उसी के आधार पर सुईसाइड करने की भी नौबत आ सकती थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कह दिया कि अभी सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी चल रही है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला सीतापुर के बीज भंडारों में वित्तीय अनियमितायें

*१—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग, सीतापुर के अन्तर्गत बीज भंडारों से बीज व खाद के मामले में काफी गड़बड़ घुटाला व गबन वित्तीय वर्ष, १९६७-६८, १९६८-६९ व १९६९-७० ई० में हुआ है? यदि हां, तो वह कौन-कौन से बीज भंडार हैं तथा कितने-कितने की गबन होने की अब तक जानकारी हो पाई है और जिले के उच्चाधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्णेस्वरूप)—

प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद, सीतापुर में निर्दिष्ट वर्षों में प्रकाश में आई वित्तीय अनियमितताओं तथा इस संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११५-११६ पर।)

*२—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि सीतापुर के कुछ विकास खंड अधिकारियों ने बीज भंडारों में गबन होने से सम्बन्धित घटनाओं की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी थी? यदि हां, तो यह सूचना विकास खंड अधिकारी ने कब-कब भेजी थी तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों ने कितने दिनों बाद क्या कार्यवाही की?

श्री कृष्णस्वरूप—

इस प्रकार की शिकायत खंड विकास अधिकारी, बिसवां से अप्रैल, १९७० में भंडार प्रभारी, महराजनगर के विरुद्ध प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिला कृषि अधिकारी को सौंपी गई है, पर अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। बिक्री केन्द्र इंचार्ज, श्री राजेन्द्र सिंह को जिला कृषि अधिकारी ने निलम्बित कर दिया है।

श्री रामलाल राही--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तालिका में बीज भण्डारों के गबन दिखाये गये हैं उसमें यह भी है कि यह शिकायतें आपके पास कब आईं और कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री कृष्णस्वरूप--

महौली बीज भण्डार की शिकायत जनवरी, १९६८ में, महाराजपुर की दिसम्बर, १९६८ में, बिसवां की मार्च, १९७० में, गोवर्धन की मार्च, १९७० में, महाराजपुर की सितम्बर, १९७०में तथा सिधौली बीज भंडार की शिकायत अक्तूबर, १९७० में प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारी कर रहे हैं।

श्री रामलाल राही--

जो जिला कृषि अधिकारी जांच कर रहे थे उस समय के, क्या उनके विरुद्ध लखनऊ मंडल के कृषि निदेशक विभाग ने आडिट कराया और डेढ़ लाख का गबन पाया गया ? यदि हां, तो एसे भ्रष्ट अधिकारी को जांच क्यों दी गयी ?

श्री कृष्णस्वरूप--

प्रश्नकर्ता ने जिस प्रभारी अधिकारी के बारे में कहा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। जिन बीज भंडारों में गबन की सूचनाय मिलीं उनक विभिन्न अधिकारी जांच कर रह ह और एक केस पुलिस को भी दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)--

जिन कर्मचारियों के विरुद्ध ये आरोप लगाये गये और संबंधित अधिकारियों से सूचना मिली, उसके कितने दिनों बाद इन कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्णस्वरूप--

५ बीज भंडार हैं और इन से संबंधित अधिकारियों के संबंध में जो कार्यवाही की गयी वह तुरन्त कर दी गयी। इसमें सिधौली की सूचना हमको १७-११-७० को मिली और इससे पूर्व ही इसमें कार्यवाही इनीशियेट कर दी गयी थी, ये सस्पड कर दिय गय ११-१-७० को। दूसरे, महाराजनगर बीज भंडार में २४-४-७० को सूचना मिली और जून में सस्पड कर दिया गया।

श्री रामलाल राही--

जो महोली बीज भंडार में गबन पाया गया और जे० पी० चतुर्वेदी जो अधिकारी थे उनको दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, इतनी देरी क्यों की गयी ?

श्री कृष्णस्वरूप--

उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। आरोप पत्र बना। आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है और अन्तिम आदेश शीघ्र हो जायेंगे।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

इसमें लिखा है कि विकास खड अधिकारियों ने बीज भंडारों में गबन होने की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी थी, तो चूंकि उन्होंन शिकायत की थी इस वजह से एसा तो नहीं है कि रंजिश की वजह से विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कोई शिकायत की गयी है, ऐसी कोई जानकारी है ?

श्री कृष्णस्वरूप---

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अवधेश कुमार---

क्या ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री कृष्णस्वरूप---

आप लिख कर दे दें तो क रेंगे ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

एक तरफ कहा है कि गबन की शिकायत मिली तो जांच शुरू कर दी गयी और उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आ पायी और दूसरी तरफ कहा है कि पुलिस को भी मामला दे दिया गया तो जब जांच की रिपोर्ट नहीं आ पायी है तो किस आधार पर उनक विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्णस्वरूप---

अध्यक्ष महोदय, यह विभिन्न बीज भंडारों का मामला है । सिधौली बीज भंडार का जो उत्तरदायी कर्मचारी था, उसको निलम्बित कर दिया गया है । वह फरार हो गया है । उसके खिलाफ पुलिस थाने में एफ० आई० आर० लिखा दी गयी है और केस पुलिस में भेज दिया गया है ।

श्री रामलाल राही---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जिन ६ बीज भंडारों में गबन बताया गया है और कम से कम ६--७ लाख का गबन है, उन बीज भंडारों में जो सीड स्टोर इन्चार्ज थ व ४--५ साल से लगातार एक ही स्थान पर थे ?

श्री कृष्ण स्वरूप---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, १८ मिनट हो गये हैं लेकिन अभी तक २ सवाल ही हो पाये हैं और बहुत से लोगों के सवाल भी बाद में हैं, इस पर आप ध्यान दीजिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात को देखते हुए कि राजकीय बीज भंडारों में इस प्रकार के गबन क मामले व्यापक रूप से हो रहे हैं कोई स्पेशल पुलिस फोर्स विभाग में नियुक्त करने की कृपा करेंगे, जो इस तरह के गबन के मामलों को जल्दी से टेक-अप करके लोगों को सजा दिला सके ?

श्री कृष्णस्वरूप---

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री रामलाल राही---

क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि इस गबन में उच्चाधिकारी शामिल हों, इसलिये इस मामल को दबाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप मुझे लिख कर दे दीजिये ।

नगरपालिका सोरों, जिला एटा द्वारा विवादग्रस्त भूमि का क्रय

*३—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि नगरपालिका सोरों (एटा) के सदस्य, श्री किफायत अली और उनके भाई वजीर अली ने नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत मजरा ग्राम होडलपुर में स्थित, श्री सामल मिश्र, निवासी सोरों की भूमि नं० ७८०/७३ को अपनी भूमि बनाकर उक्त नगरपालिका को ३ हजार ६०० रुपये में बेंच दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि के इस विक्रय के विरुद्ध दिनांक १५ सितम्बर, १९७० ई० को वर्तमान अध्यक्ष, नगरप लिका, सोरों (एटा) ने कोई ज्ञापन जिलाधिकारी एवं सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कायवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

नगरपालिका, सोरों के सदस्य, श्री किफायत अली तथा उनके भाई श्री वजीर अली ने दिनांक २३ जून, १९६८ को विवाद ग्रस्त भूमि नगरपालिका, सोरों को ३,६०० रुपये में बेची ।

उक्त विक्रय के विरुद्ध अध्यक्ष, नगरपालिका, सोरों ने दिनांक १५ सितम्बर, १९७० को, एक शिकायती-पत्र कवल जिला मजिस्ट्रेट, एटा को भेजा था, जिसकी जांच की गई । शासन इस मामले की छानबीन पुनः कर रहा है ।

श्री नतराम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो जमीन नगरपालिका को बेची गयी वह गलत बेची गयी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अभी जो जांच रिपोर्ट आयी है उससे कुछ स्पष्ट नहीं है । विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये ह । यह तो केवल अन्तरिम रिप्लाई है । जब पूरी जांच होकर आ जायगी तब उत्तर दे दिया जायगा ।

श्री नेतराम सिंह—

क्या नगरप लिका, सोरों ने जब जमीन खरीदी थी उस समय कोई प्रस्ताव पास किया गया था ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है उसके आधार पर तो ऐसा है कि कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ । यह अवैधानिक ढंग से हुआ है । लेकिन विस्तृत जांच बाकी है, इसलिये इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विस्तृत जांच के आदेश कब दिये और क्या उसमें कोई अवधि निर्धारित की गयी है कि उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आशा की जाती है कि दो हफ्ते में आ जायगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच से यदि यह बात ठीक साबित हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने कह दिया है कि उनको सूचना ऐसी मिली है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यदि जांच प्राप्त होने पर आरोप साबित हो गये तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जमीन खरीदने का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ जो नियमतः होना चाहिये था जिसकी रिपोर्ट उनके पास है कि वैधानिक रूप से प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो जमीन खरीदने वाले अधिकारियों तथा संबंधित नगरपालिका के सदस्यों तथा चेयरमैन को निलम्बित करने के प्रश्न पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

माननीय जिस अध्यक्ष के दौरान यह काम हुआ था वह हटा दिये गये हैं और जांच आने पर कानून के अन्दर उनको दण्ड दिया जायगा ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

मैंने अपने प्रश्न में "अधिकारियों" शब्द का भी प्रयोग किया था कि वे अधिकारी जिन्होंने प्रस्ताव पारित किये बिना इसमें योगदान किया, क्या उन अधिकारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इसका मैं उत्तर दे चुका हूं । अगर सूचना आ जायगी और आरोप साबित हो गये तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी ।

सम्भल, जिला मुरादाबाद के मर्दाने अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन

*४---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या स्वास्थय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भल, जिला मुरादाबाद के सरकारी मर्दाने अस्पताल के कर्मचारियों व डाक्टर का वेतन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मर्दाना अस्पताल को क्या प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में ले चुकी है ? यदि नहीं, तो इस अस्पताल की व्यवस्था इस समय किस के हाथ में है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)---

अक्तूबर, १९७० में गलतफहमी के कारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था, किन्तु भूल का पता चलने पर उसका भुगतान कर दिया गया ।

स्वास्थ्य अधिकारी इस गलतफहमी में रहे कि यह अस्पताल (पी० एच० सी०) जिला परिषद् का है । यह अस्पताल सरकार का ही है ।

इसकी व्यवस्था सरकार के हाथ में है ।

श्री कल्यानसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गलतफहमी के कारण कर्मचारियों का कितने महीने का वेतन रोका गया और कब उसका पता लगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, अक्तूबर, १९७० में वेतन रोका गया और दिसम्बर, १९७० में भुगतान कर दिया गया ।

श्री कल्यान सिंह---

क्या मंत्री जी बतायगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी की गलतफहमी के कारण कर्मचारियों का वेतन रोका गया जिससे उनको परेशानी हुई तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

स्वास्थ्य जिलाधिकारी समझते थे कि यह जिला परिषद् का अस्पताल है लेकिन असल में वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था इसलिये उनका वेतन रोका गया । अब भूल सुधार दी गई है इसलिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गलतफहमी थी या लापरवाही थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह लिखित आदेश करके रोका गया तो गलतफहमी के कारण ही ऐसा हुआ, लापरवाही नहीं है । वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था । यहां जिला परिषद् का जो पहले से अस्पताल था वह १९६८ में वहां से हट गया । वे समझे कि जिला परिषद् का अस्पताल है इसलिये ऐसा हो गया ।

(दिनांक २३ मार्च, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।)

द्वार हाट विकास क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में पेयजल योजनायें

*१---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के द्वार हाट विकास क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का प्राविधान सरकार के योजनातर्गत है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पेय जल योजना की बात है वह ५/७ साल से चल रही है तो इसकी सूचना एकत्रित करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, बहुत शीघ्र ही सूचना आ जायेगी ।

नगरपालिका एटा, द्वारा तुलाई मशीन का कमरा तथा जी० टी० रोड चौड़ा करने के कार्य हेतु मांगे गये टेंडर

*२---श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, एटा के प्रभारी अधिकारी ने तुलाई मशीन का कमरा तथा जी० टी० रोड को ट्रेफिक सिगनल वाले स्थान को चौड़ा करने संबंधी कार्य हेतु, निर्माण कराने क उपरान्त टेन्डर मांगे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जी नहीं ।

श्री सियाराम---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न के पूछने से पहले जो टेन्डर आये थे उनको समाप्त कर दिया गया था ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

टेन्डर पर ही काम शुरू हुआ था और जब उसमें जमीन बढ़ी तो उसका दूसरा टेन्डर मांगा गया और तब दूसरे टेन्डर से काम पूरा हुआ ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा उस समय अधिकारियों ने यह देखा कि अनियमितता हो रही है इसलिये टेन्डर कैन्सिल कर दिये गये । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

ऐसा नहीं है ।

श्री सियाराम---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि तुलाई मशीन और ट्रैफिक सिगनल पर कितना व्यय हुआ ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

तुलाई मशीन पर ८७५ रुपये के व्यय का अनुमान किया था और ८६० रुपये का व्यय स्वीकार हुआ । और ट्रैफिक सिगनल पर २,७७५ रुपये के व्यय का अनुमान था और उसमें काम पूरा हुआ ।

जिला मिर्जापुर में संगमरमर उद्योग की स्थापना

*३---श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के विधायकों ने ६ जुलाई, १९७० को उद्योग मन्त्री व अधिकारियों से राष्ट्रीय महत्व की सूचना और संगमरमर उद्योग की लघु क्षेत्र में स्थापना के विषय पर विचार किया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अभी तक क्या ठोस कदम उठाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)---

जी हां । यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम निहोर राय---

क्या माननीय मंत्रीजी यह विश्वास दिलायेंगे कि २-३ माह के अन्दर इसकी रिपोर्ट देंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मिर्जापुर के विधायकों ने अपने कुछ सुझाव रखे हैं । उन पर विचार करने के लिये मैंने १७ मार्च को अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी । अब वह मीटिंग २ अप्रल को होगी तब उन सुझावों पर विचार होगा ।

श्री राम निहोर राय---

क्या माननीय मंत्री जी मिर्जापुर की खनिज सम्पदा का वितरण करने के लिये एक विशेष समिति गठन करने का आश्वासन देंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जिस तरह का विचार मिर्जापुर जिले के बारे में माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उसी तरह से इलाहाबाद जिले में गंगा पार का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । तो क्या वहां भी कोई कारखाना खोलने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय सदस्य इसे लिख कर दे दें तो उस पर भी विचार होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी ने इस योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी तो उन सुझावों पर विचार होगा जिसके लिये हमने एक कमेटी अफसरों और विशेषज्ञों की बुलाई है । यदि वह मानने योग्य होंगे तो अवश्य मान जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

जिलों का जो औद्योगिक दृष्टि से सर्वेक्षण हुआ था क्या उस रिपोर्ट में मिर्जापुर के संगमरमर उद्योग की कोई उपयोगिता बतलाई गई है या नहीं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामगोपाल संड---

इस बात को देखते हुये कि मिर्जापुर बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पर बहुत बेकारी है इस विषय पर एक महीने के अन्दर मन्त्री जी कोई निर्णय लेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने बताया कि २ अप्रैल को इसकी बैठक है । हम लोग गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उन पर विचार किया जाय और उन पर विचार होगा ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले दिनों जो विधायकों की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था कि मिर्जापुर में जो खनिज की खोज हुई है उसका साहित्य वितरित किया जायगा, लेकिन अभी तक वह नहीं किया गया है तो क्या उसको शीघ्र उपलब्ध कराया जायगा ताकि सदस्यों को मालूम हो जाय कि मिर्जापुर में कौन-कौन सी चीजें उपलब्ध हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मेरे विभाग में यदि ऐसा कोई साहित्य होगा तो उसको जरूर दिया जायगा ।

हाथरस में स्थित बिजली काटन मिल्स तथा एन० के० टेक्सटाइल्स को पुनः चालू करने की मांग

*४—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि बिजली काटन मिल्स लि० तथा एन०के० टेक्सटाइल्स, हाथरस के बन्द हो जाने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उपर्युक्त मिलों को फिर से चलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सरकार को यह ज्ञात है कि बिजली काटन मिल्स लि०, हाथरस दिनांक १३-५-७० से तथा एन० के० टेक्सटाइल्स, हाथरस अप्रैल १९६५ से बन्द हैं। बिजली काटन मिल्स द्वारा मिल्स को पुनः चालू करने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। जहां तक एन० के० टेक्सटाइल्स मिल्स का सम्बन्ध है, उसके दोबारा चालू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस मिल का रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट १९६८ में इस कारण रद्द कर दिया था कि यह मिल एक लम्बे अर्से से बन्द थी और इसकी मशीनरी बहुत पुरानी एवं अप्रचलित थी और मिल का पुनर्वासन अथवा नवीकरण आर्थिक लागत पर सम्भव नहीं था।

*५—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को स्थानीय विधायक की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो उक्त मिलों को चलाने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां, इस सम्बन्ध में स्थानीय विधायक द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र प्राप्त हुआ है। मिलों के चलाने के सम्बन्ध में प्रश्न ४ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह प्रस्ताव क्या है मिल को चालू करने का जो सरकार के विचाराधीन है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने दो मिलों के बारे में पूछा था। उनमें एन० के० काटन मिल के बारे में मैंने यह कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया है तो वह बन्द पड़ी है। उसके ऊपर कर्जा है। यह उचित नहीं है कि उसको लेकर चलाया जाय क्योंकि उसके पास रुपया देने के लिये नहीं है। लेकिन जो बिजली काटन मिल है उसके बारे में सरकार विचार कर रही है। इस मिल को तीन मर्तबा छूट दी गई कि किसी तरह से अदायगी हो जाय। उसको काफी समय दिया गया लेकिन उस अवसर से इस मिल ने लाभ नहीं उठाया फिर भी यह देखते हुये जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से मजदूर बेकार पड़े हैं सरकार यह चाहती है कि जो देय उस मिल के जिम्मे बकाया है, उसकी वह गारन्टी दे दे या उसको किस्तों में अदा करने का आश्वासन दे तो सरकार उचित सहायता दे सकती है और उसको चालू करने की आज्ञा भी मिलेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब वह मिल कर्जे की गारन्टी नहीं दे रही है और काम को पूरा करने का आश्वासन नहीं दे रही हैं तो क्यों नहीं उस मिल को जप्त करके सरकार चलाती है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आज जैसी स्थिति मिल की है उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या हम उस मिल को चलाने की सामर्थ्य रखते हैं, क्या उसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति है कि उसको हम हाथ में लेकर चला सकते हैं , इन सब बातों पर विचार करके ही सरकार कोई उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले सकती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो कर्मचारी वहां पर बेकार हुये हैं, कम से कम एक मिल में जो बेकार हुये हैं, उन कर्मचारियों को अन्य उद्यागों में प्राथमिकता दी जायगी ? और जिन कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है उनकी गारन्टी सरकार की तरफ से दी जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार इस मिल को यू० पी० टेक्सटाइल बोर्ड के द्वारा संचालित करने की बात सोच रही है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने अभी कहा कि उसको चलाने के २ तरीके हैं बाकी अभी तो हम यह सोच रहे हैं कि मिल मालिक यदि उसको स्वयं चलाना चाहें तो उनको उचित सहूलियतें दी जा सकती हैं बशर्ते कि वह पेमेन्ट की गारन्टी हमें दे दें, क्योंकि कई बार वादा करने के बाद भी पेमेंट नहीं किया जाता है । अगर वह नहीं चलायेंगे तो हम दूसरी कार्यवाही करेंगे और इसको एग्जामिन करायेंगे कि क्या सरकार उसको लेने की स्थिति में है । सरकार को मजदूरों का पूरा ख्याल है अगर वह चला सकते होंगे तो सहूलियतें देकर उस पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और सरकार कब तक इस मिल के चालू होने की आशा करती है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

करीब एक मास के अन्दर ही इस बात का निर्णय लिया गया कि बिजली काटन मिल के जो मालिक हैं या चलाने वाले हैं वह यदि पेमेंट का आश्वासन दे दें तो उनके चलाने पर विचार कर सकते हैं और सरकार सुविधा उनको दे सकती है । यदि उन्होंने पक्ष में उत्तर दिया और पेमेंट के लिये माना तो निश्चित ही उनको सहायता चलाने के लिये की जायगी ।

श्री कल्यान सिंह---

यदि १ मास के अन्दर सरकार की शर्त को मिल चलाने वालों ने नहीं मानी तो क्या एक मास के बाद सरकार उस मिल को स्वयं लेकर चलायेगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने कहा कि करीब एक मास हुआ जब हम ने इस बात का निर्णय लिया है कि वह यदि पेमेन्ट की गारन्टी दे दें तब उनको आगे चलाने के लिये सुविधा प्राप्त कराई जा सकती है। यह मैंने नहीं कहा कि एक मास के अन्दर चलाने का आदेश दिया गया है।

श्री कल्यानसिह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि उन्होंने पेमेंट की गारन्टी नहीं दी तो वह कितने दिन का समय और देना चाहते हैं कि जिसके बाद सरकार उसको अपने हाथ में लेकर चलाये ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसमें समय का प्रश्न नहीं है, अगर वह नहीं चलायेंगे तो हम इस केस को एग्जामिन करायेंगे, कुछ नियम हैं और टेक्सटाइल्स कारपोरेशन को देना उचित होगा या नहीं, उनके अनुसार देखेंगे, सब परिस्थिति को देख कर हम निर्णय लेंगे। लेकिन हम इस बात से सतर्क हैं कि मजदूर अधिक दिन तक बेकार न रहें और मिल चल सके तो अच्छा है।

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की ज्येष्ठता-सूची

*६---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिकाओं के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं के केन्द्रीयकरण किये जाने के बाद से अब तक कोई ज्येष्ठता-सूची का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

केवल कार्य संचालनार्थ ज्येष्ठता-सूची प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये बनाई गई है। क्योंकि सेवा नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। अतः अन्तिम सूचियां तैयार करना अभी संभव नहीं हो सका है। सेवा नियमावली में संशोधन जैसे ही हो जायेगा, ज्येष्ठता-सूची उसके बाद शीघ्र ही तैयार की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक अन्तिम सूची तैयार नहीं होती तब तक कार्य संचालन हेतु जो सूची तैयार है, उसको पब्लिश कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार ऐसी सूची का प्रकाशित कराना शासन के लिये जरूरी हो। इस लिये जो लेकुना है उनको निकाल कर उसको संशोधित किया जा रहा है, आशा है २--३ मास में वह तैयार हो जायगी और तब उसको पब्लिश किया जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या इस बात को देखते हुये कि इन सेवाओं के केन्द्रीयकरण से ज्येष्ठता निश्चित न होने के कारण कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हो रही है, क्या माननीय मंत्री उनकी जो आज की सूची है उसको प्रकाशित कराके लोगों से आब्जेक्शन इन्वाइट करा लेंगे ताकि नई सूची बनाने में सुविधा हो जाये ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

नियम ३ और ६ का संशोधन होने जा रहा है इसलिये उसका सवाल नहीं पैदा होता ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

नगरपालिका कर्मचारियों की सेवाओं को केन्द्रीयकरण हुये कितना समय हो चुका है और अब तक लिस्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुई है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

६ जुलाई, १९६६ से स्थानीय निकायों की १९ सेवाओं का केन्द्रीयकरण किया गया था ।

श्री प्यारे लाल---

६ जुलाई, १९६६ से आज तक ज्येष्ठता की लिस्ट प्रकाशित नहीं करा पाये और कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं । तो यह लिस्ट कब तक प्रकाशित करा दी जायेगी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, मैंने जबाव दिया कि अगले दो तीन महीनों में ही अन्तिम रूप से यह लिस्ट प्रकाशित हो जायेगी और इसकी प्रतियां भी वितरित हो जायेंगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, सीनियारिटी और जूनियारिटी के बारे में बड़ा भारी भ्रष्टाचार चल रहा है और पैसा ले ले कर लोग सीनियर और जूनियर बनाये जा रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसको अपनी अध्यक्षता के अन्दर तैयार करायेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

माननीय सदस्य कोई लिखित शिकायत देंगे तो उसमें अवश्य जांच करा लेंगे ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

जिन कर्मचारियों की सेवाओं को केन्द्रीयकरण के अन्तर्गत किया गया है उससे उन कर्मचारियों को लाभ नहीं हुआ है । उसके स्थान पर अनेक कठिनाईयां उपस्थित हुईं और इस सदन में अनेक बार....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

कई बार यह विचार उठा कि इन सेवाओं के केन्द्रीयकरण को समाप्त कर दिया जाय, क्या इसी वास्ते यह सब स्थिति बनी है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जी नहीं ।

*७-८---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित]

*९---श्री राम गोपाल संड---

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना

*१०--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा दिनांक २३ जून, १९७० को आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने या पृथक् विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मंत्रि मंडलीय स्तर की एक उप-समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट २० अगस्त, १९७० को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और लागू करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी हां ।

उप समिति की रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९७० को प्राप्त हुई थी । शासन ने निर्णय लिया है कि प्रश्नगत आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना ही उचित होगा और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या इस वर्ष आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसके लिये कानपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना होगा, स्टेट्यूटस बदलने होंगे । कोशिश की जा रही है कि आर्डिनेन्स के जरिये से यह काम पूरा करा लिया जाय और मैं समझता हूं कि यह काम इस साल पूरा हो जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिये वे कोई विधेयक ला रहे हैं । ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिल कर उसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर सम्भव हुआ तो इसी वक्त नहीं तो आर्डिनेन्स से कर देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया वह ढीले शब्दों में दिया है । इस सदन में कई बार यह आश्वासन हो चुका है कि ऐसा किया जायेगा । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन दें कि आर्डिनेन्स द्वारा या किसी और उपाय द्वारा इसी सत्र में कानपुर विश्वविद्यालय से परीक्षा होगी । श्रीमन्, आर्डिनेन्स तो इनके हाथ में है.....

श्री अध्यक्ष---

इस सत्र में आर्डिनेन्स नहीं हो सकता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि इसी साल की परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, इस प्रश्न को लेकर इस सभा में जो चहल-पहल रही और आपने भी इसमें जो दिल-चस्पी दिखाई थी उसको ध्यान में रख कर अब आपकी कृपा से यह निणय हो गया है कि इसको सम्बद्ध कर दिया जाय कानपुर विश्वविद्यालय से। मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि हमारे सदस्यों को निराशा नही होगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये सदन यह निश्चित आश्वासन चाहता है कि जो भी कठिनाई उनके सामने हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का इलाज उनके हाथ में है। उनको इस्तेमाल करके क्या आश्वासन देंगे कि इस साल की जो परीक्षा होगी वह कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होगी या नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं बार-बार गुजारिश कर रहा हूं कि जो दिलचस्पी प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की है उससे कम दिलचस्पी हमारी नहीं रही है और आप भी अध्यक्ष महोदय इसमें दिलचस्पी लेते रहे हैं। इसमें निर्णय कराया गया है और अगर इस सत्र में संभव नहीं हुआ तो आर्डिनेंस के जरिये से कराया जायगा मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा।

*११---श्री राम गोपाल संड---

[३सरे मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला नैनीताल में डेनियाखान पेय-जल योजना

*१२---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या सरकार कृपता बतायेगी कि जिला नैनीताल में सन् १९६३-६४ में सिंचाई उपखंड रामनगर के विभाग द्वारा पेयजल योजना के अन्तर्गत बगड़ डौनियाखान की जिस १५-१६ हजार फीट पाइप लाइन योजना को सम्पन्न किया था वह सब व्यर्थ पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

डोनियाखान (बगड़) पेयजल योजना का निर्माण कार्य, जिसकी लम्बाई ८५८० फीट थी, सिंचाई विभाग के रामनगर उपखंड द्वारा सन् १९६२-६३ में सम्पन्न हुआ था। योजना में निहित शर्तों के अनुसार उसके पूर्ण होने व सुचारुरूप से चलाने के उपरान्त उसे ग्राम सभा, मल्ली बगड़ को रख-रखाव हेतु हस्तांतरिक कर दिया गया था और इस समय उसके चलाने आदि का उत्तरदायित्व ग्राम सभा पर है।

*१३---श्री इन्द्रलाल---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस पेयजल योजना की लागत कितनी है और किस आधार पर यह योजना किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत हुई ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इस योजना को पूर्ण होने में १४६५०रु० व्यय हुआ। इसका १२७८७रु० का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, बरेली द्वारा सन् १९६१ में स्वीकृत हुआ था। यह योजना नैनीताल जिले के पिछड़े क्षेत्र के २३ नं० पेयजल योजनाओं की परियोजना के अन्तर्गत थी, जो शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

श्री इन्द्रजाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त यह योजना ग्राम सभा को हस्तांतरित की गयी थी, उसमें क्या शत थी और दूसरे, यह योजना हस्तांतरित करने के बाद वहां की जनता को कितने दिन पानी पीने को मिला ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

शर्त यह थी कि पेयजल योजना को पूर्ण करके गांव सभा की जिम्मेदारी पर सौंप दिया जायेगा । वह उसको सौंप दी गयी । रखरखाव की सारी जिम्मेदारी गांव सभा की है । शासन यह विचार कर रहा है कि रख-रखाव के बारे में शासन द्वारा भी कोई बजट में प्राविधान किया जाय ।

श्री इन्द्रलाल---

मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि योजना में निहित शर्तों के अनुसार उनको दी गयी थी । तो वह निहित शर्तें क्या हैं और दूसरे, कितने दिन वहां की जनता को पानी मिला ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

शर्त यह थी कि गांव सभा इसका रखरखाव करेगी और कुछ श्रमदान भी करेगी । कितने दिन पानी मिला, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि इस योजना के चालू होने से पहले ही जो पाइप डाल दिये गये थे क्या वे फट गये थे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि अभियंत्रण विभाग जो मिर्जापुर जनपद में तथा अन्य अनेकों स्थानों में पेयजल की योजनायें बना चुका है लेकिन जो पैसे के अभाव के कारण शुरू नहीं हुई, उन योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अगर माननीय सदस्य किसी विशेष योजना के बारे में लिखकर देंगे तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सर्वे करके योजना मंजूर की गयी थी वह १२७८७ रु० की थी जिस पर एस० ई०, बरेली ने स्वीकृति दी थी, लेकिन मंत्री जी ने अभी बताया कि इस योजना पर १४६५० रु० खर्च हुआ, तो जो १८६३ रु० अधिक खर्च हुआ इसकी स्वीकृति शासन से हुई या ऐसे ही विभाग ने खर्च कर दिया और अगर विभाग ने खर्च कर दिया, तो कहां से खर्च किया ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इसका उत्तर संख्या १३ के उत्तर प्रश्न में दे दिया गया है । इसको शासन की स्वीकृति मिल गयी थी ।

भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका सोरों, जिला एटा के विरुद्ध आरोप

*१४—श्री सियाराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका, सोरों (एटा) ने अपने कार्य काल में फरजी कागजात बनवाकर लाखों रुपया नगरपालिका कोष से निकाल लिया है ? इस सम्बन्ध मे क्रमशः दिनांक १९ अक्तूबर, १९७० व २४ अक्तूबर, १९७० को नगरपालिका सदस्य, श्री प्रेमनारायण ने कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री की सेवा में दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्री प्रेम नारायण सदस्य, नगरपालिका सोरों द्वारा भेजे गये शिकायती-पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९७० एवं २४ अक्तूबर, १९७० पर जिला मजिस्ट्रेट, एटा से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री सियाराम

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम नारायण ने जो शिकायतें की हैं क्या उनको वे सदन के सम्मुख पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

शिकायती-पत्र को जांच के लिये भेज दिया गया है और उसकी प्रति यहां पर उपलब्ध नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

पांच माह पूर्व वह शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया गया था और उस पर यह आदेश हुये कि जिलाधीश उस पर अपनी रिपोर्ट दें परन्तु अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा क्यों ? उसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है और उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? साथ ही वह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायेगी ऐसी आशा है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि शीघ्र ही आ जायेगी परन्तु ५ महीने तो हो गये हैं वह शीघ्रता कब तक की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने शीघ्रता कह दिया और इसकी कोई डेफिनीशन नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या इस महीने के अन्त तक वह रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इसके लिये प्रयास करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्यतः उनका विभाग जो जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाता है, उसमें कितना समय लग जाता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

टेलीफोन से तुरन्त, वायरलेस से एक या दो दिन में और साधारणतः इसमें कुछ समय लगता है।

राज्य सरकार को प्राप्त कथित लूम्स का कोटा

*१५—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष, १९७० में १०,३०० लूम्स का कोटा एलाट किया था ? यदि हां, तो यह कोटा किन-किन जिलों को कितना-कितना वितरित किया गया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो १०,३०० लूम्स का कोटा एलाट किया गया था वह कितना-कितना और किन-किन जिलों को एलाट किया गया है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो सूचना है उसके हिसाब से तो नहीं दिया गया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करवाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकारों को लूम्स का कोटा देती है तो फिर क्या कारण है कि उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिला ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस वर्ष जो शिफारिश की गई उसकी संख्या मुझको ठीक से याद नहीं है यद्यपि मैंने उसको नोट किया है कि इतने पावरलूम्स हमको दिये जायं । इस प्रकार की हमने केन्द्र सरकार से शिफारिश की है ।

पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान

*१६—श्री नरेंद्र सिंह भंडारी (जिला चमोली)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल में कितने औद्योगिक संस्थान हैं और उनमें अलग-अलग कुल कितने श्रमिक कार्य करते हैं और सरकार को उन उद्योग पतियों से कर के रूप में कितना लाभ होता है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पांच औद्योगिक वातावरण एवं उद्यम कर्ताओं के अभाव के कारण इन औद्योगिक आस्थानों में कोई भी उद्योग अब तक स्थापित नहीं हो सका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७—श्री नरेंद्र सिंह भंडारी—

क्या उद्योग मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग धंधों को लगाने के लिये नीति में कोई परिवर्तन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

देहरादून तथा नैनीताल जिलों को छोड़ कर अन्य पर्वतीय जिलों, जैसे अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी-गढ़वाल तथा उत्तर काशी को पिछड़े जिले घोषित किया जा चुका है । इन जिलों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं, जैसे कम ब्याज पर ऋण, ऋण की वापसी की मियाद में वृद्धि, अंडरराइटिंग कमीशन की दर में कमी, रियायती दर पर बिजली, कच्चामाल तथा किराया-खरीद पर मशीनें उपलब्ध कराना, भूमि का प्रबन्ध, बिक्री-कर में छूट, चुंगी की माफी इत्यादि ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंग कि ये पांच औद्योगिक संस्थान कब खुले और शासन ने उन पर कितना व्यय किया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

एक तो भीमताल है । यह सार्वजनिक निर्माण विभाग से बन कर उद्योग विभाग को सन् १९६२ में प्राप्त हुआ । दूसरा श्रीनगर है । यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बन कर १९६४ में उद्योग विभाग को मिला । यह स्थान १९६४ में पी० ए० सी० को दे दिया गया । तीसरा टिहरी है---यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनकर १९६४ में उद्योग विभाग को मिला । चौथा कोटद्वार है । यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनकर नवम्बर १९६३ में उद्योग विभाग को मिला । पांचवां अल्मोड़ा है । यह स्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनकर अक्तूबर, १९६७ में उद्योग विभाग को प्राप्त हुआ ।

*१८-१९---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से जिलों का विभाजन

*२०---श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की दृष्टि से ए और बी श्रेणियों में विभक्त किया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जी नहीं ।

ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया है ।

कानपुर मेडिकल कालेज के डा० ओ० पी० मित्तल के विरुद्ध कार्यवाही

*२१---चौ० रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज में चेस्ट हास्पिटल के इंचार्ज, डा० ओ०पी० मित्तल के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बाबत सन् १९६९-७० में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, डा० ओ०पी० मित्तल के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं कल से इस सदन में एक अद्भुत बात देख रहा हूं। अद्भुत बात यह है कि सोलह हजार ९० वोटों से हारकर माननीय त्रिभुवन-नारायण सिंह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और माननीय तिवारी जी जीत कर भी विरोधी पक्ष में बैठे हैं। इसी प्रकार माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी ७३ हजार वोटों से जीतकर विरोधी पक्ष में बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी इस सदन की रिपोर्टिंग में गलती होती है तो श्रीमन्, उसे सुधार दत हैं। मेरा कहना यह है कि आल इंडिया रेडियो से हर दिन यह रिपोर्टिंग हो रही है कि अमुक सदस्य ने पार्टी छोड़ दी। यह गलत है। किसी सदस्य ने पार्टी छोड़ दी, इसके बारे में आपके कार्यालय से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिये तभी यह बात प्रमाणित होगी। जब तक आपके कार्यालय से यह बात प्रमाणित नहीं होती तब तक न तो समाचार-पत्रों के द्वारा और न आल इंडिया रेडियो के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्टिंग होनी चाहिये। मुझे जानकारी है कि कई सदस्यों का नाम रेडियो से दिन में दस-दस बार पुकारा गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और नयी कांग्रेस में चले गये। श्रीमन्, आप उस रिपोर्टिंग को देखकर अपने कार्यालय से उसमें सुधार करायें। जब तक आपके यहां लिखित न आ जाय कि फलां सदस्य ने पार्टी छोड़ दी तब तक नई कांग्रेस को रेडियो को इस तरह के प्रचार का माध्यम बनाने की छूट नहीं देनी चाहिये। इस गलत रिपोर्टिंग से इस तरह का वातावरण बन रहा है कि किसी तरह से लोग इनकी तरफ आ जायं और फिर मध्यावधि चुनाव करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरी ताकत में नहीं है कि रेडियो में क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। जहां तक हमारे आफिस का संबंध है जब तक हमारे आफिस में किसी की यह सूचना नहीं आती है कि हमने इस्तीफा दे दिया है तब तक हम उस बात को नहीं मानते हैं। रेडियो पर आप विश्वास कर लेते होंगे, लेकिन मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। मेरे कमरे में मेरे पास जब कोई सूचना आती है, तब कहीं वह लिखी जाती है। रेडियो के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, आप कृपा करके श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से कहिये और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहिये।

(मेंजे पीटी गईं)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप गलत रिपोर्टिंग को करेक्ट करेंगे? आल इंडिया रेडियो से गलत रिपोर्टिंग होती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रेस में जो गलत रिपोर्टिंग होती है आप उसके बारे में प्रतिवाद भेज दें। यह हमारा काम नहीं है कि हम यहां से कोई चीज छाप कर भेजें।

लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य, श्री रामचन्द्र विकल का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष--

श्री राम चन्द्र विकल ने मेरे घर पर इस्तीफा दिया। क्योंकि वे लोक सभा में चुने जा चुके हैं तो इस कारण उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। मैं आपको इसकी सूचना देना चाहता हूं।

श्री राज्यपाल ने कल जो अभिभाषण दिया था उसके ऊपर अब चर्चा होगी।

विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन, मैं एक सूचना चाहता हूं। आप गौर कीजिये और व्यवस्था दें। आल इंडिया रेडियो के बारे में आपने जो कहा है वह ठीक ही कहा है लकिन मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। हमें जो आज एक पुस्तिका मिली है उसम आनरेबिल मेम्बर्स की तादाद लिखी हुई है कि कौन सी पार्टी में कौन मेम्बर्स हैं। इस पुस्तिका में २७ जनवरी तक की संख्या है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता है--अखबारों में हम कुछ पढ़ते हैं और रेडियो में कुछ से कुछ सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि सदन की हमारी कार्यवाही शुरू हो, आप हमें यह सूचना दें कि इस वक्त क्या पोजीशन है।

श्री अध्यक्ष--

छापने के लिये जो मसाला दिया जाता है उसके छपने में समय लगता है। यह पुस्तिका अब छप कर आ गई है। यह रिपोर्ट पिछली संख्या के अनुसार है। रोज-रोज जो चेंजज होते हैं उनको तो हम पुस्तिका में नहीं छपवा सकते हैं। उन चेंजेज की सूचना हम आपको यहां देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप मुझे सूचना दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

वह सूचना हम मौके पर देंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम सिंह जी कहें।

एक माननीय सदस्य--

श्रीमन्, आपने जो रूलिंग आलइंडिया रेडियो के बारें में दी कि आपके सदन का विश्वास आल-इंडिया रडियो के प्रसारण पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री राम सिंह जी को पहले बुलाया है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा कुछ कहने के लिये खड़े होने पर)

[श्री अध्यक्ष]—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठिये ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि:

"यह सदन, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।"

अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही संक्षिप्त और सार-गर्भित है और उन सब नीतियों का समावेश है जोकि हमारी मौजूदा सरकार ने अपनाई है या आने वाले दिनों में जिन नीतियों को वह पूरा करना चाहती है। इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ ऐसे कार्य-क्रमों का उल्लेख किया है कि जिनको या तो हम ने पहले सत्र में पूरा कर लिया है या आने वाले दिनों में जिन कार्य-क्रम को, या जिन नीतियों को हमारी सरकार पूरा करना चाहती है। इस प्रदेश के अन्दर जो एक मांग बहुत दिनों से सवा ६ एकड़ लगान माफी की चली आ रही थी उसका उल्लेख भी महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में किया है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि इस प्रश्न के ऊपर कई बार यहां पर संघर्ष हुआ, कितनी ही बार प्रदेश में आन्दोलन चले, और बराबर उसके लिये मांग की जाती रही। ऐसे समय में जब कि प्रदेश के सामने कई आर्थिक समस्यायें हों, हम आर्थिक संसाधनों को जुटाने में प्रयत्नशील हों, इस प्रकार का कदम उठाना एक बड़ा ही साहसिक कदम है। अनेक परेशानियों के होते हुये भी इस सरकार ने सवा छः एकड़ तक की जोतों को लगान से मुक्त किया जिसके कारण प्रदेश के लगभग ८५ प्रतिशत काश्तकार लाभान्वित हुये।

दूसरी एक मांग जो मुद्दत से चली आ रही थी, वह भूमिहीनों को जमीन के एलाटमेंट की थी। उसमें कई प्रकार की अनियमिततायें हो रही थीं। कानून इस प्रकार का था कि अधिकारी, लोग गैर-जिम्मेदारी से काम करते थे। उसका लाभ वास्तव में भूमिहीनों को नहीं पहुंच रहा था। भूमिहीन शब्द का लाभ उठाकर निहित स्वार्थ वाले ही फायदा उठा रहे थे। सरकार ने इस सदन में विधेयक लाकर भूमिहीन शब्द की परिभाषा को स्पष्ट किया ताकि उसकी आड़ में लोग गलत फायदा न उठा सकें। सरकार ने इस कानून में ऐसा परिवर्तन किया कि वास्तव में जो भूमिहीन हैं उसी को भूमि मिल सके। यह कार्य करके एक नयी दिशा कायम की। इसके बाद से काफी अनुसूचित और पिछड़ी हुई जाति के लोगों को जमीन मिली है। यह इस प्रकार के कार्य हैं जिनकी प्रशंसा किये बगैर मैं नहीं रह सकता।

कृषि से संबंधित भी कई एक नयी चीजों का समावेश महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। इस ओर कई एक ऐसे कदम उठाये जाने वाले हैं जिससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। बिजली के संबंध में बहुत दिनों से यह मांग रही है कि बिजली के मिनिमम चार्जेज को कम किया जाय। इस ओर भी कदम उठाने के लिये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और अब बिजली के रेट को भी कम किया जायेगा जिससे किसानों को राहत मिलेगी। आज बहुत बड़ी तादाद किसानों की ऐसी है जो बिजली का उपयोग करती है। अब तक बिजली के जो नियम हैं उससे किसानों को बड़ी परेशानी थी। अब वह दूर हो जायेगी।

दूसरा एक और कदम जो यह सरकार उठाने जा रही है जिसका समावेश भी इस अभिभाषण में है, वह यह है कि अब तक १० हजार के बन्धक पर जो स्टैम्प ड्यूटी किसान को देनी पड़ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी, वह अब नहीं देनी होगी। किसान चाहे बैंक से ऋण ले चाहे सरकारी बैंक से ले या किसी समिति से ले, १० हजार तक के बन्धक पर उसको अब स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। यह प्रयत्न बहुत साहसिक है और काश्तकारों को लाभान्वित करने वाला है।

इसके अलावा विरोधी पक्ष की ओर से जो संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं, उनको भी मैंने ध्यान पूर्वक सुना, उनमें मुख्यतः चार बातों का समावेश किया गया है। उसके संबंध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात तो उन्होंने यह जिक्र की कि प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये दूसरी अधिकतम जोत सीमा निर्धारित होनी चाहिय, तीसरे भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिये, और चौथी बात उन्होंने यह कही है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम उपस्थित किया जाना चाहिये। पिछले बार उनकी सरकार द्वारा राज्यपाल का जो अभिभाषण पेश किया गया था, उसमें खास कर इस बारे में दो बातें थीं। एक तो यह कि भूमि की सीमा कम की जाये और दूसरे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। किन्तु वे दोनों बात वह सरकार पूरी नहीं कर पायी। भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिये उनमें आपस में बड़ी बौखलाहाट रही। और उन लोगों ने उसमें बाधा उपस्थित की और जोरदार ढंग से उसका विरोध किया जो कि आज जनता में अपने को समाजवादी कहते हैं। इस बार भूमि सीमा के बारे में जब संशोधन हमारे सामने आया तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब पिछली बार चौधरी साहब ने यह निर्णय किया था तो उस समय उस पार्टी ने उसका विरोध किया था और यह कहा था कि भूमि सीमा को क्यों कम किया जाये। ऐसी स्थिति में उस बात को पुनः अपने मुंह से दोहराना उनके लिये उचित नहीं मालूम पड़ता। राष्ट्रीयकरण का मतलब यदि सरकारीकरण नहीं है, सहकारीकरण है, जैसा कि मैं समझता हूं तो इस सरकार ने उस दिशा में हमें एक रास्ता दिखाया है। हम एक निगम स्थापित करेंगे कि जिन चीनी मिलों की दशा इतनी खराब है कि सुधर नहीं सकती, उनको सहकारी क्षेत्र में लेने के बारे में वह अपनी सम्मति दे।

भूमिहीन लोगों को भूमि का लाभ देने की जो बात है, उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर अतिरिक्त भूमि आये कहां से। इस समय हमारे पास जो भूमि है उसको जो बांटने का अब तक तरीका था, उसमें परिवर्तन किया गया है और उपेक्षित वर्ग को राहत दिलाने का प्रयत्न किया गया है तथा हरिजनों के हित में अन्य लाभकारी कदम मौजूदा सरकार द्वारा उठाये गये हैं। गत चुनाव के समय में नई कांग्रेस ने इस बात की बड़ी चर्चा की कि हम हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते हैं। किन्तु वास्तविक दिशा में कदम तो इस सरकार ने उठाया है। उसने भूमिहीनों की परिभाषा करके एक बड़ा काम किया है, इससे विशेष रूप से हरिजन लाभान्वित होगा। आरक्षण के विषय में भी हमारी सरकार ने कुछ राहत देने की घोषणा की है। केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों के स्थान आरक्षण की दिशा में कोई वृद्धि नहीं की है और न अन्य राज्य सरकारों ने ही ऐसा किया है, जहां-जहां पर उनका आरक्षण पूरा नहीं है। किसी भी सरकार ने उसमें केन्द्र सरकार भी शामिल है, हरिजनों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की पूर्ति के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये हैं, न विशेष आरक्षण की ही व्यवस्था की है। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और इसलिये उसने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जगहों को भरने के वास्ते ४५ व ५५ प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया है। तो यह समाजवादी कार्यक्रम की दिशा में क्या सराहनीय बात नहीं है ?

दूसरे, कई बार हरिजन विधायकों ने, चाहे वह किसी पार्टी के हों, लिखित रूप में भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों और मौजूदा मुख्य मंत्री को ज्ञापन-पत्र दिया था कि हमारी दशा को सुधारने के सम्बन्ध में यह जानकारी करने के लिये, हमारे कार्यक्रमों में और काम करने के तौर तरीके में अब तक जो कमियां रही हैं जिनकी वजह से उन सब बातों को पूरा नहीं कर पाये हैं वह क्या चीजें थीं, उसके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की जाय। उसकी घोषणा भी महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की है। उन्होंने कहा कि किन बातों

[श्री राम सिंह---]

की वजह से हम अपने दबे हुए तबके के लोगों को ऊपर नहीं उठा पाये उन कारणों की जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय कमेटी के निर्माण की घोषणा महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की है ।

इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्रीय और आर्थिक कार्यक्रम हैं जिनके सम्बन्ध में राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कई बातों का जिक्र किया है खासकर, कुछ इस प्रकार के क्षेत्रों को चुना है जो पहाड़ी, पूर्वी और बुन्देलखंड के क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों की तरक्की कैसे हो, वहां किन-किन चीजों की कमी है और कम्पेरेटिवली किन कमियों की वजह से पिछड़े रहे हैं उन सब बातों की जांच करने के लिये और उन सब कमियों को दूर करने के लिये उन्होंने कुछ कारपोरेशंस की घोषणा की है। उन्होंने अपने अभिभाषण में बुन्देलखंड, पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी अंचल के लिये तीन निगमें स्थापित करने के लिये उन्होंने घोषणा की है ।

मान्यवर, अब तक बहुत बड़ी शिकायत माननीय सदस्यों की रही है कि पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जहां प्रायरिटी के साथ पुल पहले बनने चाहिये थे वहां नहीं बने या जहां ज्यादा पैसा खर्चा होना चाहिये था वहां कम खर्च किया गया और जहां कम पैसा खर्च करना चाहिये था वहां ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में एक कारपोरेशन बनाने का इस सरकार का इरादा है। इसका जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। इस प्रकार मौजूदा सरकार ने एक बहुत बड़े समाजवादी कार्य क्रम की तरफ एक ऐसी दिशा दी है जिन चीजों की मांग जनता बारबार करती आयी है, उन बातों को समावेश किया गया है ।

बहुत दिनों से इस बात की मांग चली आ रही थी और केन्द्रीय सरकार ने बड़ा भारी प्रचार भी चुनाव में किया है लेकिन अब तक कोई घोषणा नहीं की है कि शहरी सम्पत्ति की सीमा किस ढंग से बांधेगी और उसका क्या प्रारूप होगा। केवल कार्यक्रम में लिखा है कि उसकी सीमा बांधेगी। उसका बड़ा भारी प्रचार किया और गलत लाभ भी उठाया। मौजूदा सरकार ने गवर्नर महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि हम प्रदेश में शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधेंगे। केवल काश्तकार की सम्पत्ति की सीमा बांधने से प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती, बार बार यह आलोचना होती रही है और कभी-कभी इस बात की भी चर्चा हुई है कि केवल ग्रामीण सम्पत्ति की सीमा बांधने से शहरी सम्पत्ति को छुआ नहीं गया। वह शिकायत भी इस बात से दूर होगी। शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने से समाजवाद की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इस बात की भी घोषणा महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की है।

दूसरी बात जो मौजूदा सरकार ने की है वह यह है कि इस सरकार ने निर्णय किया है कि वृत्ति और व्यापार कर को समाप्त किया जाय, पहली अप्रैल से। यह भी मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। भूतपूर्व सरकार ने बावजूद इसके उसने वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया था। मैं बधाई देता हूं महामहिम राज्यपाल और इस सरकार को कि उसने ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाया है बावजूद इन सब बातों के कि हमारे धन के जो स्रोत हैं, जो पैसे इकट्ठे होने के साधन हैं उनमें कठिनाई पड़ेगी। जनता की सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, उनकी परेशानियों को समझ कर उनको दूर करने की कोशिश की है ।

एक दूसरी बात जिसका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्री जी से है, उसका उत्तर उन्होंने दिया था। आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के किसी विश्वविद्यालय के साथ ऐफिलिएशन के सम्बन्ध में एक बड़ा भारी संघर्ष और आन्दोलन चलाया गया था। पिछला सत्र सदन का जब चल रहा था तब भी उसके लिये एक बड़ा भारी संघर्ष और आन्दोलन चला था लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी पिछली सरकार ने इस मामले में कोई बात नहीं की। मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिये यह बड़े हिम्मत की बात है और इसके लिये मैं उसको बहुत बधाई देता हूं कि

प्रदेश के वे व्यक्ति जो बहुत परेशानी में थे और जिनका कोई सहारा नहीं था, उनकी परेशानियों को महसूस करके, उनकी कठिनाईयों को महसूस करके इस सरकार ने आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने की बात स्वीकार कर ली है और इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि अगर किन्हीं कारणोंसे---चूंकि दो महकमे का मामला उससे सम्बन्धित है, उनमें आपस में बातचीत करके कोई बात तय नहीं हो पायी तो एक अध्यादेश के द्वारा आगामी सत्र से ही कानपुर विश्वविद्यालय से इनकी परीक्षाय दिलाने की बात कर देंगे। यह बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी की बात है।

अब मैं बिक्री-कर के सम्बन्ध में आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बहुत दिनों से इस बात की व्यापारी वर्ग द्वार। मांग है, और खास तौर से छोटे व्यापारी वर्ग द्वारा मांग है कि सेल्स टैक्स एक स्तर पर वसूल होना चाहिये। एक स्तर पर वसूल होने से व्यापारियों व खरीदारों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस मांग पर बहुत गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करके सरकार ने इस बात को मान लिया है कि आगे यह कोशिश की जायेगी कि बिक्री-कर एक स्तर पर और एक ही जगह वसूल किया जाय।

इसके बाद मैं सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं कि उनके लिये इस सरकार ने क्या-क्या किया है। इस समस्या ने भी बड़ा गम्भीर एवं भयंकर रूप धारण कर लिया था और गवर्नमेंट के लिये बड़ी परेशानी का समय था, उन सब समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने की बात इस सरकार द्वारा की गयी है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन और मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की बात भी की गयी है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के अन्दर ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी किसी और जरिये से नहीं होती है। उनकी अ जीविका का साधन केवल उनकी तनख्वाह ही है। तो उनको राहत देने के लिये और उनके मन को शान्ति देने के लिये, ताकि वे अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह स कर सकें, अपने बाल बच्चों का भरणपोषण अच्छी तरह से कर सकें, उनकी तनख्वाह व महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी। साथ ही इस बात की मांग भी बहुत दिनों से चली आ रही थी कि उनकी तनख्वाह का पेमेंट किस तरह से हो। कई बार यहां विधान सभा में भी इस पर काफी चर्चा हुई। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी तनख्वाह का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जायेगा ताकि मैनेजमेंट वाल उनके लिये कोई दिक्कत न पैदा कर सकें। इस तरफ भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इशारा है, जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा कदम है।

इसके अलावा सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, डिग्री कालेज व इंटर मीडिएट कालेज के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में भी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय किया है। इस तरह से जो छोटे कर्मचारी हैं और जिनकी तनख्वाह कम है उनकी बहुत दिनों से अपनी शिकायतें रही हैं जिनको पूरा करने का प्रयन्त किया गया है। कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विशेष बात जो की गयी है उसका भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह एक वेतन आयोग की नियुक्ति करेगी जिससे प्रदेश के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के वेतनों के सम्बन्ध में कहां-कहां डिस्पैरिटीज हैं, कहां-कहां असमानता है, उन सबको वह देख कर दूर कर सकें। वेतन आयोग की स्थापना करने के निर्णय में एक विशेष बात यह है कि गवर्नमेन्ट कर्मचारियों के अलावा उसमें स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग के प्रश्न भी शामिल होंगे।

अभी तक वेतन आयोग अथवा अन्य जितनी समितियों की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई उन सब में स्थानीयय निकायों को सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन इस आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस बात की चर्चा है कि स्थानीय निकायों क कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित होंगे और वे भी उससे लाभान्वित होंगे। जिन बातों का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है म समझता हूं कि हम सबको उसका स्वागत करना चाहिये क्योंकि वे

[श्री राम सिंह]---

समाजवाद की दिशा में बड़े भारी क्रान्तिकारी कदम हैं । केवल नाम लेने से समाजवाद की स्थापना नहीं हुआ करती । केवल शाब्दिक प्रचार करने से समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती । कुछ ऐसे कार्यक्रम की पहल की जाय, कुछ ऐसे कदम उठायें जायं जिन पर अमल करने से समाजवाद की स्थापना हो सके ।

राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का जब मैंने अध्ययन किया और उसके पूर्व राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों की तुलना की तो मैंने देखा कि इस अभिभाषण में कुछ ऐसे क्रान्तिकारी कदम समाविष्ट हैं जो पूर्व के अभिभाषणों में नहीं थीं । जो नीतियां खास तौर से इसमें निर्धारित की गयी हैं, वे समय की मांग को देखते हुए, जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की गयी हैं और उनसे किसी एक वर्ग क्षेत्र अथवा समुदाय की तरक्की व प्रगति नहीं होगी बल्कि समूचे प्रदेश के सभी वर्गों के आर्थिक विकास के लिये, जिनको आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा समझा जाता है, उनकी तरक्की तथा प्रगति के लिये इस में व्यवस्था की गयी है । इन शब्दों के साथ मेरा यह आग्रह है कि महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण की सभी को प्रशंसा करनी चाहिये और सबको इस अभिभाषण को एक मत से पारित करना चाहिये ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अभी राम सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपने संम्बोधन में सभी नीतियों को निर्धारित किया है यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन पिछले संम्बोधनों को देखते हुए यह काफी जोरदार शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रदेश की तरक्की के लिये काफी अच्छे कदम उठाने की ओर संकेत दिये गये हैं । एजूकेशन के बारे में जो उन्होंने अपने ऐलान के बारे में फरमाया है कि प्राइमरी, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट बोर्ड के मातहत तमाम इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि तथा उनके भत्ते बढ़ाने के बारे में जो संकेत दिया गया है, उसका हम वेलकम करते हैं और इस बिना पर उनको धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहा जा सकता कि इतने दिनों से प्रदेश के सम्मुख जो समस्या थी उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि उनको अगर इस सिलसिले में इससे भी आगे कदम उठाना पड़े तो ज्यादा मौजूं होगा और तब हम उनका शुक्रिया ज्यादा मजबूती के साथ कर सकेंगे और जनता उसका ज्यादा वेलकम कर सकेगी।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

इस वक्त हमारे एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये उन्होंने टीचर्स के वेतन को चेक द्वारा अदा करने की प्रथा डाली है, इससे भ्रष्टाचार चेक जरूर होगा लेकिन थोड़ी एक बातें अगर और जोड़ दी जायं तो उनके इस अभिभाषण में चार चांद लग जायेंगे। मैं यह मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैनेजस ने एक तिजारत का सिलसिला बना रखा है । भाई भतीजेवाद का बड़ा जोर है । एक मैनेजर अपने स्कूल में तो किसी अपने भाई अथवा भतीजे को नहीं रखा सकता लेकिन दूसरे मैनेजर से मिल कर अपने भाई भतीजे को रखवा लेता है और उसके एवज में अपने स्कूल में उसके भाई भतीजे को रख लेता है। इस प्रकार शिक्षा विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है।

एक बड़ी बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि एजूकेशन में जितनी नजरन्दाजी हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासेज की हुई है उतनी अन्य किसी विभाग में नहीं हुई है । अगर आप फीगर्स उठा कर देखेंगे तो पायेंगे कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में दो प्रतिशत हरिजन नहीं मिलेंगे और बैकवर्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्लास के तो एक परसेंट टीचर्स भी नहीं मिलेंगे। उन लोगों का कब्जा अपने ऊपर अपने हाथ में ले लिया है। जहां तक माइनारिटी और मुसलमानों का सवाल है उनकी तादाद बहुत कम है, उनके साथ इन्साफ करने के सम्बन्ध में और उनकी प्रगति के सम्बन्ध में ध्यान रखा जाता तो उनके अभिभाषण में चारचांद लग जाते।

मान्यवर, हमारे महाहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में देश की पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में जो संकेत किया है उसका स्वागत करता हूं कि किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कि देश की पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में साधन नहीं जुटायें जायेंगे, जो इन्डस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जायेगा, छोटे स्तर की इन्डस्ट्रीज को विशेषरूप से बढ़ावा नहीं दिया जायगा तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती है। उन्होंने इस विषय में भी अपने भाषण में संकेत दिया है। मैं इस सम्बन्ध में दो-एक सुझाव देना चाहता हूं आगे भी मौका मिलेगा तो और भी सुझाव दूंगा। महामहिम राज्यपाल ने अपने इन्फलुएंस के द्वारा कितनी ही बातों की तरफ ध्यान दिलाया है जिससे कि इस प्रदेश की उन्नति हो सकती है मिसाल के तौर पर उन्होंने बिजली के रेट को कम करने के बारे में अपने भाषण में जिक्र किया है। मैं इस बात का वेल-कम करता हूं। उन्होंने कहा है कि इन्डस्ट्रीज और काश्तकार को बिजली कम रेट पर दी जाय। यह वास्तव में स्वागत करने योग्य बात है क्यों कि यह प्रगतिशील कदम है। उन्होंने शहरी प्रापर्टी की सीलिंग के बारे में भी जिक कया है।

मान्यवर, हमारी पार्टी शहरी प्रापर्टी के बारे में इस बात पर विचार कर रही है और उसने इरादा कर लिया है कि शहरी प्रापर्टी ५ लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यदि महा-महिम राज्यपाल अपने भाषण में स्पेसिफिकली इस चीज का जिक्र कर देते कि हमारी गवर्नमेंट ५ लाख की प्रापर्टी के ऊपर सीलिंग करेगी तो उनके अभिभाषण का पुरजोर स्वागत किया जाता। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात को स्पष्ट कर दे कि ५ लाख की शहरी प्रापर्टी की मियाद नहीं बढ़ायी जायगी। इन २३ सालों के अन्दर जो हमारी सरकार ने भूमिहीनों के लिये किया है उसका भी इस भाषण में जिक्र है जिसका कि स्वागत किया जाना चाहिये। किन्तु मुझे अन्देशे के साथ कहना पड़ता है कि यह चीज केवल बन कर ही न रह जाय। अतः इनके क्रियान्वयन के लिये सरकार कदम उठाये। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भूमिहीनों को जमीन दिलवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करे और उसके लिये क्रांतिकारी कदम उठाये ताकि वह लोग भी अपनी रोजी-रोटी का काम कर सकें।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बैकवर्ड जिलों, बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों में कमीशन मुकर्रर करके उनके उत्थान के बारे में प्रयास करने की बात कही है, वह एक बहुत ही अच्छा कदम है और उसका हमें स्वागत करना चाहिये। किन्तु मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यह कमीशन केवल कमीशन बन कर ही न रह जाय बल्कि इन कमीशनों के साथ-साथ खास साधन भी उसके लिये जुटाये जायं और उनको कार्यान्वित किया जाय। उन्होंने १ अरब रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इन रिसोर्सेज के वास्ते कहा है लेकिन मैं गवर्नमेंट का ध्यान और जनता का ध्यान पिछली सरकार की २३ साल की हिस्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट के साथ अन्तर किया है और उसे पछाड़ा है। इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके झगड़ों के ऊपर है।

स्पेशल एकमोडेशन के नाम पर हमारे साथ इस कदर अन्याय किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने स्पेशल एकमोडेशन के नाम से यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया, लेकिन सन् ६६ तक इसके अन्दर हमारे प्रान्त को क्या मिला? जबकि तामिल नाडु, गुजरात वगैरह जिनका सरप्लस बजट होता है, जिनको नहीं मिलना चाहिये था पर आपको अन्दाजा होना चाहिये कि तामिलनाडु के ४ जिलों के सूखा ग्रस्त इलाकों के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने २२ करोड़ रुपया एक दफा और ७ करोड़ रुपया एक दफा उनको अनुदान दिया, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में ५४ जिले हैं

[श्री चन्द्रभानु शर्मा---]

और १४ जिलों में सूखे का इफेक्ट हुआ है और केवल २ करोड़ रुपया दिया जाता है। इसका कारण क्या है? यह ठीक है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को ३ प्रधान मंत्री मिले हैं, लेकिन तीनों हमारे लिये ऐसे कंजूस साबित हुये हैं जैसे कि कोई लाला सांप की तरह से दौलत के ऊपर पहरा देता है। उसका फायदा दूसरे उठा लेते हैं, लेकिन इस प्रान्त को कोई फायदा नहीं हुआ। तामिलनाडु आज उससे फायदा उठा सकता है, काश्मीर और जम्मू फायदा उठा सकता है और महाराष्ट्र अपने ओवर-ड्राफ्ट के जरिये से पैसा ले सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी के हिसाब से पैसा नहीं दिया गया।

दूसरी स्कीम आपके सामने सेंट्रल प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस आये हैं। इसमें सन् ६८ तक के जितने पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं उनमें ३ अरब ७२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन यू० पी० को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखिये कि सूबाई सरकार ने अटोमिक पावर स्टेशन के वास्ते नरौरा अलीगढ़ के अन्दर पूरी तैयारी कर ली है और प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, शायद तय हो चुका है, उसके नकशजात बन चुके हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि यह इमदाद मिलेगी या नहीं। तो चाहे इधर के आदमी हों या उधर के आदमी हों, यह तो कामन इन्टरेस्ट की बात है। उन लोगों को चाहिये जो-जो उनके ऊपर काबू-याफता हैं, जो उनसे अफिलियेटेड हैं कि उन पर दबाव दें कि आखिर यू० पी० के अन्दर कब तक नारेबाजी पर जिन्दा रहेंगे और गवर्नमेंट चलाते रहेंगे। लोग हमसे हिसाब मांगेंगे। आज नहीं तो कल मांगेंगे, परसों मांगेंगे, बहरहाल कभी तो मांगेंगे। जिस वक्त यहां की गवर्नमेंट के लोग और इम्पार्शल, अपोजीशन के कर्ता-धर्ता इन सब अशिक्षित लोगों के सामने नहीं बता पायेंगे कि क्या कारण है कि तामिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र तरक्की कर रहे हैं और यू० पी० के ऊपर यह कैसी आफत आयी तो जिस खूबसूरती और तेजी और आंधी की तरह से आप पर विश्वास करके आपको उन्होंने सेंटर में भेज दिया उसी तेजी के साथ वह आपको कले दम कर फर देंगे। इसलिये यह आप के हित में है कि सेंटर को आप अपनी बात से आगाह कीजिये और जोरदारी से जोर दीजिये कि इस तरह से उत्तर प्रदेश को नजरअन्दाज न करें, क्योंकि हमें कोई चीज नहीं मिल रही है।

ऐग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं। उस में यू० पी० के अन्दर आप देखें कि यू० पी० के अन्दर २४.५ परसेंट जमीन पड़ी है और यहां की आबादी सब से ज्यादा भी है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स की जो पोजीशन है आपके प्रदेश में और दूसरे घटकों की पोजीशन क्या है वह मैं बतलाना चाहता हूं। स्माल फारमर्स प्रोजेक्ट्स में जो कि ४३ हैं उनमें से यू० पी० को कम से कम ११ मिलने चाहिये थे, लेकिन यू० पी० को सिर्फ ४ मिले हैं। यह कितने शर्म की बात है कि ११ में से ४ मिलते हैं और दूसरे घटक को २ की जगह ६ मिल जाते हैं। मार्जिनल प्रोजेक्ट्स जो बने हैं उनमें ४० से १० मिलने चाहिये थे लेकिन यहां दो अलाट हुये हैं जबकि २४.५ यहां का परसेंटेज है। तो जब तक इधर या उधर बैठने वाले लोग सभी मिल कर महामान्य राज्यपाल के जरिये और अपनी सरकार के जरिये से सेंटर को नहीं कहेंगे कि हम इस अन्याय को बरदाश्त नहीं कर सकते जब तक प्रदेश का भला नहीं हो सकता।

मान्यवर, अब सेन्ट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर आ जाइये। श्रीमन्, यह यू० पी० कितना पिछड़ा हुआ है लेकिन ए० आर० सी० ने केवल अपनी एक ब्रान्च कानपुर में खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा आई० डी० पी० और आई० एफ० सी० वगैरह ने हमारे प्रदेश में कोई भी ब्रांच खोलने का फैसला अभी तक नहीं किया है। यह कितने ताज्जुब की बात है कि यह प्रान्त जिसकी आबादी सारे देश की आबादी की १/६ है उसको इस तरह से नजर-अन्दाज किया जाता है। महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में १ करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की बात कही है, वह पता नहीं किस प्रकार से कर पायेंगे जब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की

इस बात उपेक्षा बरती जा रही है। इन मौजूदा कार्यों के साथ कुछ और कार्य भी इसमें जोड़ दिये जायें तो बहुत अच्छा होगा। वे कार्य आज की हवा का तकाजा हैं। अगर ऐसा किया गया तो इसमें चार चांद लग जायेंगे।

मिसाल के तौर पर मेरी राय यह है कि अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस प्रदेश को पूरा पैसा नहीं देती तो इस सरकार को अपने रिजर्व फंड से जो ५० करोड़ रुपया है, पैसा निकाल कर प्रदेश की भलाई के काम करना चाहिये, न कि सांप की तरह से उसके ऊपर बैठ कर पहरा दें। अपने यहां की जो छोटी-छोटी रोड्स स्कीम्स हैं, गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन की सकीम्स हैं, ट्यूबवेल की स्कीमें हैं इसके अलावा और भी जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनको अपने हाथ में ले लेना चाहिये। तभी इससे प्रदेश की गरीबी दूर होगी। लोगों को काम मिलेगा और आगे को उनके काम में मदद मिलेगी। इसके बारे में जल्दी ही विचार कर के निर्णय ले लेना चाहिये। आज मकानों की शहरों में लोगों को बहुत तकलीफ है। जितनी बेकार सरकारी जमीन, नजूल और म्युनिसिपल बोर्ड्स की जमीन हैं उस में सरकार को मकान बनवा कर लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहिये, ताकि जनता में उसका अच्छा असर पड़े।

इस वक्त आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बहुत खराब हो रही है। डेवलपमेंट के काम में लगे हुये कर्मचारी बजाय प्रदेश का डेवलपमेंट करने के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुजफ्फरनगर की एक मिसाल देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में एक कन्सट्रक्शन डिवीजन खोल दिया गया है। जब तक हाइडिल का वहां पर एक डिवीजन था बहुत अच्छा काम होता था। १३०० ट्यूबवल के १६०० हो गये थे। लोगों को बहुत सहूलियत थी। लेकिन जब से कान्स्ट्रक्शन डिवीजन खुला है और श्री मीतल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हुये हैं केवल ८ माह में ७ एग्रीमेंट किये गये हैं। मैं इसकी ओर माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रिटायर्ड आदमियों को फिर से सर्विस में लेना बहुत ही खतरनाक होता है। श्री एस० एन० सिंह को ऊपर लाकर बाहर से बैठा दिया गया। वे अपनी कोई जिम्मेदारी ही महसूस नहीं करते। अगर कोई जूनियर आदमी वहां आता तो वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करता और प्रदेश के लिये तरक्की का रास्ता निकाल कर अपने रिकार्ड को बनाने की कोशिश करता। जो भी रिटायर्ड आदमी लाकर आप बैठाते हैं वह कुछ नहीं करता और अपनी मनमानी करता है। श्री सिंह ने अपने मोहरों के चोरों को फिट कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी कुछ समझते नहीं हैं। मीतल, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक-एक ट्यूबवैल पर १००–२०० रुपया तक मांग लेता है। सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव सरकार को दिये हैं, वह उसकी ओर ध्यान दें और जो महामान्य राज्यपाल महोदय ने फरमाया है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और श्री रामसिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय सदस्य सहारनपुर ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनके अन्त में निम्नलिखित वाक्यों को और जोड़ देने का प्रस्ताव करता हूं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित, का उल्लेख नहीं किया है—

(१) लोक सभा के चुनावों का उल्लेख करते समय यह नहीं बताया कि प्रदेशीय संविद सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रदेश की जनता ने लोक सभा के चुनावों में संविद के घटकों को प्रदेश से लोक सभा की ८५ सीटों में से ७९ सीटों में भारी बहुमत से हराकर उसके प्रति अविश्वास प्रकट किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]–

(२) मनीराम क्षेत्र से विधान सभा के लिये उम्मीदवार संविद सरकार के मुख्य मंत्री, श्री टी० एन० सिंह की भारी पराजय का उल्लेख नहीं किया है और साथ ही श्री टी० एन० सिंह द्वारा संविद की ही कुछ प्रमुख घटक पार्टियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर और उनके द्वारा त्याग-पत्र देने का बार-बार निर्णय होने पर भी त्याग-पत्र की घोषणा नहीं की जब कि वे राज्य सभा के सदस्य बने हुये हैं।

(३) समाजवाद, प्रजातंत्र व धर्म निरपेक्षता के आधार पर देश व प्रदेश के समाजवादी निर्माण के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी की नई केन्द्रीय सरकार को सहयोग व सहकार देने की घोषणा नहीं की।

(४) प्रदेश में समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिये प्रदेश की सभी निजी चीनी मिलों को पब्लिक सेक्टर में ले लेने की घोषणा नहीं की।

(५) प्रदेश में अलीगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद आदि स्थानों में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं क्षतिपूर्ति में प्रदेश सरकार की असफलता पर प्रकाश नहीं डाला।"

श्रीमन्, आज हम एक विशेष परिस्थिति के आधार पर यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार करने के लिये एकत्रित हुये हैं। (व्यवधान) मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ मंत्री जी सामने बैठे हुये हैं, इस समय भी महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर शान्तिपूर्वक भाग नही लेना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो इस सरकार की नीति की घोषणा की गई है, उसको एक मिनट भी, एक सेकन्ड भी नैतिक अधिकार नहीं है कि इन कुर्सियों पर बैठ कर नीति की घोषणा करें'। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि संविद सरकार बनी रहे, श्री टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री बने रहें, क्या यह प्रदेश की जनता को चुनौती नही है? यह कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, यह तो प्रदेश की जनता का अपमान है। (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो मंत्री बैठे हुये हैं, हम प्रजातंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं और इस देश तथा प्रदेश में जनतंत्र के विकास को बढ़ाना चाहते हैं, वे अपने हृदय को टटोल कर देखें कि कौन सी प्रजातंत्र की मर्यादा है कि मुख्य मंत्री जी १६ हजार वोटों से पराजय होने के बाद आज भी अपनी गद्दी पर बैठे हुये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार की नीति की घोषणा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की है .....

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि केन्द्रीय राज्यसभा की सदस्या चुनाव हार जाने के बाद भी मिनिस्टर बनी रहीं ....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वे स्पष्टीकरण देना चाहें तो आप कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं अपने मित्र से कहूंगा कि जनता ने जो फैसला किया है उसको जरा ध्यान से सुनें।

श्री रामप्यारे—

राज्य सभा में केंद्रीय सरकार के कई मंत्री हार जाने के बाद भी बने रहे। तो यह कहां अधिकार रखते हैं ऐसी बात कहने का ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब बोलने वाले सदस्य बैठते नहीं हैं तो स्पष्टीकरण के लिये आपको छेड़ना नहीं चाहिये।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

झूठ बोल कर वोट लिया है । सौ-सौ एकड़ जोतने वाले समाजवादी हैं ।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि आज सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस मुख्य मंत्री की सरकार ने अपनी नीति घोषित की हो, वह सदन से गायब हो । सदन के सामने बैठने का आज उनको साहस नहीं है । गायब है । शायद आयेंगे भी नहीं । अगर वह सदन के सामने नहीं आसकते तो त्याग-पत्र आज क्यों नहीं घोषित करते ? आज मंत्रि परिषद् के कितने सदस्य यहां बैठे हुये हैं ? केवल दो या तीन केबिनेट स्तर के मंत्री यहां बैठे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बांकेलाल जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें । एक, दो बार तो मैं समझ सकता हूं लेकिन इस तरह बार-बार आप बोलने न दें, यह ठीक नहीं है ।

श्री बांकेलाल--

जोर-जोर से गरमी दे कर बोलेंगे तो मैं जरूर कहूंगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सरकारी पक्ष के नेता से कहूंगा कि वह कृपया बांकेलाल जी को शांत रखें । यह बाजार नहीं है । विधान सभा का कार्य इस तरह से नहीं चलेगा । मैं आपको चेतावनी देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज माननीय टी०एन०सिंह राज्य सभा के सदस्य हैं लेकिन उनको यह साहस नहीं है कि मुख्य मंत्री रहते हुये अपने आसन पर यहां बैठकर सदन का सामना कर सकें । कितनी ही बार मुख्य मंत्री पद से उन्होंने त्याग-पत्र देने की घोषणा की और अपने राजनैतिक जीवन को निष्कलंक रहने देने की अपील की । सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री के वह मित्र हैं । लाल बहादुर जी शास्त्री का उदाहरण माननीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता यहां पर बठे हुये हैं वह जानते हैं . . .

श्री बांकेलाल--

आपने जब पार्टी बदली थी तो आपने त्याग-पत्र नहीं दिया था तो आपको भी यह क्या नैतिकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उन्होंने यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मिसाल दी थी कि एक रेल दुर्घटना के होने पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया था । आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे राजनैतिक और प्रजातन्त्र के माप-दंड की क्या मर्यादा रह गई है ? हम प्रदेश के लियें क्या मिसाल कायम कर रहे हैं ? माननीय लालबहादुर जी शास्त्री के अनन्य मित्र, माननीय टी० एन० सिंह के बार-बार त्याग-पत्र देने की घोषणा करने के बाद, मनिराम के एलेक्शन में हारने के बाद आज तक उनका त्याग-पत्र नहीं हुआ है, क्या यह माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलन की बात है ?

[श्री नारायणदत्त तिवारी--]

यही नहीं, जो संविद के अन्य घटक हैं उनकी भी यह मांग बराबर रही है कि वे त्याग-पत्र दे दें। भारतीय क्रान्ति दल एक मुख्य घटक इस सरकार का है। उसके नेता भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह ने मनिराम एलेक्शन में हारने के बाद मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा। मैं उस पत्र के उद्धरण यहां पर पढ़ना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह लिखते हैं कि:

"Quoting Edmund Burke Charan Singh said, "Men are qualified for civil liberty in the exact proportion to their disposition to put moral chains upon their own appetites."

एडमंड बर्क को कोट करते हुए चरण सिंह जी ने कहा कि जो प्रजातंत्र है, जो स्वतंत्रता है उसी आधार पर और उसी पैमाने पर हम उसको रख सकते हैं जैसे कि हम अपनी भूख पर नैतिक जंजीर लगा सकते हैं। यह सरकार शक्ति की भूखी है। कितनी भूख है। जनता ने भारी बहुमत से उनको अस्वीकार कर दिया है लेकिन सत्ता की इतनी भूख है कि सरकार की कुर्सी से चिपके हुये हैं। इतनी उनको भूख है कि कुर्सी छूटती नहीं है। आगे इस सविद के मुख्य मन्त्री को चरण सिंह जी क्या लिखते हैं कि:--

"My friends and myself are therefore in complete agreement with your first reaction, namely that you should respect the decision of the ballote-box."

हम आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत हैं कि मतपेटी का जो फैसला है वह माना जायगा। इस पर बिलकुल एग्रीमेन्ट है। लेकिन इस्तीफा नहीं है। फिर उन्होंने कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया। यह हवाला चरण सिंह जी जैसे विधान के पडित ने दिया।

"You have referred to the Constitution, I may humbly point out however that just as the language a man may employ is always an incomplete vehicle of his thoughts and feelings, so is the language in which a constitution is written, an incomplete vehicle of the true spirit of democracy."

कैसे ही कोई व्यक्ति अपने विचार बतलाये वह अधूरा रह जाता है। ऐसे ही विधान में भी हर चीज नहीं लिखी जा सकती।

that is why every democratic country has devloped certain conventions which serve as a guide of Public Conduct in particular situations."

इसीलिए हर प्रजातांत्रिक देश में कुछ मान्यताएं बनायी गयी हैं। जो कि सार्वजनिक व्यवहार में और कुछ विशेष स्थितियों में निश्चित की जाती हैं। मुझे यह कहते हुये बड़ा दुख है और मैं किसी व्यक्तिगत लांछन के दृष्टिकोण से या आवेश में आकर नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कौन से सुन्दर भविष्य का और आदर्श का उदाहरण मानवीय मुख्य मंत्री जी या इस संविद सरकार के घटकों के मंत्री यहां जनता के सामने पेश कर रहे हैं? कौन से आदर्श और कौन सा आचरण वह उस के सामने रखना चाहते हैं? एस० एस० पी० दल ने और स्वयं श्री राज नारायण जी ने भी कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये, स्वतंत्र पार्टी के नेता जी ने और उनके घटक ने भी कहा कि मुख्य मन्त्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये। यहां तक कि संविद के तीन दलों ने और उनके घटकों ने कहा कि उनको स्तीफा देना चाहिये, स्वयं मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए।

बी० के० डी० के नेता कहते हैं कि और उनके दल की ओर से एक प्रस्ताव होता है कि उनको स्तीफा दे देना चाहिये लेकिन आज भी वह सरकार से चिपके हुये हैं।

(शेष-शेष)

मैं जानना चाहता हूं कि वह किन नीतियों को यहां कायम करना चाहते हैं और किन नीतियों को चलाना चाहते हैं? यह जनता के निर्णयों को आज एक चुनौती है। राजनीतिक

जीवन में कुछ भी हो लेकिन मान्यतायें और मर्यादायें अपनी जगह पर स्थित रहनी चाहिये वर्ना यह देश आप कहां ले जायेंगे। माननीय चरण सिंह ने ६ फरवरी को ११ लाइन का एक स्टेटमेंट दिया था वह तो बहुत ही मार्मिक है और वह बड़े मर्म को स्पर्श करता है। उन्होंने उसमें कहा था कि

"The B. K. D. members are unanimously of the opinion that Mr. T. N. Singh's conduct amounts to a breach of constitutional propriety, which bodes ill for future of democracy in the country."

अर्थात् माननीय टी० एन० सिंह द्वारा यह वैधानिक मान्यतओं का उल्लंघन है और यह प्रजातंत्र के भविष्य के लिये अशोभनीय है। इस से ज्यादा और सख्त शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। आज तो अपने ही प्रस्तावों और वक्तव्यों से यह सरकार गिर चुकी है, चाहे उसे इस सदन का बहुमत गिराये या न गिराये लेकिन जनता के सामने उस की नैतिक मर्यादाओं और आदर्शों का पूर्ण ह्रास हो चुका है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस बीच में यह सरकार चली और इसनें अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया? अभिभाषण के दूसरे पैरा में आप देखें स्वयं सरकार के लिये राज्यपाल जी कहते हैं कि "लोक सभा के अप्रत्याशित चुनाव के कारण सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम के अनुसार आगामी वर्ष के बजट को तैयार कराने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया"। इसके अर्थ यह है कि यह सरकार ही लोक सभा के चुनाव में लगी हुई थी, यह सरकार चुनाव में लगी रही, इस के मंत्री चुनाव में लगे रहे, उसकी सारी मशीनरी चुनावों में लगी रही, आप इसको समझे कि यह सरकार चुनाव में लगी रहीं, वह चुनाव लड़ती रही, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते रहे, सरकार अपनी मशीनरी के साथ सारा काम रोक कर चुनाव लड़ती रही, सरकार को और किसी काम का समय ही नहीं मिला, यहां तक कि बजट भी वह न बना सकी। कहीं ऐसा का हुआ है, मनीराम को छोड़ कर कौन-सा ऐसा चुनाव था जो इस सदन के लिये हुआ हो, लोक सभा चुनाव था, संसद के सदस्य लगे हुये थे, बात ठीक हो सकती है लेकिन यह सरकार और इसके मंत्री क्या कर रहे थे? सदन को यह जानने का अधिकार है कि बजट यह सरकार क्यों नहीं बना पायी?

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

केन्द्र में भी तो सरकार चुनाव लड़ी, वहां भी बजट नहीं बन सका, वहां भी वोट आन अकाउन्ट मांगा जा रहा है, वहां क्या बात थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य इलाहाबाद से कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, संसद के सदस्य चुनाव में लगे थे, वहां के मंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन विधान सभा के सदस्य मौजूद थे। यहां की सरकार मौजूद थी, इस सरकार का सेक्रेटेरिएट और वित्त विभाग मौजूद था तो उस के सामने बजट बनाने में क्या रुकावट थी, यह वह बतायें?

श्री रामगोपाल संड—

क्या केन्द्र से वित्त मंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया था? अब वोट आन अकाउन्ट इन्दिरा जी की सरकार क्यों मांग रही है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने एक बार पूछ लिया, वह स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते उसके बाद आप बार बार आग्रह करें....

श्री बांके लाल—

वह गड़बड़ बात सदन में क्यों करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

वह आपके प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो श्रीमन, मैं निवेदन कर रहा था कि यह सारी सरकार चुनाव में लगी हुयी थी, इसके बारे में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा गया है । क्या सचिवालय के सारे आफिस भी चुनाव में लगे हुये थे, क्या फाइनेंस मिनिस्टर भी चुनाव में लगे हुये थे जिसके कारण वे बच बजट नहीं तैयार कर सकें ? हुआ क्या, जिस दिन से संविद सरकार बनी उसी दिन से कोई काम नहीं हुआ । काम सरकार का चला ही नहीं । हजारों पत्रावलियां हमारे माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रियों के यहां पर पड़ी हुयी हैं । यह जनता सब कुछ देख रही है । हमारे सामने अस्थायी बजट आते हैं । माननीय राज्यपाल का अभिभाषण इतनी जल्दी में तैयार किया गया कि जो कार्यक्रम हैं, उनका भी स्पष्ट वर्णन नहीं है । सारी समस्या जो इस समय थी वह यह थी कि इस्तीफा दें या न दें । यह प्रश्न ३ माह से उठ रहा है कि इस्तीफा दें या न दें । मनीराम के चुनाव के बाद कुछ लोग कहते थे कि इस्तीफा दे दो और कुछ लोग कहते थे कि न दो । एक ओर जनता का मन मनीराम में डाला और फिर सारे देश और उत्तर प्रदेश में डाला और आज यह सरकार ज्वालामुखी पर बैठी हुयी है, इसमें चेतना नहीं है, गम्भीरता नहीं है और जनता को चैलेंज दे रही है । इंदिरा गांधी को चुनौती दी, जनता को चुनौती दी पर भविष्य में इतनी कृपा अवश्य कीजिये कि जनता से मत उलझिये । जनता भूलती नहीं है, सब देख रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ।

श्री बांकेलाल—

कभी कभी जनता मूर्खतापूर्ण निर्णय देती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

संविद सरकार का भविष्य क्या है ? सारे देश में, श्रीमन, संविद की जो थ्योरी थी जो चौदल (चौगुटा) बना उसकी थ्योरी और उसकी मान्यताओं को जनता ने समाप्त कर दिया । अब केंद्र में चौदल नहीं है । इनका कार्यक्रम भी एक नहीं है । न जनसंघ की एक नीति है, न सोशलिस्ट पार्टी की एक नीति है, न संगठन (कांग्रेस) पार्टी और न स्वतंत्र पार्टी की नीति ही मिलती है । तो आज यह सरकार भौंचक्के की सरकार है । स्टेट्स क्वो में ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं । कितनी बार इन्होंने सवा छः एकड़ लगान की माफी का जिक्र किया है, कितनी बार इन्होंने कहा कि पूर्वी जिलों, बुन्देलखंड के जिलों और पर्वतीय जिलों के लिये कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं । २ मास से जिक्र किया जा रहा है कि कारपोरेशन बनेगा, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक क्यों नहीं बन पाया है ।

पिछले मेरे बजट भाषण में भी इसका जिक्र है । इसके लिये पिछले साल के बजट में भी रुपया रखा था तो क्या कारण है कि १, १/२, २ साल हो गये हैं लेकिन यह अभी नहीं बन पाया है । यह कुंभकरणी सरकार साल भर तो सोई रही और अब कहती है कि अगले साल कारपोरेशन बनाया जायगा । केंद्रीय सरकार से अब भी झगड़े पूरे नहीं हुये हैं । एक औपचारिकता, एक फार्मेलिटी होती है । अगर उनमें यह सरकार कहती कि कि केंद्र में नयी सरकार हुयी है और अगर वह अच्छे काम करेंगी तो हम सहयोग देंगे । न, बस, अब भी केन्द्र से शिकायत केंद्र से झगड़ा करो, यह नीति रही है । हमेशा यह ध्यान रहा कि केंद्र से झगड़ा करें । यह ठीक है हमें अपनी मांगें रखनी हैं अपनी अवस्थायें रखनी हैं । लेकिन केंद्र से व्यक्तिगत झगड़ा, नेहरू जी से हमारा झगड़ा और इंदिरा जी से हमारा झगड़ा रहेगा, यह नीति रही है इनकी ।

आज भी श्रीमन्, कोई अक्ल इस सरकार को नहीं आई है । कोई भी चीज हो तो कहते हैं कि हमने केंद्र से मांग कर रक्खी है । हम विरोधी दल में भी हैं लेकिन समाजवादी दिशा की ओर ले जाने वाले जनता के निर्णय का हम आदार करते हैं, प्रदेश के फैसले का आदर करते हैं । इस सरकार को यह भी मान्य नहीं है कि वह सही बात के लिये भी कह सके कि हम केंद्र का साथ देंगे सही योजनाओं और सही कार्यों के लिये । आज जरूरत हमारे देश में ऐसी सरकार की है जो देश और प्रदेश की जनता के समाजवाद के निर्णय को देखकर उससे तालमेल बैठाकर चले, झगड़ा करके नहीं, तब योजनायें सफल हो सकती हैं । अगर समाजवाद का दृष्टिकोण केंद्र ने कुछ और रक्खा और प्रदेश ने कुछ और रक्खा तो कहां हम समाजवाद ला पायेंगे । इस सदन में मिलकर हमें, चाहें हमें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, शक्तियों का राजनैतिक ध्रुवीकरण करना है जिससे प्रदेश में सही नीतियों की एक स्थायी सरकार बन सके ।

श्रीमन्, चीनी मिलों की इसमें बात कही गई । चीनी मिलों के सहकारीकरण का सिद्धांत माना गया है और यह भी कहा गया है कि हम चीनी-निगम बनायेंगे । मैं फिर जवाब-तलब करना चाहता हूं कि सदन ने पिछले साल ७० लाख रु० मंजूर किया था कि टेक्स-टाइल कारपोरेशन और शुगर कारपोरेशन बनाये जायेंगे । सदन में यह बताया गया था और सरकार ने तय किया था कि किच्छा में चीनी मिल बनाया जायेगा, शुगर कारपोरेशन बनाया जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि कितना समय दिया जायेगा चीनी मिल मालिकों को जिन्होंने किसानों और मजदूरों का शोषण किया है ? आज इस सरकार के पीछे कई चीनी मिलों के ओनर्स हैं जिन्होंने प्रदेश के लाखों गन्ना पैदा करने वाले किसानों और मजदूरों को त्रस्त किया है और प्रदेश की औद्योगिक व्यवस्था को बदल दिया है ? हिम्मत नहीं है इस संबिद सरकार की । इसमें कुछ घटक चाहते होंगे लेकिन कुछ घटक ऐसे हैं जो कभी भी चीनी मिलों का सहकारीकरण नहीं होने देंगे । एक साल के लिये पिछले साल सरकार ने तय किया था कि चीनी मिलों का प्रदेशीयकरण रोका गया था, यह घोषणा हुयी थी ।

वीरेन्द्र वर्मा कमेटी रिपोर्ट बनाई गयी थी, वह आज तक छिपी हुई है, प्रकाशित नहीं की गई । उसमें यह कहा गया था कि साल भर के लिये पोस्टपोन किया जाता है । और आज जब साल बीत रहा है यह सरकार यह घोषित करती है कि हमने सिद्धान्त मंजूर किया है । इससे कितना नुक्सान होने वाला है । एक तरफ तो चीनी मिल मालिक फैक्टरियों में रुपया नहीं लगा रहे हैं, फैक्टरियों पर कर्ज बढ़ता जारहा है, फैक्टरियां मनमाने कर्मचारियों को नियुक्त कर रही हैं ताकि अगर कभी कोई फैक्टरी राष्ट्रीयकृत हो गयी तो कितना मुआवजा देना पड़ेगा, किस प्रकार कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, मिल खचड़ा हो जायेंगी । जिनको लागू करने की इच्छा नहीं हैं, शक्ति नहीं है, दिल नहीं है, शक्ति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, और ऐलान कर देना यह प्रदेश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के प्रति कितना बड़ा अन्याय है । यह ऐलान साबित करता है कि किस प्रकार यह सरकार पूंजीवाद की पोषक है । समाजवाद का नाम कुछ साथी लेते हैं । मैं आदर करता हूं, मैं मानता हूं उस पक्ष में कुछ लोग ऐसे जो ईमानदारी से समाजवाद के हामी हैं । मैं नहीं कहता कि समाजवाद मेरा एकाधिकार है । बहुत से लोग हैं उधर भी, लेकिन उनका वश नहीं चलता । आज उनको सामने आना चाहिये, आज हमारे सामने इस बात की चुनौती है कि हम देखें कि समाजवाद की ओर आगे बढ़े हैं या नहीं ।

एक घोषणा कर दी गई कि उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने में उत्तरोत्तर वृद्धि की जायगी । मजदूर कहां भाग ले रहे हैं प्रबन्ध में ? उत्तरोत्तर वृद्धि कहां की जाएगी ? सरकार को फुरसत ही नहीं है चुनाव से, स्तीफा दे कि न दे । लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेज-मेन्ट, हमारे प्रदेश में कहीं भी नहीं है । और लिखा है कि उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी । किसी ने इसको देखा? मालूम पड़ता है किसी ने जल्दी से ड्राफ्ट बना दिया और इस्तीफा दें कि न दे के झगड़े में जल्दी से पास हो गया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी–]

कह दिया गया कि पुल निगम बनाया जाएगा । यह ऐलान भी पिछले साल हो चुका । कितनी बार एलान होगा? पिछली साल इसका रुपया लैप्स हो गया । अब फिर कहते हैं कि बनायेंगे ।

इसी प्रकार पे-कमीशन भी एक मजाक हो गया है । यह लालीपाप की तरह से हो गया है । कभी बनाया जाएगा, कभी नहीं बनाया जाएगा । और वही लोग जो पे-कमीशन का विरोध करते हैं, स्कैप कर दिया था, वही कहते हैं कि बनाया जाएगा । कह दिया कि अन्तरिम सहायता दी जाएगी, १५ करोड़ रुपया रखा गया है । रुपया तो प्लान में ही ४० करोड़ रखा हुआ है, भाषण भी हो गया कि देंगे । कितनी अन्तरिम सहायता दी जाएगी, कितनी मंहगाई बढ़ेगी चपरासी की, अध्यापक की, कुछ नहीं बताया । ऐसा बेकार का, बिना विचार के बनाया गया भाषण, यह संविद की सरकार ही दे सकती है । अंतरिम सहायता को पे कमीशन से लिंक कर दिया गया । किसी ने यह नहीं सोचा कि अन्तरिम सहायता जो दी जाएगी वह पे के बारे में होगी, डियरनेस एलाउन्स के बारे में नहीं हागी । अन्तरिम सहायता जब पे कमीशन से लिंक होती है तो उसका मतलब होता है कि टोटल इमालूमेन्ट्स में, पे मे कुछ सहायता दी जाएगी, इनके डियरनेस अलाउन्स की सहायता को पे के साथ जोड़ दिया जायगा । और कहते हैं कि अन्तरिम सहायता दी जाएगी । एक मिनट भी नहीं सोचा कि हम क्या लिख रहे हैं, किस संदर्भ में लिख रहे हैं । डीयरेनस एलाउन्स को बढ़ाना, अन्तरिम सहायता, पे-कमीशन के रेफरेन्स में नहीं होता है.....

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

व्यवस्था का प्रश्न है । समय की कोई लिमिट निर्धारित है या नहीं? यदि है, तो माननीय सदस्य के लिए कितना समय है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज तक जो परम्परा रही है वह यह है कि विरोधी दल का नेता अगर राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलता है तो उसके लिये समय की कोई पाबन्दी नहीं है । और फिर टोका-टोकी होती है तो और भी समय दिया जाएगा । मैं समझता हूं कि जो बार-बार किसी को टोका जाय तो जब आखिरी बार टोका जाय तबसे समय माना जाय ।

श्री सूबेदार सिंह———

करीब ४० मिनट हो चुके हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य मैनपुरी अगर अपनी सरकार का स्तीफा दिलवा सकें तो मैं अभी बैठने को तैयार हूं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पे-कमीशन क्या होता है । इन्टरिम रलीफ को पे कमीशन के साथ एटैच कर दिया गया । डी० ए० के बारे में जिक्र न करक उसको पे कमीशन से जोड़ दिया गया है । इससे क्या सिद्ध होता है । मान्यवर, इसी प्रकार से बिजली के बारे में कहा गया है कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में इस संविद सरकार और उसके मुख्य मंत्री ने जो रुपया इसके लिये रखा है परन्तु उसका कोई कार्यक्रम नहीं निर्धारित किया है । उनकी नीतियों से कहीं यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस दृष्किोंण से वे समाजवाद चाहते हैं और समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं । मान्यवर, जनसंघ तो इससे कहीं दूर है और उसके रहते हुए यह सरकार इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है । यदि एस० एस० पी० के काबिल नेता चाहे कि यह संविद सरकार समाजवादी समाज की दिशा में आगे बढ़े तो वह कैसे बढ़ सकती है और साथही उसके दूसरे घटक स्वतंत्र पार्टी भी है जो इस लक्ष्य से कहीं दूर है । यह संविद सरकार किसी भी दशा में इस प्रदेश को उस दिशा में नहीं ले जा सकती है ।

इनकी जितनी योजनाएं हैं वे भी सभी दिशाहीन योजनायें हैं । अब डेवलपमेंट कार्पोरेशन की बात कही गई है । हमारे मित्र एक मंत्री जी इस पर बोले कि यदि हम इस डेवलपमेंट कारपोरेशन को बना देंगे तो यह काम क्या करेगा ? इस विकास बोर्ड की क्या उपयोगिता है ? मान्यवर, कोई विचारधारा नहीं है कि यह कार्पोरेशन क्या करेगा । यह डेवलपमेंट कार्पोरेशन पूर्वी जिलों में बन रहा है । क्या इसका लक्ष्य और एशोसियेशन है और इस कार्पोरेशन का कैपिटल कितना है ? न इसकी बजट में कोई रूपरेखा है और न उसका कहीं किसी बात से आभास होता है । ऐसी स्थिति में हम इससे क्या आशा कर सकते हैं ? फिर इसमें लिखा हुआ है बिजली की क्षमता के बारे में कि उसको बढ़ाया जायगा । इस बात को तीन स्थानों पर लिखा है । इसको कैसे बढ़ाया जायगा ? मेरा तो यह विचार है इसको दुबारा और तिबारा लिखा गया है और उसको अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की गई है ।

यह कहा गया है कि बिजली की कमी है परन्तु उस कमी को हम किस प्रकार से दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं यह नहीं बताया गया है । जब जनवरी मास में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि बिजली की कमी के कारण सभी संस्थाओं में २५ फीसदी की कटौती की जायगी चाहे वह किसान हो, उद्योग हों, कृषि हो, कोई भी हो, यह कटौती की जायगी । यह कटौती तो सरकारी आदेश की गई थी जो आज भी जारी है । क्या कारण है कि इस प्रकार से बिजली की कटौती की जायेगी ? इसको दूर करने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं । इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया केवल यह कहा गया कि कमी की जाय, परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि हम किस तरह से इसका समाधान करना चाहते हैं । यह सरकारी साधनों का ह्रास करने वाली सरकार है । कल के बजट भाषण में ३० करोड़ रुपयों का घाटा बताया गया । साथ ही कहते हैं कि प्रोफेशन टैक्स को माफ किया, अच्छा किया, सवा ६ एकड़ लगान को माफ किया, यह भी अच्छा किया । आप जिम्मेदारियां तो बढाते जा रहे हैं परन्तु पैसा कहां से आयेगा, इसका पता नहीं । केवल यह कह देते हैं कि केन्द्रीय सरकार को १०० करोड़ रुपयों के लिए लिखा गया है और हमारे पास कुछ नहीं है । क्या इस प्रकार सरकार चलती है ? खर्चा बढ़ता जा रहा है और हम साधनों का ह्रास करते जा रहे हैं । संसाधन लिये जायेंगे । कौन से साधन हैं जो होने वाले हैं । एस०एस०पी० ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि २ महीने के अन्दर यदि हम सरकार में आ जायेंगे तो फार्मस के ऊपर इंकम टैक्स लगायेंगे ।

Income-tax falling within the income-tax bracket. Of these items the first item should be implemented within three months.

यह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेनीफस्टो में कहा गया जिसकी मैंने एक मिसाल दी । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि कभी तो यह स्पष्ट होना चाहिये कि संविद सरकार के घटकों की क्या नीति है । वे संसाधन किस प्रकार जुटाना चाहते हैं । इस पर कोई डिस्कशन, कोई डाइलाग हमारी जानकारी में नहीं हुआ । इससे मालूम पड़ता है कि यह सरकार स्वतः जानती है कि हम ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं । ठीक है, एक अविश्वास के प्रस्ताव को मिड टर्म का भय दिखला दें लेकिन जो कंट्राडिक्शंस आपके अन्दर है उनसे प्रदेश को दिशा मिलने वाली नहीं है । मैं ज्यादा समय न लेते हुए बड़ी नम्रता, गम्भीरता और निर्वयक्तित होकर कहूंगा कि अगर जरा भी राजनीतिक शर्म है और जरा भी प्रजातंत्र के लिये अच्छी मान्यतायें छोड़ने में विश्वास है और अगर जरा भी प्रजातंत्र में विश्वास बाकी रह गया है तो छोड़े इस सरकार को । एक मिनट के लिये भी यह सरकार चलने लायक नहीं है ।

डा० लोहिया एक महान् आदर्शवादी विचारक थे । मैं उनका आदर करता हूं । लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं इस बारे में उनकी राय से सहमत न हो सका । नागपुर अधिवेशन में जबकि पट्टमथानम् पिल्ले की सरकार ने गोली चला दी थी तो यह कहा गया कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी-]

पट्टमथानम् पिल्ले की सरकार इस्तीफा दे लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पट्टमथानाम् पिल्ले की गल्ती नहीं है और वह क्यों इस्तीफा दें । इसी को लेकर सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ । आज वाराणसी में गोलीकांड होता है और ३० विद्यार्थी मारे जाते हैं लेकिन कोई कहने वाला नहीं कि यह सरकार इस्तीफा दे । इसी प्रकार जिन बुनियादी बातों को लेकर भारतीय क्रांति दल और कांग्रेस की मिली जुली सरकार टूटी थी, वे बातें आज भी विद्यमान हैं । लेकिन क्या कारण है कि जिन बातों पर भारतीय क्रांति दल और कांग्रेस का मिलाजुला मंत्रिमंडल टूटा था आज उन्हीं बातों का समझौता किया जा रहा है ? यह सब सोचने की बात है। टी०एन० सिंह राज्य सभा के सदस्य हैं। तीन हफ्ते रह गये हैं । उनकी इतनी बड़ी पराजय के बाद अखबार में एक वक्तव्य होता है कि अपने को खुद विधान परिषद में नामीनेट करायें, यह प्रजातंत्र के लिए कितनी शर्मनाक बात है । लेकिन संविद के घटकों में से कोई कहने वाला नहीं कि यह प्रजातंत्र के साथ क्या मखौल हो रहा है । मैं जानता हूं कि बांकेलाल जी जैसे सदस्य इन बातों से सहमत नहीं होंगे । यह बात अलग है कि वह मेरे विरोध के लिए विरोध कर रहे हों ।

श्री बांकेलाल--

यह कांड जानबूझकर बदनामी करने के लिए इंदिरा जी की तरफ से बनाया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जब हम जेल में थे तो एक शेर सुनाया था । वह शेर मुझे याद है:---

जी में आता है लगादूं आग कोहेतूर को,
फिर खयाल आता है मूसा बेवतन हो जायेगा ।

तो इसलिये ज्यादा मुझसे न कहलवाओ । श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक मेनडेट है और इस तरह इस सरकार का चलना उचित नहीं है । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो एक संविधान की मर्यादा है । यह एक मेनडेट है और इस प्रदेश की जनता की वह एक आज्ञा है । लोकसभा में जो चुनाव हुये वह एक मेनडेट है । उत्तर प्रदेश की जनता का जो मेनडेट है उसके अनुसार अब संविद सरकार और उसके मुख्य मंत्री अब चलने लायक नहीं हैं । इस सरकार की नीतियों पर विचार नहीं हो सकता है, वे नीतियां अमान्य हो चुकी हैं और इसलिये राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर मेरा संशोधन है । हम तो स्वयं भी राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे यहां सदन में आये और उन्होंने अभिभाषण दिया लेकिन उनका दिल स्वयं व्यक्तिगत रूप से कराह रहा था और उनको पीड़ा हो रही थी कि हम इस सरकार का अभिभाषण पढ़ रहे हैं जो जनता का विश्वास खो चुकी है और उसके मुख्य मंत्री जनता में विश्वास खो चुके हैं । यह एक संवैधानिक औपचारिकता थी कि उन्होंने अभिभाषण दिया । यह बात उनके दिल में भी आ रही थी । तो श्रीमन्, हम और आप राज्यपाल महोदय से कहें कि उनके अभिभाषण में जिन नीतियों का जिक्र हुआ है उन पर विचार नहीं हो सकता है और मुख्य मंत्री जी को इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिये । मुख्य मंत्री जी इस समय तो सदन में रहते । शायद कहीं उन्होंने इस्तीफा न दे दिया हो, पता लगायें ।

(मेजें पीटी गईं)

ऐसे शर्मदार नहीं हैं, उनके भाई कह रहे हैं । यह उत्तर प्रदेश की जनता की चुनौती है । इसको आप बल दें, नहीं तो इससे हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली का नुकसान होने वाला है ।

*श्री सूबेदार सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आज इस विषय पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया है । मैं अपने माननीय सदस्य, नैनीताल का भी बड़ा अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला जिनको कि स्वयं मैं भी बोलना चाहता था । श्रीमन्, यूं तो मैं इस धन्यजाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं लेकिन हमारे तिवारी जी जिस दिशा में संशोधन चाहते हैं मैं उन संशोधनों को तो नहीं, मगर उनमें कुछ परिवर्तन के साथ चाहता हूं ।

श्रीमन्, माननीय सदस्य, नैनीताल के भाषण से मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि वह कुर्सी प्राप्त करने के लिये कुछ ज्यादा बेचैन हो रहे हैं और उनको इस बात की घबराहट है कि इस प्रदेश में और देश में जिस तरह की लोकसभा के चुनावों में हवा बही हमें उसका फायदा जल्दी से जल्दी क्यों नहीं मिल पा रहा है । उनके दिमाग में एक बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है । मैं अपने माननीय सदस्यों से और इस सदन से बहुत सी ऐसी बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिनका संबंध आज के प्रजातंत्र, जनतंत्र और प्रदेश और देश से है । श्रीमन्, हमारे प्रजातंत्र की कुछ मान्यतायें हैं और उन मान्यताओं के ऊपर चलने का न केवल हमारा बल्कि हमारे दलों का और पूरे देश के उन लोगों का कर्त्तव्य है जो कि इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए हैं । मैं एक बात अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से लोक-सभा के चुनाव कराये गये हैं क्या वे वास्तव में जनतांत्रिक हैं ? क्या यह पर्चेज्ड और खरीदी हुयी डिमोक्रेसी नहीं है ? और क्या यह फोर्सस्ड डिमोक्रेसी नहीं है ? मैं आज बड़े ही साहस के साथ कहना चाहूंगा कि इस लोकसभा के चुनावों में जो भी जनतांत्रिक मर्यादायें हैं उन तमाम को एक ओर फेंक दिया और उन सब को एक ताक में रख दिया गया । जो लोग इस बात के हामी भरने वाले हैं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में उन्हें बहुमत सच्चे तरीके से मिला है और जनता ने उन्हें विश्वास दिया, गलत सोचते हैं । यह बिल्कुल झूठ है ।

साथियों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर और प्रदेश के विरोधी साथी दिल पर हाथ रखकर यह बतायें कि चुनाव आयोग द्वारा एम०पी० के चुनाव पर ३५ हजार के खर्च जो सीमा है क्या उसका रायबरेली में पालन किया गया है ? ३५ हजार रुपये से ज्यादा खर्च करना चुनाव नियमों के विपरीत है, चाहे उसे किसी कोर्ट में साबित न किया जा सके । क्या वे कहना चाहेंगे कि ३५ हजार से कम हुआ है ? उसमें कहीं ज्यादा खर्च हुआ है, क्या यह चुनाव के नियमों का उल्लंघन नहीं है ? मैं उसी चुनाव क्षेत्र की केवल बात नहीं कहता, प्रदेश क सारे चुनाव क्षेत्रों की बात कहना चाहता हूं कि जगजीवनराम वाली कांग्रेस के चुनाव प्रत्याशियों ने एक लाख से कम किसी भी क्षेत्र में खर्च नहीं किया है । यह पूरी तरह से जनतंत्र की हत्या है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश की अर्थ व्यवस्था, अर्थतंत्र क्या-क्या होगा ? जहां पर आपने लाखों-करोड़ों रुपया ब्लैक मनी का एलेक्शन में खर्च किया है । इतना ही नहीं, अब भी आपके साथी लोगों को पैसा देकर खरीद रहे हैं । अपने चुनाव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, केंद्रीय शासन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है ।

इस चुनाव में एक विशेष दल द्वारा चुनाव में जो अवैधानिकता और अनैतिकता बरती गई है, मैं चाहता हूं उसके लिए इस प्रदेशीय सरकार को एक जांच आयोग नियुक्त करना चाहिये था और राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी घोषणा होनी चाहिये थी । राज्यपाल महोदय को कहना चाहिये था कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जो अनियमितताएं बरती गई हैं उनकी जांच कराई जायेगी । इतना ही नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनाव में लगे सरकारी अधिकारियों को पैसे के बल पर खरीदा गया है उन्हें डिमोरेलाईज किया गया है कि वह उनकी पार्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूबेदार सिंह]

को मदद पहुंचाये। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह दोषी अधिकारियों को जिन्होंने एक दल विशेष को लाभ पहुंचाया है। इन दोषी लोगों ने न केवल अपना सक्रिय समर्थन इनकी पार्टी को दिया है बल्कि इन लोगों ने इनके पक्ष में जाली वोट भी डलवाये हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी पर जनता का विश्वास नहीं हो सकता है।

मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहूंगा कि सरकार को सी०आई०डी० विभाग द्वारा जांच करानी चाहिये और इसके लिए जो अधिकारी दोषी पाये जायं, उनको कम से कम सजा अवश्य मिलनी चाहिए ताकि इस देश में ब्यूरोक्रेसी जो चुनाव में दखलअन्दाजी करती है, उसको सबक मिल सके। चुनाव को जीतने के लिए केवल रुपया ही पानी की तरह नहीं बहाया गया केवल आफिसर्स को ही नहीं खरीदा गया, बल्कि अलीगढ़ और मुरादाबाद में जो कम्युनल दंगे हुए यह भी जानबूझ कर उत्तेजित किये गये केवल इसलिए कि विशेष-विशेष वर्गों का हमें वोट मिल सके। नियोजित ढंग से कुछ विशेष कम्युनिटीज, मुस्लिम और हरिजनों के वोट पाने के लिए धार्मिक और जातीयता का कम्युनल नारा लगाया गया और उनके वोट पाने की कोशिश की गयी। क्या यह एलेक्शन के नियमों का वायलेशन नहीं है? इस तरह से जो आप आज बहुमत बनाने के लिए व्याकुल हैं और कहते हैं कि प्रदेश की सरकार इस्तीफा दे, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी सरकार जनता की इच्छाओं के अनुकूल.....

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

मैं माननीय सदस्य महोदय से जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की राय में यह बात उचित लगेगी या नहीं कि हारने के बाद माननीय मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये?

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय सदस्य ने जानकारी चाही। कुछ इस जनतंत्र का और इस देश का सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य कहिये, मुझे मालूम है आपके नेता, माननीय कमलापति त्रिपाठी एक विशेष चुनाव क्षेत्र से हार गये थे तो उनको भी घर बैठना चाहिये था। दूसरे चुनाव क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़े? अगर किसी क्षेत्र विशेष की जनता किसी का बहिष्कार कर ही दे तो उसको भी अधिकार है कि वह दूसरे क्षेत्र में जा कर चुनाव लड़ सकता है और वह जनता का विश्वास प्राप्त कर सकता है। माननीय तिवारी जी नैतिकता की बात कर रहे थे। उन्होंने माननीय चौधरी साहब से मिल कर बी०के०डी० से मिलकर मिलीजुली सरकार बनायी थी। क्या उस वक्त बी०के०डी० की नीतियां और उनकी नीतियां एक थीं? और आज भिन्न हैं? मैं यह पूछता हूं कि उस चुनाव के मैदान में डी०एम०के०, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह के साम्प्रदायिक दलों से आपका गठबंधन था, क्या आपकी और उनकी नीतियां एक हैं? अपनी क्रिएटिव मैजारिटी लाने के लिए जो भी नैतिक और वैधानिक नीतियों का अतिक्रमण किया जा सकता था आपने किया। आज आपको हक नहीं है कि प्रदेश की सरकार से इस्तीफा मांगे। मुझे तकलीफ है। माननीय तिवारी जी ने मेरी बातों को पूरा सुना नहीं। आप गम्भीरता से सोचें कि आज जिन्दगी में हम देश में और प्रदेश में किस तरह से स्वस्थ प्रजातंत्र रख सकते हैं।

जहां तक पार्टी का सवाल है, बी०के०डी०, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी का जहां तक उनके कार्यक्रम का सवाल है उनकी एक पालिसी है। लेकिन आज जो धोखाधड़ी हुयी है। उस धोखाधड़ी के आधार पर अगर मिडटर्म पोल होता है और आप समझते हों कि उसमें बहुमत ले आएगें तो बहुमत नहीं ला सकते। जनता जागरूक है जो गलत प्रचार करके बहुमत बनाया गया है, वह हवा बिल्कुल साफ हो लेगी। अगर माननीय सदस्य, ननीतालाल कहते हैं कि उधर समाजवादी लोग हैं,

प्रगतिशील लोग हैं । दोनों तरीके से, बड़े पैमाने पर डिफेक्शन कराने की चाल चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कैसे प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी। मेरे दिमाग में तो कभी-कभी यह भी आता है कि 'वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी क्रुसिअल पीरिअड' और ऐसे समय में प्रजातंत्र कायम भी रह सकेगा अथवा नहीं ? जब देश और प्रदेश के नेतागण गलत रास्ते अपनायेंगे और गलत रास्ते पर डेमोक्रेसी को चलायेंगे तो कैसे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम रह पायेंगी ?

मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से हमारे नेतागण गलत नीतियों को अपनाते गये तो उसका जवाब समय तैयार करेगा जिसकी कि शुरुआत विप्लवी बंगाल में हो गयी है, हमारा प्रदेश अभी तैयार नहीं है। अगर यहां पर भी इसकी अवैधानिक बातें नहीं छोड़ी गयीं, तो यह प्रदेश भी विप्लवी बंगाल की तरह जवाब देने के लिये खड़ा हो जायेगा । मैं नहीं समझता कि इस तरह से गलत तरीके अपनाकर कैसे समाजवाद आयेगा ? माननीय सदस्य, नैनीताल बहुत बेचैन थे, उन्होंने जितनी बातें कहीं उनमें आवेश बहुत था, वास्तविकता कम थी । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह सरकार तो बराबर आती और जाती रहेंगी लेकिन हमारी परम्परायें और आदर्श सदा कायम रहेंगे। अगर हम स्वस्थ परम्परायें और आदर्श कायम करेंगे तो जनतंत्र आगे बढ़ेगा, वरना यह समाप्त हो जायगा। किसी भी देश में जो चुनाव कराने की मशीनरी होती है वह इम्पार्शियल होती है, लेकिन हमारे यहां जब से कांग्रेस मे विभाजन हुआ है, चुनाव चिन्ह पर झगड़ा हुआ है, हमारे यहां का चुनाव आयोग एक पार्टी के रूप में और एक पार्टी के हित के रूप में, उसके समर्थक के रूप में काम करने लगा है। जनता के लिये यह सोचने का विषय है । इलेक्शन कमीशन पर हमारा विश्वास नहीं रह गया है । हमारा विश्वास उन लोगों में भी नहीं है जो यहां पर इलेक्शन कन्डक्ट करते हैं ।

अभी कल ही मुजफ्फरनगर जिले में, जहां से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़े थे, एक प्रीसाइडिंग आफिसर मेरे पास आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि जितने मतपत्र (वोट) उनको दिये जाने चाहिये थे, उससे कहीं अधिक वोट उनको दिये गये । उन्होंने कहा कि उनको इतने वोटों की जरूरत नहीं है, उनसे कहा गया वे ले जायं, जैसे चाहें यूज करें, वोटों की आप फिक्र न करें, आप जिस तरह से चाहें यूज करें । मैं, अगर जरूरत पड़ेगी, तो उन लोगों को पेश भी कर सकूंगा । आपको नहीं मालूम है कि कितने वोट छपे, कितने पड़े । श्रीमती इन्दिरा गांधी इस चुनौती को स्वीकार करें कि यह फर्जी मतदान हुआ है, फर्जी मतों के ऊपर बहुमत बनाया गया है और अगर निष्पक्ष चुनाव वे चाहती हैं तो फिर से इलेक्शन करा कर देखें । (व्यवधान)

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय सदस्य से मैं एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं । माननीय सदस्य जो इस तरह की बात कर रहे हैं और जो वे भाषण दे रहे हैं, क्या वे अपनी हार के लिये जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गयी है, उस शर्म के फफोले को फोड़ रहे हैं ? उनको तो अपने ऊपर, शर्म आनी चाहिये और उन्हें विधान सभा से इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि लोकसभा के एलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हो गयी है और वहां की जनता ने उनको ठुकरा दिया है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मेरे दोस्त को शायद जानकारी नहीं है । उनको मालूम होना चाहिये कि मेरी जमानत जब्त नहीं हुई है और जो कुछ आपने मेरे लिये कहा, आपका खयाल गलत है । यदि ऐसी बातों की जानकारी न हो तो अच्छा होता कि माननीय सदस्य इस तरह की गलत बातों को यहां न कह कर मुझसे पहले पूछ लेते । क्योंकि इस तरह की झूठ बात कहना माननीय सदस्य के लिये कोई अधिक शोभा की बात नहीं है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

आप भी तो सही नहीं कह रहे हैं ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं अपनी समझ से सौ प्रतिशत सही बात कह रहा हूं क्योंकि अपनी बात मैं अधिक जानता हूं । एलेक्शन कमीशन ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की कि यहां कितने वोट पड़े । इसके बाद काउंटिंग में भी बड़ी गड़बड़ी हुई । बिना एलेक्शन नियमों में परिवर्तन किये हुए सारे के सारे वोटों को एक साथ मिला देने की प्रणाली चलायी गयी जो इसके पहले कभी नहीं हो पाया था ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, माननीय सदस्य जो भाषण कर रहे हैं, इससे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्दिरा जी भी यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिये उनके बारे में कोई बात कहना उचित नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह—

ऐसा मालूम पड़ता है कि आप वोटों की गिनती की प्रणाली में अपनी डिक्टेटरशिप जब चला सकते हैं तो मुझे या और लोगों को भी यहां बोलने का हक है और हम अपनी भावनाओं के अनुसार अपने विचार यहां व्यक्त कर सकते हैं । सही बात है कि नियंत्रण रहना चाहिये । किसी दिन आपका नियंत्रण हो गया तो आपके नियंत्रण को मैं मानूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय मैं आपके सबार्डिनेशन में नहीं हूं और मुझे बोलने का हक है। काउंटिंग की स्थिति यह रही जिससे मालूम होता है कि वोट जो मिले वे नियोजित ढंग से नहीं मिले हैं बल्कि फर्जी तरीके से एक बहुमत बनाया गया है जिसमें झूठ का सहारा लिया गया है । और वह भी इस तरह से हवा पैदा करने की कोशिश की गयी जिससे उनको लाखों का बहुमत मिल जाय। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि इस तरह की हवा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है । (व्यवधान) अगर आप ६ महीने या दो महीने बाद ही एलेक्शन के मैदान में जायेंगे तो जो हवा बनी हुई है, वह समाप्त हो जायेगी और जनता में जो इस तरह की बातें बनायी गयी हैं, उन पर वह विश्वास नहीं करेगी ।

हमारे माननीय सदस्य, नैनीताल ने एक बात और कही थी कि क्या यही हमारी नैतिकता और मान्यता है ? हमारी सरकार की नैतिकता और मान्यता का पतन हो चुका है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने मुख्य मंत्री की हैसियत से आपके सारे मंत्रियों से इस्तीफा मांगा था तो क्या उस वक्त उनको कुर्सियों से नहीं हटना चाहिये था ? और क्या उस वक्त नैतिकता नहीं थी ? मैं यह समझता हूं कि शायद हमारे माननीय सदस्य, नैनीताल इस कुर्सी पर विराजमान रहते तो हमारे जितने भी अपराध हैं वे शायद क्षमा हो जाते । किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिये संयम से रहना आवश्यक होता है । आज जनता देख चुकी है कि ये अधिक समाजवादी नहीं है । इसके पहले वे मंत्री रहे, उनकी सरकार रही तब क्यों नहीं उन्होंने जो अभी समाजवादी कार्य करने का जिक्र किया और उसकी अधिक चर्चा की, उसको किया ? आखिर वे कौन सा समाजवाद लायें ? और जनता इस बात को भी देखेगी कि लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश को कौन सा समाजवाद देती है ? झूठे नारों की बदौलत जनतंत्र नहीं चल सकता और उसे फेस करना होगा । मेरा यह सुझाव है कि जो अनियमितताएं अथवा कम्युनल बातें एवं इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियां हुई . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इलेक्शन कमीशन के बारे में आप टीका न करें तो अच्छा होगा ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, उसको जिस प्रकार से पर्चेज किया गया, डिमारेल्लाइज किया गया किन्हीं लालचों व परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इसके लिये एक निष्पक्ष जांच आयोग की नियुक्ति करे और कम से कम प्रदेश के अन्दर जो इस किस्म की अवैधानिकतायें तथा अनियमितायें हुई हैं उनक लिये जो सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी पाये जायं, उनको कड़े से कड़ा दंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो संशोधन है ये सब पेश किये गये माने जा रहे हैं।

(अन्य माननीय सदस्यों के संशोधन जो उपस्थित किये हुए माने गये, के लिए देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११७-१२४ पर)

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी हमारे भाई सूबेदार जी बोल रहे थे। उन्होंने इलेक्शन के विषय में बहुत सी शिकायतें कीं। वह पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे और उसमें वह हार गये उसके लिये मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर जो दोषारोपण किया कि उन्होंने पक्षपात किया, इसके लिये माननवर, मैं तो समझता हूं कि जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने निष्पक्षता, ईमानदारी व परिश्रम के साथ काम किया और इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से सम्पन्न किया। यह दोषारोपण तो हमको करना चाहिये था। ये कर्मचारी भले ही इलेक्शन कमीशन की आज्ञा को मानते रहे हों, लेकिन वे सभी अधिकारी व कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन थे और उस राज्य सरकार में संविद के सभी घटक सम्मिलित हैं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो यह सरकार उसके लिये जिम्मेदार है और उसके लिये जो कार्यवाही वह करना चाहे, कोई आयोग बैठाना चाहे तो वह कर सकती है। उसका दोष इस तरफ नहीं है, कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका दोष उसी पक्ष पर है।

प्रस्ताव को पेश करते हुए मेरे साथी, राम सिंह जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि भूमिहीनों को जमीन देने की व्यवस्था की जायगी। यह भूमिहीनों को जमीन देने की बात बहुत दिनों से चली जा रही है लेकिन वह चीज ज्यों की त्यों है। श्री चन्द्रभान शर्मा ने अपने भाषण में यह शंका व्यक्त भी की कि भूमिहीनों को जमीन देने की जो बात कही गई है, क्या वास्तव में उनको जमीन मिल सकेगी? होना तो यह चाहिये था कि जो खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये। यह जो भूमिहीनों को जमीन देने की परिभाषा है यह अस्पष्ट है। इसमें जो जैसे पहले भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल सकी वैसे ही अब भी नहीं मिल सकेगी। मैं भाई रामसिंह जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है उसकी धारा १६८ में प्राथमिकता दी गई थी कि किस क्रम से भूमिहीनों को जमीन दी जायेगी और किस तरह से ग्राम समाज की जमीन का वितरण होगा। उस समय यह निर्धारित किया गया था कि भूमिहीनों और हरिजनों को दूसरे स्थान पर रखा जाय और उन्हें दूसरे स्थान पर जमीन दी जायेगी। किन्तु अब इसी सरकार ने जिसकी कि प्रशंसा की जा रही है, वह एक संशोधन लायी और जो प्राथमिकता दूसरे स्थान पर उन्हें दी जा रही थी उसे हटाकर ६ठे स्थान पर कर दिया है। और तब भी कहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज हो वह अस्पष्ट नहीं होनी चाहिये। यह अनुभव हो रहा है कि जो जमीन वाले लोग हैं वे अपने लड़के-लड़कियों और अपने परिवार के लोगों को जमीन दे देंगे और जिनका कि कागजात में नाम भी नहीं है, वे इस जमीन को हड़प लेंगे।

[श्री माता प्रसाद]

(इस समय २ बजकर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुये ।)

एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय राम सिंह जी ने हरिजनों के रिजर्वेशन के बारे में कहा है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि तृतीय श्रेणी में २५ प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत का रिजर्वेशन हरिजनों के लिये है तथा कुछ में ३५ प्रतिशत रिजर्वेशन की घोषणा हुई है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ३ मार्च, १९६४ को जब यहां पर माननीया सुचेता कृपालानी मुख्य मंत्री थीं उस समय एक जी० ओ० निकला था कि जिसमें यह था कि हरिजनों को तृतीय श्रेणी वालों को २५ प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी वालों को ४५ प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है । उसके बाद गुप्ताजी की सरकार आयी । उसमें भी यही कहा गया था कि और आज भी वही कहा जा रहा है कि २५ और ४५ प्रतिशत रिजर्वेशन, की व्यवस्था की जा रही है । केवल ऐसा कह देना कि हमने इतनी-इतनी रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है, इससे हरिजनों की आवश्यकतायें पूरी नहीं होंगी । और उनका पेट भर नहीं जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में तो यह होना चाहिये कि आप जितना कहते हैं उतना तो अवश्य कार्यान्वित करने की कोशिश होनी चाहिये अन्यथा तो यह कह देना कि ६० प्रतिशत या ८० प्रतिशत हमने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन कर दिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है । अतः मैं आपकी सरकार से मांग करता हूं कि आप हरिजनों के सम्बन्ध में तो बार-बार कहते हैं कि हमने उनके लिये रिजर्वेशन कर दिया है किन्तु जो कुछ कहा जाय उसे करके अवश्य दिखायें ।

मान्यवर, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हमारे प्रदेश में जो मेडिकल कालेजेज हैं उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन करने का निर्णय सरकार ने लिया है । मैं माननीय राम सिंह जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन कालेजों में भी हरिजनों के एडमिशन के बारे में कितनी धांधलेबाजी की जाती है । मैं इस सम्बन्ध में आपको कुछ आंकड़े सुनाना चाहता हूं । हमारे लखनऊ में जो मेडिकल कालेज है उसमें १०३ सीटें हैं और यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के और लड़कियां आज केवल ५ रखे गये हैं इस प्रकार उनका प्रतिशत केवल २–७५ ही आता है । इसी प्रकार कानपुर में १०४ में से ६ रखे गये हैं, आगरा में ६४ सीटों में ४ रखे गये हैं और इलाहाबाद में ५५ में केवल ३ विद्यार्थी ही रखे गये हैं । इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत स्थान आपने हरिजनों को दिये हैं । मैं चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है और जो सरकार उनको अनुदान देती है तो इन हरिजनों का उसी प्रतिशत से एडमिशन होना चाहिये ।

अभी माननीय चन्द्रभान शर्मा जी ने अपने भाषण में बोलते हुये कहा कि शिक्षा-संस्थाओं में हरिजनों की संख्या बढ़ायी जाये मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं । आज की शिक्षा संस्थायें एक तरह से व्यापार का रूप धारण किये हुये हैं और उनमें अपने अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को रखा गया है । इसकी जिम्मेदारी आप पर है । आप उन्हें ग्रान्ट देते हैं । तो मैं कहूंगा कि जो रिकाग्नाइज्ड स्कूल्स हैं या कालेज हैं या शिक्षण संस्थायें हैं उन सभी में हरिजनों को रिजर्वेशन के हिसाब से स्थान देने की व्यवस्था करें । उसमें भी हरिजन अध्यापक कम-से कम जितने भी रखे जाते हैं, उनको भी रखना चाहिये और इसकी अनिवार्य रूप से व्यवस्था करें । अगर कोई शिक्षा संस्था पालन नहीं करती है इन नियमों का तो उनकी ग्रान्ट बन्द की जा सकती है, मैं समझता हूं, राम सिंह जी इस सम्बन्ध में अपनी सरकार को परामर्श देंगे कि सरकार इस काम को करे ।

हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले, बुंदेलखंड, पर्वतीय भाग के विकास की भी बात कही गयी है कि असंतुलन बढ़ गया है और हम संतुलन स्थापित करेंगे । सरकार की तरफ से यह दोषारोपण किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार क ऊपर ही सारी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन की है । मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता । जो भी कारण हो, लेकिन उत्तर प्रदेश

के पिछड़ेपन का कारण चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, सभी दोषी हैं, सभी की जिम्मेदारी है, कोई भाग नहीं सकता । यहां के लोग कह दें कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार कहे कि प्रदेश की सरकार की है । मैं समझता हूं कि प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी यहां की सरकार और वहां की सरकार की भी है और जो भी सरकार में रहे हैं उनकी है । यह कह दिया जाता है कि हम एक अरब रुपया मांग रहे हैं । होना यह चाहिए कि मुख्य मंत्री जी को कोई योजना बनानी चाहिये पूर्वी और अन्य अंचलों के लिए । विधायकों की एक मीटिंग मुख्य मंत्री जी ने की थी, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये थे । अच्छा होता कि उनको कार्यान्वित किया जाता और बजाय पिछड़ेपन के लिए केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराने के कोई योजना बनाकर के केन्द्रीय सरकार के पास भेजी जाती कि कितना धन राज्य सरकार खर्च करने के लिए तैयार है और कितना केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी । अगर ऐसी कोई योजना बनायी जाय तो हम लोगों को समर्थन करने में कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन हमेशा केन्द्रीय सरकार की दोषारोपण कर देना बिलकुल अनुचित है और अपनी जिम्मेदारी से भागना है ।

इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल ने बिजली के रेट के विषय में बताया कि संशोधन होगा । पिछली बार हमारे नेता जी, कमलापति त्रिपाठी जी ने बिजली के रेट के बारे में एक सुझाव दिया था । खुशी है कि सरकार उस पर विचार करना चाहती है कि एक न्यूनतम सीमा मात्रा की होनी चाहिये कि उस पर कितना रुपया लिया जाता है । आज थोड़ी सी भी बिजली खर्च करने पर बहुत काफी रुपया किसान से लिया जाता है । तो शीघ्रातिशीघ्र सरकार को एक निश्चित मात्रा और रेट तय करना चाहिये जिससे किसानों को सिंचाई और कृषि की उन्नति में जो असुविधा हो रही है वह दूर हो सके ।

मान्यवर, अध्यापकों के लिये यह सरकार कुछ करने जा रही है, मैं समझता हूं यह अच्छी बात है । लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि जो कालेज और स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट के अन्डर में चल रहे हैं, सरकार को उन पर अधिक नियन्त्रण रखना चाहिये । अगर सरकार अभी उनका राष्ट्रीयकरण न कर सके तो कम से उस रुपये को देखते हुए जो वह उन पर खर्च करती है, प्रधानाचार्य और लिपिकों का तो जरूर राष्ट्रीयकरण कर दें । प्रान्त में वे एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानान्तरित हो सकें, ऐसा कर दिया जाय । प्राइमरी शिक्षा में अध्यापकों पर बहुत दबाव होता है । जिला परिषद् उनके साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं । प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का जौनपुर में करीब ७–८ लाख रुपया बकाया है । कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि अध्यापकों का वेतन समय से मिल सके । ट्रेन्ड के स्थानों पर अनट्रेंड अध्यापक रखे जा रहे हैं और ट्रेन्ड बेकार बैठे हुए हैं । अगर जिला परिषद् उनको नहीं चला सकती हैं तो सरकार प्राइमरी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे, जिससे बच्चों की शिक्षा सुचारु रूप से चल सके ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की बात कही गयी है जिनमें सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी और टीचर्स हैं लेकिन पंचायत राज्य के उन कर्मचारियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है जो पहले लोकल बाडीज में थे । इनमें पंचायत सेक्रेटरी और जिला परिषदों के क्लर्क हैं । वे न तो सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं और न स्थानीय निकायों के कर्मचारी । अतः मेरी प्रार्थना है कि यह जो आयोग नियुक्त होने वाला है, उसमें इनको भी सम्मिलित कर लिया जाय । यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन मान और महंगाई भत्ते में अन्तर है । मेरा विचार है कि समान काम करने वालों का वेतन मान और मंहगाई भत्ता समान ही होना चाहिये । क्योंकि वे एक ही जगह से उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं ।

शान्ति व्यवस्था रखने में यह सरकार सफल रही है, ऐसा अभिभाषण में कहा गया है लेकिन जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश में इस तरह की चीजें पैदा की गयीं

[श्री माताप्रसाद]

जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हुई है । चाहे वह वाराणसी हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे इलाहाबाद हो और चाहे मुरादाबाद में हो, शान्ति व्यवस्था भंग हुई है और यह सरकार उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती ।

और जैसा कि अभी कहा गया कि गोलीकाण्ड वाराणसी में हुआ और कई लड़कों की जानें गईं । इसके संबंध में कोई कमीशन बैठा हुआ है । ये सभी चीजें असन्तोषजनक है । शान्ति व्यवस्था की तारीफ की जा रही है लेकिन डकैतियां प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं तथा कत्ल और बलवे बढ़ रहे हैं । इस तरफ कड़ाई होनी चाहिये क्योंकि सरकार के लिये यह उचित नहीं है ।

एक बात कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं कि सरकार कहने के बजाय करके दिखाये । अभी माननीय रामसिंह जी ने कहा था कि हरिजनों के लिये एक आयोग नियुक्त करने की बात की जा रही है । हमें इसकी खुशी है लेकिन ऐसा न हो कि आयोग नियुक्त हो जाये और उसकी रिपोर्ट आ जाय । लेकिन किया कुछ न जाय । हमें इससे नहीं संतोष हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं एक बार राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आई, दूसरी बार जुगलकिशोर कमीशन की रिपोर्ट आई हरिजनों के संबंध में लेकिन हुआ कुछ नहीं । इस तरह की बातों से हमारा पेट भरने वाला नहीं है । कार्य किया जाय केवल कहा न जाय । इन शब्दों के साथ जो तिवारी जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री रामगोपाल संड---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । उधर से अनेक बातें कहीं गई, गम्भीर आरोप लगाये गये । मैं उस दल के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय माननीय तिवारी जी वित्त मंत्री थे उस समय उन्होंने कोई भी जनता की भलाई का काम नहीं किया । संविद सरकार को बने अभी केवल ५ महीने हुए हैं । उसने जो नीति तय की थी उसके अनुसार अनेक काम कर दिये हैं । यद्यपि उनमें कुछ खामियां हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है । मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार उनको पूरा करेगी ।

हमने निश्चय किया था कि हम पेशा कर समाप्त करेंगे, मध्यम श्रेणी के लोगों को तथा अध्यापक वर्ग को राहत देंगे । उस कर को सरकार ने समाप्त कर दिया १८ दिसम्बर को । माननीय तिवारी जी ने तथा राजेन्द्रकुमारी जी ने उसका विरोध किया कि यह समाप्त नहीं कर पाये, यह आंसू बहाते हैं । यह संविद सरकार का सौभाग्य है कि हमारे शासन में आने पर पेशा कर समाप्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त हमने तय किया था कि ६० हजार अध्यापकों को हम मैनेजरों के चंगुल से छुड़ायेंगे । अभी माननीय माता प्रसाद जी ने उसका जिक्र किया ।

मैं कांग्रेस के शासनकाल में कई बार जेल गया हूं कभी राज्य कर्मचारियों के लिये और कभी अध्यापकों के लिये । हमने अध्यापकों के लिये आन्दोलन किया था और हम लोग जेल गये थे । उस समय सरकार में वही लोग थे, जो उधर बैठे हैं । उस समय माननीय गोपाला रेड्डी ने समझौता किया था । लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हुआ । उस समय माननीय नारायणदत्त जी तिवारी और माननीय सी० बी० गुप्त ने अध्यापकों के लिये कुछ नहीं किया । जब हम लोग बैठे तो हमने माननीय चरणसिंह जी को बी०के०डी० के लोगों को समझाया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अध्यापकों को वेतन सरकारी खजाने से या चैक द्वारा बैंक से दिलवाना चाहिये । हमने ६० हजार अध्यापकों को सरकारी खजाने से या चैक द्वारा बैंक से वेतन दिलाने की व्यवस्था की है । सरकार दो करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है । मैं अध्यापकों के आन्दोलन में कई बार जेल गया हूं । सरकार का यह बढ़ता हुआ कदम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे जब संविद बनाई गई थी तो यह निर्णय किया था। समाजवादी भाई जेल गये थे और जनसंघ ने भी मांग की थी कि सवा छै एकड़ तक या इससे कम जमीन जिनके पास है, जो कोई आमदनी नहीं कर सकते हैं, उनसे किसी प्रकार का कर न लिया जाय। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कोई उत्तेजना नहीं पैदा करना चाहता हूं, जब आप इधर बैठते थे तो आप भारतीय क्रान्ति दल को, चरण सिंह जी को नहीं समझा पाये। हमने बड़ी नम्रतापूर्वक उनके प्रजातांत्रिक मन को समझा कर सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करने के लिये मजबूर किया। आप कहते हैं कि हम पिछड़े हुये हैं, हमारे पास कोई आर्थिक प्रोग्राम नहीं है, संविद कुछ करना नहीं चाहती। हमने २२ करोड़ रुपये की राहत उत्तर प्रदेश के उन किसानों को दी है जो प्रदेश में ८० फीसदी है। शास्त्री जी की दुहाई दी गई। जो काम आपने नहीं किया उसका सेहरा हमारे ऊपर बंधा और सवा ६ एकड़ के लगान को माफ किया। राज्यपाल ने एक चरण और बढ़ाया। उन्होंने घोषणा की है कि आगे आने वाले काल में हमारा मंत्रिमंडल सरकारी वकीलों को इस प्रकार का निर्देश देगा कि बहस हिन्दी में करें।

अभी, मान्यवर, तिवारी जी ने लोहिया साहब की दुहाई दी और कहा कि लोहिया साहब बड़े प्रजातांत्रिक थे। लोहिया साहब गरीबों की लड़ाई लड़ते-लड़ते स्वर्ग चले गये। जनसंघ के डाक्टर रघुवीर दुर्घटना में मर गये। देश के वह २८ करोड़ लोग जिनकी आमदनी नहीं बढ़ पायी और जिनमें से ६ करोड़ उत्तर प्रदेश के वह पिछड़े वर्ग के लोग होंगे जिनकी आमदनी २० पैसे रोज है, उनके संबंध में लोहिया जी का वह ऐतिहासिक भाषण जब संसद के अन्दर हुआ तो हम लोग जनसंघ के अन्दर हैं लेकिन हमने लोहिया जी की प्रशंसा की। तो यह कहना कि समाजवादी दल के लोग आज जनसंघ के साथ बैठते हैं, भारतीय क्रान्ति दल के साथ बैठते हैं इसलिये वह प्रगतिशील नहीं हैं और प्रगतिशीलता का सेहरा उधर के लोगों को ही है, उचित नहीं है। हमने लोहिया जी के पदचिन्हों पर चल कर जिस समाजवाद की बात नेहरू जी ने आवड़ी, भुवनेश्वर और नागपुर में की थी उसी को लाने के लिये सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ किया है। साथ ही यह घोषणा की है कि हम जनता को सस्ता न्याय देंगे और हमारे वकील राष्ट्र-भाषा हिन्दी में बहस किया करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले २३ साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ, संविद के शासनकाल में ही यह घोषणा क्यों हुई ?

जब नारायण दत्त जी वित्त मंत्री थे तो मैं उनके कक्ष में यह मांग लेकर गया कि केन्द्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन और महंगाई-भत्ते में जो अन्तर है, वह समाप्त किया जाय। तिवारी जी यहां के राज्य कर्मचारियों के अध्यक्ष थे पिछले दिनों और जब उनका जलसा इलाहाबाद में हुआ था तो मैं स्वागताध्यक्ष था लेकिन जब तिवारी जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी और आज जब संविद सरकार ने एक पे-कमीशन नियुक्त किया तो उसके बारे में शंका प्रकट की जा रही है। कैलाश प्रकाश जी ने घोषणा की है कि हमने १५ करोड़ रुपये अन्तरिम राहत देने के लिये निश्चित किया है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त को सरकार ने पिछली जनवरी में एक वेतन आयोग बैठाया था लेकिन जब तिवारी जी चरणसिंह जी के साथ कुर्सी पर आये तो वह आयोग भंग कर दिया गया। हम आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक जनसंघ, समाजवादी दल और बी० के० डी० के लोग हैं यह तृतीय वेतन आयोग जो राज्य कर्मचारियों के लिये बैठाया गया है उसकी जितनी भी सिफारिशें होंगी वह कार्यान्वित की जायेंगी। केन्द्र में आपकी सरकार है। आज यहां का कर्मचारी क्यों आन्दोलन करता है। आप मनमाने ढंग से केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है।

मूल्यांक बढ़ता है तो महंगाई-भत्ता मिलना चाहिये। मगर आपके पास केन्द्रीय सरकार है। आप नोट छाप सकते हैं। बैंक में सोना नहीं रखते हैं तो इससे दाम जरूर बढ़ जाते हैं पर आप उनको देते हैं। मगर जब यहां प्रदेश के कर्मचारियों के नेता, श्री पी० एन० सुकुल या तुषारकान्ति घोष यह मांग करते हैं कि यहां के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्तर पर महंगाई भत्ता दिया जाय तो आप यहां पर नहीं सुनते हैं। उनको भी यह महंगाई-भत्ता दिया जाय। हम नोट

[श्री रामगोपाल संड]

तो नहीं छाप सकते हैं मगर कहीं से भी उनके लिये धन का कोई प्रबन्ध होना चाहिये। यह जनसंघ की वैधानिक मांग है और उसने अपने घोषणा-पत्र में भी कहा है कि जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के लिये वेतन या भत्ता बढ़ाये तो वह सब प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों को भी मिलना चाहिये क्योंकि इन्कम टैक्स और सेन्ट्रल एक्साइज प्रदेशीय सरकार भी उनको देती हैं। प्रदेशों से और भी दूसरे कर लिये जा रहे हैं तो उसी तरह से प्रदेशीय कर्मचारियों को नगरपालिका के कर्मचारियों को और दूसरे कर्मचारियों को महंगाई-भत्ता दिया जाय। हम नोट नहीं छाप सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन जरूर कर सकते हैं कि वह जब अपने यहां के कर्मचारियों को नोट छाप कर पैसा दे सकती है तो प्रदेशीय सरकार के लोगों को भी मिलना चाहिये।

आपने देखा कि केन्द्रीय सरकार ने १०८ करोड़ रुपया अभी चुनाव के पहले अपने कर्मचारियों को दिया। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि वहां पर जो वेतन आयोग बैठाया गया है उसकी सिफारिश यह आयेगी कि ३०० करोड़ रुपया उन पर खर्च किया जाय। तो इतना रुपया और खर्च किया जाने वाला है। इसीलिये यह चुनाव कराया गया है। मगर मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि वे संविद से निराश न हों। हम उनकी लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। अभी उसने पूरी तरह से सब को बहाल नहीं किया है। हमारी बात मुख्य मन्त्री जी से होती है और हम इस प्रयास में हैं कि उन सब कर्मचारियों को जिनको ६६ और ६७ में निकाला गया था, वापस लिया जाय। जो कर्मचारी बच गये हैं ७२ में से ५६, ५७ ऐसे हैं जिनके लिये हम कह रहे हैं कि उनको भी जगह मिले। हमारे एक मन्त्री ने इसके लिये त्याग-पत्र भी दिया। कुछ हमसे भूल भी हो गई। यह वेतन आयोग यदि पहले १५ तारीख को ही बैठने का एलान हो गया होता तो शायद हमको कुछ वोट और अधिक मिल गये होते। हमसे गलती हुई है लेकिन उसको सुधारने का प्रयास भी किया गया है और हम बराबर मन्त्री जी से निवेदन करते रहते हैं मुख्य मंत्री जी ने अपने मन्त्रिमंडल की सिफारिश को मानकर यह घोषणा की है कि तीसरा वेतन आयोग जल्दी ही नियुक्त होगा जो वेतन के ढांचे पर विचार करेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी से एक मांग और करना चाहता हूं। यहां पर यह कहा गया कि संसद के अन्दर यहां से चुनकर ७५ गये हैं। बेरोजगारी के दफ्तर में जो ७० हजार इंजीनियर आज बैठे हुये हैं और लाखों ग्रेजुयेट, एम०ए० पास करके जो बेकार फिरते हैं उनके लिये बेरोजगारी भत्ते का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाय। हमने यह मांग की है और अपना सुझाव भी दिया है कि बेरोजगारी के दफ्तर में जो ये पढ़े-लिखे लोग बैठे हुये हैं उनके लिये यह संविद की सरकार कम से कम १०० रुपया भत्ता अवश्य दे। यह सरकार इस बात का निश्चय करे कि बेरोजगारों को कुछ न कुछ भत्ता इस आने वाले बजट में जरूर दिया जायगा। मेरा यह विश्वास है कि जब हमारा आगे मूल बजट आयेगा उसके अन्दर कुछ न कुछ प्राविधान इस बात का किया जायगा कि बेरोजगारों को कुछ भत्ता दिया जाय।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर दंगों का जिक्र किया गया। अलीगढ़ के दंगे का जिक्र किया गया। मुरादाबाद और इलाहाबाद का भी जिक्र आया। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिसको जनसंघ की तरफ से कई जिलों में आने का आदेश हुआ और मैं गया। इसके क्या माने हैं कि जहां पर राष्ट्रीय मुसलमान चुनाव में खड़ा हुआ वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ? उन्नाव में एक राष्ट्रीय मुसलमान खड़ा हुआ और जीता पर वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। मिर्जापुर में अजीज इमाम खड़ा हुआ पर कोई दंगा नहीं हुआ लेकिन जहां पर मजलिस का नुमायन्दा खड़ा हुआ वहां पर दंगा हो गया। मुरादाबाद के अन्दर भी यही बात हुई। लीग के सदर जो थे उनको खड़ा किया गया जिन्होंने देश के बटवारे के लिये नारा बुलन्द किया। दंगा न हिन्दू चाहता है और न मुसलमान चाहता है और आज के युग में

कोई भी दंगा नहीं चाहता है। यूनुस साहब को आन्ध्र में टिकट नहीं मिला तो उनको लाकर अलीगढ़ में खड़ा कर दिया। बस दंगा हो गया। इलाहाबाद के दंगे की चर्चा की गई। मैं उसी पवित्र शहर का रहने वाला हूं। वहां पर मजलिस के आदमी को खड़ा करने की अनुमति दी गई तो वहां पर भी पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक आयोग बैठा हुआ है, तो वे सारी चीजें सामने आयेंगी।

राष्ट्रीय मुसलमान कांग्रेस के टिकट पर, एस० एस० पी० के टिकट पर, बी० के० डी० के टिकट पर और यहां तक के जनसंघ के टिकट पर भी मुसलमान खड़े किये गये और जीते। जम्मू में जनसंघ के टिकट पर, श्री रहमान साहब खड़े हुए और उन्होंने वहां चुनाव लड़ा और वह वहां पर एक-दो हजार से नहीं बल्कि ८० हजार वोटों पर दीपक के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते। वहां पर किसी तरह का कोई चुनाव में दंगा, बलवा नहीं हुआ। कोई साम्प्रदायिक तनाव वहां पर नहीं हुआ लेकिन यूनुस सलीम साहब जिन को कि अपने प्रदेश में टिकट नहीं मिला वह अलीगढ़ आकर खड़े हुये और वहां पर दंगा हो गया वहां पर भी दंगा नहीं होना चाहिये था लेकिन वहां ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि दंगा वहां हुआ। वहां इन्क्वायरी बैठी है उसकी रिपोर्ट आयेगी तब सारी असलियत सामने आयेगी। तिवारी जी ने कहा कि इस सरकार को यहां बने रहने का अब कोई हक नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और बहुत अदब के साथ उनके से पूछना चाहता हूं कि जो दीपक से और बरगद से चुनकर आये हैं उनको आपको उधर बिठाने का क्या हक है ?

मैं माननीय कमलापति जी का बड़ा आदर करता हूं लेकिन जब मैंने श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल जो उनके दल के महामंत्री हैं उनकी विज्ञप्ति इलाहाबाद में पढ़ी तो मेरा सिर उसको पढ़कर झुक गया। मैं सोचने लगा कि जो एक दल के इतने सम्मानित सदस्य हैं वह इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं कि वह लोग दलबदलू नहीं हैं, वह तो आत्मा की आवाज सुनकर इधर आये हैं। जो आज संतोष नही कर सकते, जो किन्हीं सिद्धांतों पर कायम नहीं रह सकते, वह आज इस तरह से भाग रहे हैं। वह मैसूर में भागे होंगे लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। माननीय राज नारायण जी ने कहा था कि यह उत्तर प्रदेश ही है जो देश की राजनीति की अगुवाई करता है और उसकी ही राजनीति पर भरोसा किया जा सकता है। हमें भरोसा है और हमारे वयोवृद्ध नेता, माननीय चन्द्रभानु गुप्त अभी निराश नहीं हुये हैं और संगठन कांग्रेस वाले साथियों के लिये कोई निराशा की बात नहीं है संगठन कायम रहेगा और इस तरह की तानेबाजी से अब काम चलने वाला नहीं है।

स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया गया। वह इलाहाबाद से सन् ५७ में और सन् ६२ में ४० हजार और ४५ हजार के मार्जिन से जीता करते थे। मैंने सन् ६२ में शास्त्री जी से चुनाव लड़ा था और उस में हमारा उन का अन्तर ३० हजार वोटों का था। मुझे इस बार श्री मंगला प्रसाद जी का कनवैसिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह हार गये लेकिन बहुगुणा जी कितने हजार से जीते? मैंने श्री बहुगुणा जी की धर्मपत्नी से पूछा चुनाव परिणाम से पहले कि क्या हाल है तो उन्होंने कहा कि भाई संड कुछ कहा नहीं जा सकता शायद ५-१० हजार के बीच में ही हार जीत होगी लेकिन जब डिब्बे खुले और आंख भर कर देखा तो मालूम हुआ कि कोई ९६ हजार से कोई एक लाख से जीत रहा है।

ऐसा हम ही नहीं कहते बल्कि तमाम दलों ने और हमारी जनसंघ की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया है और गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, श्री मधोक, शिव सेना वालों ने, श्री राज नारायण ने और एस०एस०पी० के नेताओं ने आरोप लगाये हैं कि मतपत्रों में बहुत गड़बड़ी हुई है। यह मैं ही नहीं कहता आज यही बात देश के बड़े-बड़े तमाम दलों के नेता कह रहे हैं। उनका कहना है और आरोप है कि ३५ प्रतिशत मतपत्र अधिक दे दिये गये थे। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें न हुई हों और यह सब आरोप गलत निकले क्योंकि यह देश के लिये और जनतन्त्र के लिये बहुत घातक चीज होगी। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को एक निष्पक्ष आयोग द्वारा इस चीज की जांच के लिये लिखे क्योंकि यह एक केन्द्रीय विषय है। मतपत्रों की जांच से इस का पता लग सकता है कि क्या एक ही स्थान पर ठप्पे लगे हैं ?

[श्री रामगोपाल संड]

मैं इस सदन के उन सौभाग्यशाली प्रतिनिधियों में से हूं जो अपने दल की ओर से श्री राज नारायण जी के क्षेत्र में चुनाव के सम्बन्ध में गया था वहां मैंने इन्दिरा जी की १२२ जीपें काम करते हुये देखीं। जो तिवारी जी अभी श्री टी० एन० सिंह की नैतिकता और उन से इस्तीफा देने की दुहाई देते थे उनके दल की यही नैतिकता है? क्या यही ३५ हजार रुपये के चुनाव व्यय की परिधि की ईमानदारी है? उनकी १२६ जीपें वहां पहुंची हुई थीं जब कि मैं प्रदेश के जिस कस्बे में भी गया तो वहां पर कहीं ४०-५०,६०-७० और ८० गाड़ियां काम कर रही थीं। जो नैतिकता की दोहाई देते हैं और ३५ हजार रुपए के चुनाव व्यय की बात करते हैं, वह बतायें कि किस तरह से इन्दिरा जी के क्षेत्र में १२५ जीपें काम कर रही थीं। कहा जाता है कि यह गरीबों का देश है और इन्दिरा जी यहां से गरीबी और बेरोजगारी मिटाना चाहती हैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले २३ साल में उधर के या इधर के लोगों ने कितनी बेरोजगारी मिटाई है, बेरोजगारों को कौन-सा काम दिया गया?

आज कितनी कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं। यह रुपया चुनाव के लिये कहां से आया? टाटा, बिड़ला और पूंजीपतियों ने नहीं दिया तो यह रुपया कहां से आया? ये जीपें, ये कारें कहां से आयीं, यह रुपया किस प्रकार से बांटा गया? यह मेरा कहना नहीं है, हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन ने लिखा है कि डी० एम० के० की सरकार पराजित होगी, राजा जी की सरकार आ रही है। मैं चाहता हूं, जैसा कि माननीय राजनारायण जी का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार से मांग करे और मैं तो बहिन इंदिरा जी से मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को जांच के लिये बैठा दें जो मतपत्रों के जांच करे की क्या कई स्थान पर ठप्पे लगे हैं या सही निशान पर। मुझे तो डर है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो माननीय बलराज मधोक और माननीय राजनारायण जी का जो गम्भीर आरोप हैं, वे सही निकलेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर विरोधी भाइयों को हिम्मत होती तो वे कल अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर लाते लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं हुयी। मैंने अपने एक साथी द्वारा यह भी सुना है कि उन्हें एक होटल में ३५ हजार रुपये का लालच दिया गया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे संगठन के तपे हुए सिपाही हैं, उन्होंने ३५ हजार रुपये पर लात मार दी। ये हमारे सामने आज नैतिकता की बात करते हैं। पके पकाये लोगों पर ये अब डोरे डाल रहे हैं। १९५७ में हमारे केवल २ सदस्य थे। आज हम बहुमत में हैं और संविद में हैं। मैसूर स्टेट में क्या हुआ? वहां पर ५० लाख रुपया १७ चुनाव क्षेत्रों में खर्चा किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने, टाइम्स आफ इंडिया ने, स्टैट्समैन ने, पैट्रियाट ने लिखा लेकिन वहां पर २७ उम्मीदवार जीते, कोई ६०,००० वोटों से, कोई एक लाख से और कोई एक लाख १० हजार से।

अधिष्ठाता महोदय, संविद ने अनेक काम किये हैं। राज्य कर्मचारियों का जो १९, २० फरवरी का वेतन काटा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं आज माननीय टी०एन० सिंह से कुछ कर्मचारियों के साथ मिला, उनसे इसके बारे में बातचीत की और यह भी मांग की कि इन कर्मचारियों को किस रेट से और कब से दिया जायगा तो मुझे बताया गया कि यह अक्तूबर, १९७० से दिया जायगा और मुझसे यह भी कहा गया कि अल्प सूचित प्रश्न आप कर लीजिए, मैंने माननीय उपाध्यक्ष को प्रश्न दे भी दिया है। हमारे माननीय टी० एन० सिंह जी कि नियत पर अविश्वास न कीजिये। पहले उनकी बड़ी तारीफ होती थी लेकिन चूंकि वे संविद में आ गये हैं इसलिए उनके प्रति ऐसा कहा जाता है। मेरा अनुमान है कि अन्तरिम सहायता १५ रुपये से ५० रुपये तक इसी सत्र में देने वाले हैं जिसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को भी शामिल किया गया है। हमने पेशा कर समाप्त कर दिया है और हम अध्यापकों को भी देंगे। हमारी सरकार ने एक वेतन आयोग भी बैठा दिया है जो राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों व शिक्षा तथा प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन के बारे में संस्तुति देगा और सरकार ने अन्तरिम सहायता तथा महंगाई-भत्ता देने के लिये १५ करोड़ रुपये का अपने बजट में प्राविधान कर दिया है।

हमने अपना सारा कार्य हिन्दी में करने का भी निर्णय दिया है । हमारी पार्टी प्रजातन्त्र में विश्वास करती है और हम आपस में मिल कर अपने प्रदेश की उन्नति के लिये, बुन्देलखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी व पहाड़ी इलाकों के लिये ऐसी योजना बनायेंगे जिससे भाई माता प्रसाद जी को उलाहना न देना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)--

हम पीछे बठने वाले बार-बार-खड़े होते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय तो हमारी ओर नहीं देखते हैं । आपने भी कृपा नहीं की । हम क्या हाथ उठाने के लिये बैठे हैं ? इसके विरोध में, मैं सदन का त्याग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

बाजपेयी जी आप बैठें । आपको मौका मिलेगा ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल का भाषण सुना था और उसके पक्ष में दी गई दलीलों को भी सुना । सब कुछ सुनने के बाद मुझे एक कहानी याद आती है । एक बाघ था । जो जीवन भर हिंसा करता रहा । जब वह बुढ़ा गया, कहीं उछलने-कूदने लायक नहीं रह गया तो एक सोने का कड़ा लेकर बैठ गया और राहियों को बताये कि में भक्त हो गया हूं । इस कड़े को ले लो और मुझे आशीर्वाद दो । उसका मतलब कड़ा देना नहीं था । किसी तरह से मनुष्य आ जाय उसे चट खा जाना था । राज्यपाल महोदय का भाषण भी बिलकुल तथ्यहीन है । उसमें भी इस प्रकार का मीठापन है जिस प्रकार का उस कड़े में है । और वास्तविकता यह है कि इस भाषण से प्रदेश की जनता को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है । इनकी अपनी नीतियों के कारण ही बहुत से चुनाव में हारे हैं और हमारे बहुत से भाई दुःखी हैं चुनाव में हार जाने के कारण।

जैसा संड जी ने कहा है, एक लाख या डेढ़ लाख से हार जाने के बाद झल्लाहट आ जाना स्वाभाविक है । मुझे उनकी बात बुरी नहीं मालूम हो रही है । लेकिन में बड़े अदब के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मसूर में आपकी सरकार थी । यहां के कर्मचारियों को कैसे खरीदा । अगर हम कर्मचारियों को खरीद सकते थे तो जिस समय मनीराम क्षेत्र में मुख्य मंत्री हारे थे उस समय चौधरी साहब ने कहा था कि इस्तीफा दे दो । आपकी संविद ने यह कहा कि हमारी सरकार नहीं रहेगी तो इलेक्शन में हम सरकारी साधनों और सरकारी कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकेंगे । केवल इस मंशा के लिये इस्तीफा नहीं दिया था । लेकिन उनकी बदकिस्मती कि मुख्य मंत्री रहते हुए भी, संविद सरकार रहते हुए भी यहां जीत नहीं सके । उस झल्लाहट में कहते हैं कि कर्मचारियों को मिला लिया, मोहर को लगा दिया, तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मोहर पहले से लगी हुई थी तो माननीय अटल बिहारी बाजपेयी कैसे जीत गये । क्या मोहर वाली बात उन पर लागू नहीं होती थी ?

एक कहावत है कि "कहता चाही बाउर, सुनता चाही सरेख "। आप कहते जायं और सुनने वाला पागल हो तो आपकी बातों को तस्लीम करता जाय । एक शेर है कि " मन को बहलाने के लिये गालिब यह खयाल अच्छा है "। यह अच्छी बात है कि आप संतोष के लिये अपनी बातें कहें । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बड़े विस्तार से, मुख्य मंत्री जी नहीं जीते, और संविद का कोई घटक नहीं जीता इसलिये उसे कुर्सी से हट जाना चाहिये, इस

[श्री शिवकुमार]

बात को बताया है । मैं अपने संबंधित क्षेत्र की बात बताऊं कि सुल्तानपुर में एक कोआपरेटिव बैंक है । वहां जनता के प्रतिनिधि डायरेक्टर हैं । क्योंकि वे हमारी कांग्रेस से सम्बन्धित हैं, संविद के घटक से सम्बन्धित नहीं हैं उसको इस इलेक्शन के लिये, इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिये सुपरसीड किया गया और उनसे कहा जाता है कि इस्तीफा दो लेकिन १६०९० वोट से हारने वाले मुख्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे । आप कहते हैं कि हम राहत दे रहे हैं अध्यापकों को । शिक्षा मंत्री जी बद-किस्मती से यहां मौजूद नहीं हैं ।

वह हमारे जिले के रहने वाले हैं । ४५ अध्यापक उसी जिले के निकाल दिये गये । उनको राहत नहीं दे पाए । एक और शर्मनाक बात है । शिक्षा मंत्री, श्रीपति मिश्र जी के लड़के का जनेऊ हुआ जिसमें १० मास्टर न्यौता करने गए । दो रुपया, पांच रुपया जो उनसे हो सका न्यौता दिया और १२ आने की डालडा की पूरी खाई । अध्यक्ष, जिला परिषद् ने उन पर इसी बात को लेकर २५ रु० जुर्माना कर दिया । और यह शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर पाए । और बात करते हैं अध्यापकों को राहत देने की ।

सुल्तानपुर में चरण सिंह जी गए । कुछ स्कूलों के लड़कों ने यही नारा लगाया कि आप जवाब दीजिये कि सुल्तानपुर वालों को आपने "सी" क्लास में क्यों रक्खा और दूसरे लड़क जो बन्द थे उनको "ए" क्लास में क्यों रखा । इस पर पुलिस ने लाठी चलाई । अंग्रेजों के शासन काल में भी ऐसा नहीं सुना । लाठी छात्रों को नहीं लगी, जनता को नहीं लगी । तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल को पीटा गया । जो मुवक्किल तहसील में आए थे उनको पीटा गया । अस्पताल में १८ आदमी पड़े रहे । वीरेन्द्र वर्मा जी की वजह से पुलिस ने तहसील के कमरों में घुस कर लोगों को मारा । ऐसा काण्ड सुल्तानपुर में २१ फरवरी को हुआ । मिसल लिए तहसीलदार बैठे हैं, सिर पर लाठी लगी, फाइल खून से भीग गयी, कटघरा टूट गया, लेखपाल पीटा जाता है । अमीन जब खजाने में रुपया जमा कर रहा था, उसको पीटा जाता है चैक बुक खून से रंग जाती है । यह कोई कल्पना नहीं है, बकवास नहीं है, यह आपका सरकारी रिकार्ड है । मैं चैलेन्ज करता हूं जो मैं कह रहा हूं आप इसको झूठ साबित नहीं कर सकते । यह आपका कर्मचारियों के प्रति मोह है ?

आप कहते हैं कि अपराध कम कर दूंगा । मैं जबसे पैदा हुआ तबसे दो साल पहले तक इतनी डकैतियां नहीं सुनी जितनी इधर दो साल में सुनीं । भिन्ड और मुरैने में भी इतनी नहीं पड़ती हैं जितनी सुल्तानपुर में पड़ती हैं । एक महीने में चार-चार . . .

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मित्र कह रहे हैं कि जबसे पैदा हुए तबसे डकैती बढ़ गयी ?

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री शिव कुमार --

और इन डकैतियों में गिरफ्तारी नहीं होती । एक डाकू को एक डाके में मुश्किल से दो चार हजार रुपया मिलता होगा । लेकिन आपके एक-एक दरोगा ने दस-दस हजार लूट लिया है । तीन चार डकैतियां हुई अभी हाल में जिनमें कत्ल हुए । आप कहते है कि मैंने पुलिस को मजबूत कर दिया है । पुलिस आपको डकैती पकड़ने में तो चतुर नहीं है, हां लड़को को मारने में जरूर माहिर है । वाराणसी में गोली चलाने में, आगरा मे सुल्तानपुर में डंडा चलाने में माहिर है । जो अंग्रेजी शासन काल में नहीं हुआ होगा वह चरण सिंह जी, जो हमारे मुख्य मंत्री जी रह चुके हैं, उनको सभाओं में हुआ । वह जिस-जिस सभा में गए, दस बीस आदमियों की, अच्छी तरह से मरम्मत कराए बिना नहीं लौटे । यह पुलिस का शासन है । वीरेन्द्र वर्मा जी के डन्डे के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे ।

तमाम शिक्षक चिल्लाते हैं कि स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दो । आप भी जब बिरोधी बेन्चों पर थे तो इस बात को मानते थे । आप तमाम स्कूलों को पूरा खर्चा देते हैं तब राष्ट्रीयकरण करनें में क्या दिक्कत है । सीधी सी बात है। एक जमाना था जब स्कूल खोलने वाले मैनेजर फकीर हो जाते थे । आज समय बदल गया । आज स्कूल खोलने वाला मैनेजर धन्नासेठ हो जाता है । आप क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करते हैं जबकि पूरा खर्चा सरकार देती है ? वेतन उसको खजाने से मिले और वह सरकारी नौकर हो जाय । कर्मचारियों का नाम लेने में मैंने नहीं देखा कि उसमें पंचायत सेक्रेटरियों का भी नाम लिया गया हो । ब्लाकों का जो भंगी है, जो सफैइया है उसकी पे से कम पे उसको मिलती है जबकि वह कक्षा १२ पास है । उससे काम कम नहीं लिया जाता है । काम तो आप उससे पूरा वही लेते हैं जो कि ग्राम सेवक से लेते हैं, परन्तु उसकी पे में और एक निम्न कर्मचारी की तनख्वाह में भी बहुत अन्तर है। पंचायत सेक्रेटरी रोज चिल्लाया करता है परन्तु आप उसकी तरफ से काम बन्द किये हुए हैं। गांव का जो चौकीदार है वह महीने में दो बार थाने जाता है गिनती दर्ज करवाने के लिये और वह ४ दिन तक दरोगा जी के घोड़े की घास को छीलने के लिये थाना जाता है। उसकी तनख्वाह क्या है । केवल १० रुपया महीना जबकि अनेकों प्रकार का काम उससे लिया जाता है । आपके जो चपरासी है, भवन रक्षक हैं उनकी तनख्वाह १४५ या १५० रुपया है। साथ ही आप यह भी देखें कि हजरतगंज घूमने के लिये जो विधायक जाते हैं वे एक दिन में ही १५० रुपया खर्च कर देते हैं जितनी एक चपरासी की पूरे महीने की तनख्वाह है। ऐसी बातों को देखने के बाद ही जनता ने यह निर्णय लिया है जो आपके सम्मुख है । इस सरकार की माननीय सदस्य ने बड़ी तारीफ की ।

श्री राम गोपाल संड---..

आप स्वयं दो साल तक शासन में थे । आपके वित्त मंत्री नारायण दत्त जी ने इन कर्मचारियों को क्या दे दिया ? हमारी सरकार तो इनको दे रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राम गोपाल संड---

मैं दो बार शिक्षकों के काज के लिये जेल गया हूं । पिछली सरकार ने इनको क्या दिया है आप कृपया बतला दें ।

श्री शिव कुमार---

जब प्रदेश की जनता ने जनसंघ को गिरा दिया और जनता से उसको जब प्रसंशा प्राप्त नहीं हो सकी तो वे स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं । मान्यवर, मैं आपको खेती की तरफ ले जाना चाहता हूं । बड़ा हंगामा मचाया जाता है कि मैंने मालगुजारी माफ कर दी । इस युग में किसान को मालगुजारी का देना नहीं खल रहा है परन्तु उसको खल रहा है बिजली, सिंचाई की दरें । खाद की कीमत । जो सभी बढ़ रही हैं । मैं एक किसान का लड़का हूं । एक बीघा, १० बिस्वे की खेती का किसान को मालगुजारी का केवल ४ रुपया देना पड़ता है जब कि उस किसान को उतनी भूमि में जब कि वह उसमें गेहूं बोता है तो कटाई करने के लिये जितने मजदूरों की आवश्यकता होती है उसकी मजदूरी देने के लिये करीब १६ रुपया अथवा १६ रुपया का गेहूं देना पड़ता है । इस कारण किसान को इस ४ रु० को देने में कोई कष्ट नहीं है और न तो वह उसकी खलता है । आज तो काश्तकार यह जानता है कि उसकी मालगुजारी को काटकर आप उसकी राहत नहीं दे रहे हैं। वह जानता है कि आप उसके सारे कपड़ों को लेकर, उसको नंगा करके एक बन्डी दे रहे हैं जिससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है ।

आज धनी, धनी होता जा रहा है और गरीब, गरीब होता जा रहा है । आप कहते हैं कि गरीबों का साथ देते हैं । आप भूमि हीनों की की बात करते हैं । लेकिन जो आपका कानून है उसमें कहीं आपने परिभाषा नहीं की है । एक धुनिया जो एक लाख

[श्री शिवकुमार]

की हैसियत का है उसका लड़का भी कहता है कि मेरे पास भूमि नहीं है मुझे भी पट्टा मिलना चाहिये । आपने कहीं ऐसा नहीं कहा कि जिसका और भी दूसरा कोई रोजी का सहारा होगा वह भूमिहीन नहीं माना जायगा । आपने एक प्रकार से बड़े भारी समुद्र में सतुआ घोल दिया है । बड़े-बड़े जमींदार और ताल्लुकेदार के लड़के भूमिहीन बनकर जमीन ले लिये हैं । राज्यपाल के भाषण में कहा गया है कि सवा सात लाख एकड़ जमीन हरिजन और भूमिहीनों में बंटवायी । लेकिन अगर आप दारुलसफा को छोड़कर चमरौटी में जायं तो आप पायेंगे कि हरिजनों को जो जमीन दी भी गयी वह कहीं तालाब पर दे दी तो कहीं भीटे पर दे दी । उन लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और एक प्रकार से जो कम्युनिस्ट पार्टी का भूमि छीनो आन्दोलन चल रहा था उस पर मरहम लगा दिया गया है । जितनी भूमि इन लोगों को दी गयी हैं वह ऐसी है जिस पर कोई जिन्स नहीं हो सकती । भूमिहीनों में भूमि वितरण का नारा देकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं । अगर आप उनको जमीन देना ही चाहते हैं तो चाहे दस बिस्वा ही जमीन दें लेकिन अच्छी जमीन दे जिस पर खेती हो सके । मुझे यह कहने के लिये क्षमा करें कि तमाम बटवारे हुए सड़कों के और कोई मंत्री एक हजार किलोमीटर सड़क ले गया तो कोई आठ सौ किलोमीटर लेकिन हमारे श्रीपति जी उसमें भी अभागे निकले । अगली पंचवर्षीय योजना में उन्हें सुल्तानपुर के लिये केवल चौदह किलोमीटर सड़क मिली और वह भी सड़क ऐसी जो उनके घर से बराहिनपुर घाटों को जाती है और आगे नदी पर पुल न होने के कारण रुक जाती है । यह केवल इतनी है कि केवल अपने बीवी बच्चों को टहलाने के लिये उन्होंने ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब बातें तो जब बजट आयेगा तब आप कह सकते हैं । गवर्नर के सम्बोधन पर नीति के सम्बन्ध में चर्चा करें ।

श्री शिव कुमार---

सहकारी समितियों की बात कहना चाहता हूं । किसान आज उनसे बहुत दुखी हैं । जिसने एक बार कर्जा ले लिया वह कभी उससे उऋण नहीं होगा । कोआपरेटिव की ऐसी दशा है कि एक सरपंच और खजांची मिल कर लोगों के नाम से पैसा निकाल लेता है और चार साल बाद जब कुर्की आती है तो किसान को मालूम होता है । ६०-६५ हजार का गबन बीज भण्डार में मैंने ही पकड़ा लेकिन किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । मैं निवेदन करूंगा कि चाहे आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ावें या घटावे लेकिन जो ऋण नहीं लेता या लेकर अदा कर देता है उससे डबल वसूली न करवावें । खेती के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारा जिला इतना अभागा है कि इस साल वहां की नहरों ने पानी नहीं दिया । नहरों में पहले पानी आता था और उसी के बल पर किसान ने इम्प्रूव्ड बैराइटीज के बीजों को बोया । जिस समय नहरों में पानी आना चाहिये था उस समय नहर विभाग ने खुदाई का कार्य किया और खुदाई के कारण नहरों में पानी नहीं आया । सिंचाई मंत्री जी इस बात को नोट कर लें ताकि आगे कहीं ऐसी घटना न हो जाय । नहर विभाग के इस कार्य के कारण सुल्तानपुर की लहलहाती फसल सूख गई ।

मैंने कई बार इस सदन में कहा था कि आप किसान को पानी देने के विषय पर सोच विचार करें । आपने ट्यूबवेल्स दिये परन्तु और जिलों को ज्यादा और सुल्तानपुर जिले को कम । सुल्तानपुर को केवल २४ ट्यूबवेल्स मिले । यहां से यह आदेश गया कि ट्यूबवेल्स उन इलाकों में लगाये जांयें जहां कि पहले से ट्यूबवेल्स नहीं हैं । आपके अभियन्ता ने क्या किया? ठीक उसका उल्टा उन्होंने किया । उनके ठेकेदार थे जो नालियां बनाने का ठेका लेते थे । वहां पर लोगों ने सांठ-गांठ की और उन स्थानों पर ट्यूबवेल्स लगा दिये गये जहां पर कि पहले से भी थे और उन जगहों को छोड़ दिया जहां बिल्कुल नहीं थे । किसी-किसी जगह तो १०-२० मील

में भी कोई ट्यूबवेल नहीं है जबकि किसी-किसी गांव सभा में ४–४ ट्यूबवेल लगे हुए हैं। कहीं तो जरूरत से ज्यादा पानी आ रहा है और कहीं पर बिलकुल सूखा पड़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे। यह बात तो स्पष्ट ही है कि यह सरकार तो केवल ३ दिन की ही है। इसके आगे तो यह चलेव लेगी नहीं। इस संदर्भ में, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं।

एक किसान था और उसके कुछ खेत थे। एक बैल उसके खेत में जाता और खेत चरने लगता। वह किसान हिन्दू था। वह उसे खेत से हांकता था तो वह बैल खेत में बैठ जाता था। क्योंकि बैल जानता था कि किसान हत्या लगने के डर से उसे ज्यादा न मारेगा। किसान के जाने के पश्चात् वह बैल फिर खेत चरने लगता। यानी हत्यारी का भय दिखाकर खेत चरता था।

तो श्रीमन, यह सरकार उसी बैल की तरह से जबरदस्ती बैठी हुई है, जनता ने तो उसे हटा दिया है। मेरा तो कहने का फर्ज है कह रहा हुं लेकिन मुझे कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश की समस्याओं पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार किया और उनका अभिभाषण बड़ा ही सारगर्भित है। इससे सरकार को अगला बजट बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी और आने वाले बजट, यह हमारी आशा है, बड़ा ही सुन्दर होगा। साम्प्रदायिकता के काले बादल पिछले चुनावों मे और वर्तमान स्थिति में भी घिरे हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय सदस्यों को और उपाध्यक्ष महोदय को याद होगा कि पिछली लोक सभा में एक आयोग का गठन हुआ था और उस आयोग ने जांच करने के बाद यह निश्चय किया कि जो दंगे हुए थे उनमें एक वर्ग शामिल था। तो २३ दंगों में से २१ दंगे ऐसे थे जो कि एक साम्प्रदाय के द्वारा, दलगत साम्प्रदाय के द्वारा हुए थे। इस साम्प्रदायिकता के दोषी हम जनसंघ के लोग कहे जाते हैं। लेकिन उस आयोग के द्वारा यह निश्चय किया गया कि जनसंघ के लोगों द्वारा या जनसंघ में शामिल हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के दंगे न आज तक उभाड़े गये हैं और न उभाड़े जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अबकी बार मुरादाबाद में एक नारा यह लगाया गया "आधी रोटी खायेंगे और पाकिस्तान बनायेंगे"। आज भारत के अन्दर विभाजन की जो यह भावना तेजी से बढ़ती चली जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केन्द्र में जो सरकार बैठी है उसने इस तरह की भावना पैदा करने वाली पार्टी के साथ चुनाव समझौता किया, केरल में किया, अन्य जगह किया और उनके प्रत्याशियों के मुकाबले अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये। विभाजन की जो भावना अपने देश में दबी पड़ी थी वह अब फिर उभरती जा रही है और मुस्लिम लीग जो उत्तरी भारत में प्रायः समाप्त हो गयी थी, फिर से जीवित हो उठी है और फिर से भारत को खंडित करने का प्रयास कर रही है। जहां-जहां इस पार्टी द्वारा आदमी खड़े किये जाते हैं वहीं पर दंगे होते हैं। हम तो फिर चुनौती देते हैं कि सरकार फिर से एक आयोग गठित करे जो इस बात की जांच करे कि इन दंगों के पीछे किस पार्टी का हाथ है। अगर उससे यह पता चले कि जनसंघ के द्वारा दंगे होते हैं तो जन संघ को दंडित किया जाय, अगर मुस्लिम लीग के द्वारा दंगे होते हैं, उसको खत्म किया है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। अगर यह नहीं होगा तो देश के अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ती जायगी और देश का नुक्सान होगा। मुस्लिम लीग आज भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखने लगी है। इसलिये मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाकान्त वाजपेई]

यह निवेदन करूंगा, महामहिम राज्यपाल से भी और केन्द्रीय सरकार से भी, कि वह एक आयोग बिठाये जो इलाहाबाद, मुरादाबाद और अलीगढ़ में हुये दंगों की जांच करे कि वे किस कारण हुये । अलीगढ़ में जो जौहरी बाजार फूंका गया, वह किसने फूंका ? क्या हिन्दू लोग अपने ही हिन्दुओं को मारेंगे, उनको लूटेंगे ? क्या यह सम्भव हो सकता है ?

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि हम जो यह सुनते आ रहे हैं कि जमींदारी एबालिशन के बाद काश्तकार असली जमीन का मालिक होगा, वह वास्तव में नहीं हुआ । अन्य प्रान्तों में इसके लिये कानून बन चुके हैं, परन्तु इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर अधिकांश किसान आज भी भूमि के मालिक नहीं हैं, भूमि का स्वामित्व उनको अभी तक नहीं मिला है । बातें तो कांग्रेस के द्वारा बहुत सी होती रहीं, आज दो कांग्रेस हो गयी हैं, दोनों ने ही बातें बहुत-सी कहीं हैं, परन्तु काश्तकार को, जो वास्तव में भूमि का मालिक है, उसको भूमि का मालिक नहीं बनाया । हम बात काश्तकारों की ही बहुत करते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिये आज तक कोई काम नहीं किया । हम तो चूंकि अल्पमत में हैं, इसलिये हमारी बात नहीं चलती है, लेकिन हमारी बराबर यह मांग रही है कि आप बिना २० गुना लिये जो सीरदार हैं उन्हें भूमिधर बना दें । जब तक वे भूमि के मालिक नहीं बनेंगे, वे उस तरफ अधिक ध्यान नहीं देंगे । राष्ट्रपिता, गांधी जी भी यही बात कहा करते थे । मगर उनकी बात उनके अनुयाइयों ने २३ वर्ष शासन करने के बाद भी नहीं मानी ।

तीसरी बात इस अभिभाषण में यह होनी चाहिये कि आज अपने प्रान्त के, अनेक भाग हैं, जहां पर विकास के कार्य ढ़ीले हुए हैं, मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं । पिछले बार के बजट में एक सड़क बनी थी, जो सरकारी पक्ष के विधायक थे, इंडिकेट और बी०के०डी० की सरकार थी, वह कांग्रेस में (आर) के सदस्य थे उनके दरवाजे पर सड़क पहुंच कर तैयार हो गयी हालांकि वह सड़क किसी मतलब की नहीं है, न उस पर कोई चलने वाला है । लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष के विधायक थे, उन्होंने मंत्री जी को प्रसन्न कर लिया । वह पास हो गयी । वह अभी तक बनी भी नहीं है । और भी बहुत सड़कें थी, बहुत आवश्यक थीं, वह आज भी पड़ी हैं । जब बजट बने तो तब सरकार यह देख कर कि कौन से जिले पिछड़े हुए हैं, वहां किस अनुपात में विकास का कार्य हुआ है, उस आधार पर पिछड़े जिलों का अनुपात बढ़ा कर सड़कें, नहरें, पानी और बिजली की सुविधा देने की कृपा करे जिससे वहां की जनता प्रसन्न हो और कुछ सुविधा उसको मिल सके ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि आपकी सरकार है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो । संविद सरकार जिसमें हम शामिल हैं, इसको केवल पांच महीने हुए हैं । इतने सालों तक आप की सरकार चलती रही लेकिन आज तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया । लार्ड मेकाले ज शिक्षा पद्धति बना गया, वही चली आ रही है । पढ़ने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वह कुछ आर्थिक लाभ उठा सकें बल्कि वह बाबू बनाये जाते हैं । कालेजेज और यूनिवर्सीटीज बाबू बनाने के कारखाने हैं । तमाम स्टाफ बढ़ा दिया गया है, तमाम डाइरेक्टरेट बढ़ा दिये गये हैं लेकिन बेकारी की समस्या बिना शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन किये हुए नहीं हल हो सकती । वास्तव में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । इसका मैं और मेरा दल समर्थक हैं । ऐसी शिक्षा में जिससे शिक्षार्थी आगे चल कर पढ़ने के बाद कुछ काम कर सके । मिस्तरी या इंजीनियर बनकर, या इस तरह का काम ले कर निकले तो भी कुछ लाभ हो सकता है । आज हजारों की तादाद में इंजीनियर भी बेकार घूम रहे हैं । इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खोल देने से यह समस्या हल नहीं होती । समस्या तब हल होगी, जबकि उनके काम करने का विस्तृत क्षेत्र हो । यह न हो कि वह बेकार घूमें ।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि लोक सभा में कांग्रेस (आर) के बहुत कैंडीडेट जीते हैं संविद सरकार के कैंडीडेट गिरे हैं, वह लोक सभा का चुनाव था, यह विधान सभा है। अभी आपने देखा कि उड़ीसा में क्या हुआ है ? आपका दल बड़े दल के रूप में आया लेकिन फिर भी जितना बड़ी संख्या में लोक सभा में आये उतनी संख्या में विधान सभा में नहीं आये। बंगाल में यही हालत हुई है। अगर दुर्भाग्य से यहां फिर से माध्यावधि चुनाव हो तो मुझे विश्वास है कि फिर वही हालत होनी है जो और प्रान्तों में चुनाव हुए है। आप इतने बड़े बहुमत में आयें इसकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं स्वागत करूंगा मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हैं तो करवा लें। हम इससे डरने वाले नहीं है। अगर आपकी चुनौती है तो हम जनसंघ की तरफ से इसको स्वींकार करते हैं। इतना कहते हुए मैं महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर सदन की तरफ से धन्यवाद देता हूं।

*श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकारी नीतियों की घोषणा की है। यह तो वैसे ही है जैसे महमूद गजनवी ने तमाम मुल्क को लूटने के बाद जब तमाम धन इकट्ठा कर चुका, उसके बाद अंतिम समय जब कि वह मरने के करीब था उसने कहा था "खजाना और राज्य सारे लुटाऊं, अगर जीऊं घड़ी दो चार और"। सरकार ने जो कुछ किया है या आगे जो कुछ करने वाली है, उसकी नीतियों की घोषणा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में की गई है। गलत घोषणाएं करके यह सरकार चाहे कुछ दिन रह ले लेकिन झूठे आश्वासनों की बिना पर यह सरकार अधिक दिनों तक रहने वाली नहीं है। यह निरंकुश और बेहया सरकार है जिसने प्रदेश में जनता के विश्वास को खो दिया है और उसके बाद भी आज वह सदन में बैठी हुई है। मान्यवर, जिन नीतियों की घोषणा महामहिम राज्यपाल ने सरकार की ओर से की है वे नीतियां इतनी कठिन हैं जिनको कभी भी यह सरकार कार्यान्वित नहीं कर सकती है। मुझे दुख है कि महामहिम राज्यपाल ने सरकारी नीतियों में एक घोषणा यह की है कि यहां के भूमिहीनों में भूमि का वितरण किया गया है। मान्यवर, आज चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, वे अपने दिल पर हाथ रख कर इस बात का सही निर्णय लें कि वास्तव में हुआ क्या है ? वास्तविकता यह है कि भूमिहीनों में भूमि का वितरण नहीं हुआ है बल्कि भूमि को लेखपाल, कानूनगो और परगनाधिकारियों द्वारा बेचा गया और भूमि वितरण का जो कानूनी महत्व था, वह नहीं रहा।

दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बजाय सहकारीकरण करने की घोषणा की गई है। यानी वर्तमान सरकार चीनी मिलों का सहकारीकरण चाहती है। मैं तो यह कहूंगा कि आज हमारे प्रदेश में सहकारीकरण की स्थिति क्या है। जो हमारे यहां के प्रतिनिधि हैं, और इसकी जानकारी रखते हैं वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश में सहकारिता की सफलता कहां तक है। उसकी एक मिसाल गावों में जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, वे हैं, उनमें ९० प्रतिशत सहकारी समिति मृतक प्रायः है। कर्जे बड़े-बड़े लोगों ने ले रखे हैं और गरीबों को उनसे कोई फायदा नहीं है।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक दूसरी व्यवस्था के संबंध में सरकारी नीति की घोषणा की है कि बैंकों से किसानों को ऋण मिलेगा। मान्यवर, सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करके बैंकों में भी एक भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया है। सिंचाई हेतु जो ऋण किसानों को दिया जायगा वह सरकारी आदेश के अनुसार किसी निश्चित फर्म से ही फलां मेक का इंजन खरीदना पड़ेगा। नतीजा यह है कि ग्राम सेवक और मैनेजर दोनों सांठ-गांठ करके चार हजार में एक हजार रुपया रिश्वत में ही मार लेंगे और इस तरह से उनका कमीशन बन जायेगा। इस तरह से ऋण की व्यवस्था किसानों के पक्ष में नहीं है। गरानी के समय ऋण की व्यवस्था की गई थी लेकिन जब किसानों का गल्ला तैयार हुआ तो वह इतना सस्ता हो गया कि उनमें इतनी क्षमता नहीं रहीं कि व अपना ऋण भी अदा कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण कान्त]

जहां तक मिलों के सहकारी करण का प्रश्न है, सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव के मौके पर सहकारिता के नाम पर सरकारी पक्ष ने जिसके हाथ में सत्ता थी, लाखों रुपये लिए थे। और इसी आश्वासन पर लिया गया कि हम आपका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे क्योंकि सहकारीकरण का नारा दिया जा चुका है। हमारे कुछ साथी जो सरकारी पक्ष में हैं, बड़े जोश के साथ इस पक्ष पर ताने कस रहे हैं। मैं जानता हूं कि उधर के चन्द साथी अथवा उनका दल पराजित हो चुका है जिससे उनको आवेश व गुस्सा है। ऐसी स्थिति में अगर वह कुछ बुरा-भला कहते हैं तो हम बुरा नहीं मानते। उनका आरोप है कि प्रदेश में चुनाव में बड़ी गड़बड़ियां हुयीं, बड़ी अनियमिततायें हुयीं। मैं तो कहूंगा कि सरकार में वे थे, उनकी सरकार निकम्मी थी, उसमें क्षमता नहीं थी कि वह अपने सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण रख सकती। उनका आरोप मिथ्या है और इसलिए मिथ्या है कि सरकार में रहते हुए अगर उनके साथ ज्यादतियां हुयीं तो हम लोगों को तो और अधिक शिकायत होनी चाहिए। जब अपनी ही शिकायतों का निराकरण वह नहीं कर सकते सरकार में रहते हुए तो हमारी शिकायतों का निराकरण क्या कर सकेंगे ?

माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार का जिक्र तक नहीं किया। तमाम योजनाये सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं लेकिन यह जो रोग है भ्रष्टाचार का, उसके कारण कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। भ्रष्टाचार के कारण सरकार में क्षमता नहीं है कि वह अपनी बनाई योजनाओं को सफल कर सके, कार्यान्वित कर सके। नीचे से ऊपर तक मंत्री स्तर तक भ्रष्टाचार है लेकिन महामहिम राज्यपाल ने उस महा रोग का अपने अभिभाषण में जिक्र तक नहीं किया। इन्द्रा जी ने जिस प्रकार यह कहा कि हम गरीबी मिटायेंगे और समस्त देश ने भारी बहुमत से उनको समर्थन दिया। इसी तरह अगर किसी सरकार में यह क्षमता हो कि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार वह मिटा सकती है तो निश्चित है कि वह समाजवाद की तरफ बड़ा भारी कदम उठा सकेगी लेकिन जिस सरकार में मंत्री परिषद् के स्तर तक भ्रष्टाचार हो, वह भ्रष्टाचार मिटाने का दावा अथवा हिम्मत नहीं कर सकती। जो स्वयं भ्रष्ट है वह भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहने की हिम्मत अथवा दावा कैसे कर सकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

आज बेईमानी इतनी बढ़ गई है कि बेईमान भी कहता है कि बेईमानी बहुत है।

श्री कृष्णकान्त—

स्वास्थ्य मंत्री को जो थोड़े दिनों से ही मंत्री बने हैं यह अनुभव हो गया होगा कि उनके विभाग में काफी दवाइयां बिकती हैं और मंत्री स्तर तक वह बात पहुंच गई है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

वे दवाइयां आपने भी कम मूल्यों पर खरीदी हैं ?

श्री कृष्णकान्त—

आप भी उसमें हिस्सेदार हैं। उन घटकों में आप भी सम्मिलित हैं जहां पर यह सब हो रहा है और इन कुकृत्यों का नतीजा भी प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल ने इस सबसे बड़े प्रदेश में जो मर्ज फैला हुआ है भ्रष्टाचार का, उसको दूर करने के बारे में अपने अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं किया है। जब कि आवश्यकता आज इस बात की थी कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार को, चाहे वह कोई भी सरकार रही हो, कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए था। महामहिम राज्यपाल को इसके लिए सरकार को प्रेरणा देनी चाहिए थी कि कम से कम इस रोग को मिटाया जाय। तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं।

महामहिम राज्यपाल के भाषण में जहां पर उन्होंने शिक्षा के विषय पर जोर दिया है और शिक्षकों आदि के वेतन बढ़ाने की बात कही है, उनका पैसा बैंकों से भुगतान करने के संबंध में कहा है, यह तो सरकार की नीतियां हैं और इन नीतियों को कार्यान्वित यह सरकार नहीं कर सकती बल्कि आने वाली सरकार करेगी क्योंकि इनमें वह क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज है वह है प्रारंभिक शिक्षा। यदि प्रारंभिक शिक्षा के क्षत्र में सुधार नहीं किया गया तो ऊंचे स्तर की शिक्षा बेकार सिद्ध होगी इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने की दिशा में महामान्य राज्यपाल ने किसी भी सरकारी नीति की घोषणा नहीं की है केवल उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात कह दी है।

अभी कुछ हमारे भाइयों ने जो कि उधर बैठे हुए हैं, कहा है कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों के कारण सम्प्रदायिक दंगे होते रहे। कुछ भाइयों ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप पीछे जोर-जोर से बात कर रहे हैं.....

श्री कृष्णकान्त—

मान्यवर, इस संविद में वह घटक भी सम्मिलित हैं जिन्होंने प्रदेश ही क्या सारे देश में साम्प्रदायिक बुनियाद फैला रखी है। इस प्रदेश में मुरादाबाद में एक सीट उनको मिल गई और एक सीट अलीगढ़ में मिल गई और यह केवल साम्प्रदायिकता ने का ही नतीजा रहा अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि मेरे यहां सीतापुर में एक मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं। वहां पर लहरपुर नामक चुनाव क्षेत्र में एक सज्जन जो कि वहां की साम्प्रदायिकता के ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी गाय को १ हजार रुपये में मुसलमान के हाथ बेंचकर ऐसी साम्प्रदायिक भावना उपजाई ताकि वहां पर हिन्दू मुस्लिम रायट्स हो जाएं वहां पर इस हद तक यह हुआ। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि आप मुसलमान भाई ऐसा करते हैं यह मुस्लिम लीग वाले ऐसा करते हैं किन्तु साथ ही उनके ही उदाहरण आज इस प्रदेश में मौजूद हैं और जो मिसाल आज वे पेश कर रहे हैं वे अधिक जिम्मेदार हैं। अतः राज्यपाल के भाषण में जिन नीतियों का जिक्र किया गया है वे थोथी हैं और सब वायदे झूठे हैं क्योंकि उन्हें सरकार पूरा करने की क्षमता नहीं रखती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है जो कि एक बहुत बड़ा रोग है। उस पर अवश्य विचार होना चाहिए था। यह सरकार अब चलने वाली नहीं हैं केवल दो-चार रोज की मेहमान है ऐसी स्थिति में इन नीतियों के प्रतिपादन का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जो यह संशोधन माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसके समर्थन में मैं निवेदन करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो २२-२३ सालों से हम लोग यह कहते आए थे कि अलाभकर जोतों का लगान समाप्त होना चाहिए, जिस पर आज सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग इतनी बहस कर रहे हैं, २२-२३ सालों में इन लोगों ने उसको होने नहीं दिया। लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की इस ईमानदारी की मांग को हर दल के लोगों को मानना पड़ा कि यह मांग मुनासिब मांग है। आज यह कह देना कि अलाभकर जोत की जो समाप्ति हुई है उससे लाभ नहीं हुआ, तो यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि हर दल के लोगों ने माना है कि यह हक की लड़ाई थी। जो बुनियादी चीज को समझते हैं वह जानते हैं कि इससे आज ८५ फीसदी लोगों को लाभ है और उनका लाभ दिन-प्रति-दिन बढ़ता जायगा। एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि जिसके पास एक बीघा जमीन है, उनकी आमदनी के जो जरिए बढ़ रहे हैं तो उसके पास सवा छः एकड़ तक जमीन हो सकती है: इस हक को समझते हुए यह काम हुआ है जिसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में आया है। मेरी समझ में चाहे किसी दल के लोग हों उनको इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

[श्री भाभी]

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि आज २२-२३ सालों से छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारियों के बारे में बातें होती रहीं और अध्यापकों के बारे में भी कहा जाता रहा, पर सत्तारूढ़ लोगों ने कोई काम नहीं किया, छोटे रोजगार वालों की परवाह नहीं की, खेतिहरों की परवाह नहीं की। और संविद सरकार ने इन छोटे कर्मचारियों की तरफ निगाह फेरी, अलाभकर जोतों की समाप्ति का कानून बनाया, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की तरफ रुख किया तो इस तरह की बातें करने का, आलोचना करने का हक नहीं होता है। चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, सरकारी पक्ष में हो या विपक्ष में, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज देश करवट लेने जा रहा है। ८५ फीसदी गरीब तलाश कर रहा है कि ५ सालों में जो हमारा कथन है, मंशा है वह पूरा होता है या नहीं। किस जगह से, किस क्षेत्र से इंडीकेट नेता, जनसंघ का आदमी जीता, संसोपा का आदमी जीता है, इसको आप स्थायी चीन न समझिए। यह हर एक को मान लेना चाहिए कि चाहे गरीब हो या अमीर हो सबको भोजन की, कपड़े की और रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, बच्चे की पढ़ाई-लिखाई की आवश्यकता होती है, बीमार पड़े तो दवा की आवश्यकता होती है। चाहे कोई सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता की रोजी-रोटी, भोजन-कपड़ा, पढ़ाई,-लिखाई, दवा का इन्तजाम करे।

इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए आमदनी की जरूरत होती है और उसका सबसे बड़ा जरिया खेती है, दूसरा नौकरी है, तीसरा उद्योग-धन्धे हैं। जिनके पास अधिक जमीन है वह कम जमीन वालों का हक छीनते हैं और ज्यादा तनख्वाह वाले कम वालों का छीनते हैं। जितने छोटे उद्योग वाले हैं उनको बड़ा मिल मालिक दबाए बैठा है। इसके लिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय और जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके पास से जमीन कम की जाय। जिनकी तनख्वाह कम है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय और जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनकी तनख्वाह को कम किया जाय और छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना होगा। लेकिन अभी तक सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देती रही है और छोटे-छोटे उद्योगों का पतन होता रहा है। यह चीज अब चलने वाली नहीं है जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी अथवा उद्योग-धन्धा नहीं है, उनको कोई न कोई रोजगार देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारे देश में ८५ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, वस्त्र नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है, उनके बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं, उनकी दवा का इन्तजाम नहीं है। यह सब हमको करना होगा।

हम लोग जो संविद में बैठे हुए हैं वे जनता से ही चुनकर आए हैं और आपसे अधिक मतों से चुनकर आए हैं। जिस दिन आपका बहुमत यहां हो जायगा आप यहां पर बैठ जायेंगे। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। यह कोई नहीं कह सकता है कि आप तो जनता से चुनकर आए हैं और हम अपने मन से चुन कर आ गये हैं। मैं कोई व्यंग की बात नहीं कहता हूं। चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों अथवा विरोधी पक्ष के हों, हम सब लोगों को आज यह मिलकर सोचना है कि गरीबों का भला किस प्रकार से होगा। लेकिन यहां कोई हिन्दू की बात कहता है, कोई मुसलमान की कहता है, कोई बड़ी जाति की कहता है, कोई छोटी जाति की कहता है, मैं तो कहता हूं कि किसी जाति बिरादरी का कोई हो, अगर वह गरीब है, अगर उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, ऐसे सब गरीबों की एक ही समस्या है उस समस्या को हमें हल करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जितनी बातें आयी हैं, वे ऐसी बातें हैं जो आज से पहले किसी भी सरकार के द्वारा सदन के सामने नहीं लायी गयीं हैं। उससे गरीब को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक चुनाव की बात कही जाती है, मैं तो गरीब आदमी हूं पैसा अधिक खर्च कर नहीं

सकता लेकिन दूसरी ओर से हवाई जहाज और सैकड़ों की तादाद में मोटरें दौड़ाई जाती हैं। हम जिस पार्टी के हैं उसके पास पैसा नहीं है। फिर मैं गरीब उनसे किस प्रकार से लड़ सकता हूं। अगर कोई इस तरह से पूंजी और पैसे के बल पर जीत कर आयेगा तो हम गरीबों की आह का प्रचार होगा और उससे गरीबों का एक संगठन बनेगा, जब गरीब चेत जायेंगे तो इस हवाई जहाज और मोटरों से काम न चलेगा। यह कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं और जो कमियां मैंने बतायी हैं और सुझाव दिये हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि बेरोजगारी, गरीबी तथा असमानता को दूर किया जायगा, लेकिन उन्होंने अपने अभिभाषण में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं किया है कि किस प्रकार से उन विकट समस्याओं को हल किया जायगा, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिया जायगा और कितने दिनों में कितने लोगों को काम पर लगा दिया जायगा यह सब कुछ नहीं बताया है। गरीबी व असमानता कैसे मिटेगी नहीं बताया है। तो मैं यही कहूंगा कि यह जितना भी भाषण है राज्यपाल महोदय का, यह एक हवाई व गोलमोल नारे के समान है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह हवा में उड़ने वाला नारा है अस्तित्वहीन कागज का बंडल है और इसका जमीन के ऊपर कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके साथ-साथ राज्यपाल महोदय ने जो कृषि की उन्नति की बात कही है, नहरों की बात कही है, उसके लिये ठोस सुझाव नहीं दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गत २३ सालों में गांवों की उन्नति तथा खेती की उन्नति की दिशा में क्या किया ? हमारे ग्रामीण भाइयों को क्या चाहिये ? सिर्फ सड़क, बिजली व पानी। हमारे गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया न गांवों में बिजली पहुंचाई और न खेत-खेत में पानी पहुंचाया गया। यदि गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाता, बिजली दे दी जाती और खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता तो आज गांवों का, प्रदेश का तथा देश का नक्शा ही और होता। इससे ज्यादा गांव वाले और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे देश में गांवों की आबादी ८६ प्रतिशत है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इधर कोई कदम नहीं उठाया गया है। गांवों की उन्नति के नारे सदैव दिये, पर करने में कभी भी कुछ नहीं रहे तो जो बात कृषि की उन्नति की और गांवों की उन्नति की कही गई है, वह भ्रम में डालने वाली नहीं तो और क्या है ? किसानों को बहकाने की बात है। नारा दिया जाता है कभी अमल नहीं होता अजीबोगरीब बहकाने वाले नारे देते हैं जैसे कि ५ साल में मकान व तीन साल में नौकरियां दे दी जायेंगी और खेतों तक पानी पहुंचा दिया जायेंगा। लेकिन किया कुछ नहीं जाता और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है।

जब तक अमीरों को नहीं काटा जायेगा तब तक गरीब ऊपर नहीं उठ सकता है, ग्राम उन्नति नहीं करेंगे, गरीबी बेकारी व असमानता नहीं मिटेगी जब तक टाटा, बिड़ला, सिंहानिया, गोइनका मोदी व मोहन को खत्म नहीं किया जायेगा तब तक गांवों की उन्नति कैसे होगी और गरीबी हमारे देश से कैसे मिटेगी ? बेरोजगारों को रोजगार उस समय तक नहीं मिल सकेगा और गरीबी कभी दूर नहीं हो सकेगी। हमारी जितनी पार्टियां संविद बनायें बैठी हुई हैं वह सब अमीरों व धन्ना सेठों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं, राजा महाराजाओं की गोद में बैठ कर चुनाव लड़ने वाली हैं, अमरीका की गोद में बैठकर चुनाव लड़ने वाली हैं, ये सारी पार्टियां गरीबी दूर करने की बात कहती हैं। लेकिन यह गरीबी कैसे दूर कर सकती हैं। संविद में शरीक घटक कहते हैं कि हम टैक्स लगायेंगे नहीं और देश में समाजवाद लायेंगे बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे दूर कर देंगे, कितना ही अच्छा कपड़ा क्यों न हो, अगर दरजी से कहा जाय कि हमारी बुशशर्ट बना दो और कैंची कपड़े से न छुआओ तो कितनी ही बढ़िया दर्जी भले ही हो बिना कैंची से कपड़े को काटे कभी भी बुशशर्ट

[श्री प्यारेलाल]

नहीं बन सकती है । इसी तरह से जब तक टाटा, बिड़ला, डालमियां, सिंहानियां, गोइनका मोदी व मोहन खत्म नहीं होंगे, तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता है। जब तक स्वर्ग रूपी टीला गिराकर नर्क रूपी गड्ढे में नहीं डाला जावेगा तब तक गड्ढा नहीं भरेगा लेकिन सामने बैठने वाले कहते हैं कि बड़ों से हाथ न लगाया जाय राजाओं व सामन्तों को छुआ न जाय तो फिर पूछता हूं गरीबी कैसे मिटाओगे, समाजवाद कैसे लाओगे, यह सब ढोंग है, भ्रमपूर्ण नारा है।

इसके साथ-साथ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उच्च न्यायालय में हिन्दी लाने की बात कही है । मैं जानना चाहता हूं कि आप के मातहत जो अदालतें हैं उनमें कितना हिन्दी का चलन है, आपके कार्यालय तथा सेक्रेटेरियट में कितना काम हिन्दी में होता है । सेक्रेटेरियट मे ९० परसेंट अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है । जब आप संविद में शामिल घटक लोग अपने कार्यालय में अंग्रेजी को खत्म नहीं कर सकते हैं तो उच्च न्यायालय में हिन्दी कैसे ला सकते हो यह लुभावने नारे नहीं हैं तो क्या हैं ?

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि उद्योगों में मजदूरों को भी उसके प्रबन्ध में हिस्सेदारी बढाया जायगा । लेकिन किस कारखाने मे उनको प्रबन्ध में हिस्सा दिया गया है आज तक किसी के नहीं, यह भ्रम में डालने वाली बात नहीं है तो और क्या है ? माया जाल नहीं है तो और क्या है ? हवाई नारा नहीं है तो क्या है ? श्रमिक चाहता है कि मिल में श्रमिकों की हिस्सेदारी कायम हो और यूनियनों का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार की कलम से न हो कर गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर हो ।

इसी के साथ-साथ वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों व स्वायत्त शासन के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में बिठाने की बात कही गई है । लेकिन पंचायत सेक्रेटरियों को जिनको आज तक सरकार ने सरकारी कर्मचारी नहीं माना है या अन्य इसी प्रकार के कर्मचारी जिनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, उनको भी सरकारी कर्मचारी माना जाय और उस आयोग की परिधि में उन्हें भी लिया जाय । ६३ में इंजीनियरिंग मजदूरों के लिये कमीशन बिठाया गया था जिस की रिपोर्ट जुलाई, ७० में आई लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुई । मैं तो चाहता हूं कि सभी प्रकार के निजी असरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले चाहे किसी भी प्रकार के मजदूर हों, सबके लिये कमीशन बैठे और सरकारी, स्वायत्त शासन विभाग, निजी संस्थानों व दुकानों पर काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारियों का वेतन कम से कम १५० रु० व ५ से १० रु० किराये का मकान हायर परचेज स्कीम पर प्रत्येक श्रमिक को दिया जाय ।

उस आयोग, इंजीनियरिंग वेज बोर्ड की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है । मजदूरों को उस फैसले के मुताबिक सुविधा नहीं दी गई । क्या यह बतलाया जायगा कि उनके फैसले को क्यों नहीं लागू किया गया ? एक अर्सा (समय) बीता, कोठारी आयोग बैठाया गया था उसकी रिपोर्ट को आज तक नहीं माना गया । अध्यापकों को कोठारी आयोग के मुताबिक सुविधा नहीं दी गई । उसके मुताबिक उनको वेतन नहीं दिया गया । तो जब पिछले आयोगो की दुर्दशा व अनुभव हमारे समाने हैं कि वेतन आयोगों के फैसले के बाद भी कार्यान्वित नहीं किया जाता और उनकी शर्तों को लागू नहीं किया जाता तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये जो यह आयोग बैठेगा उसकी सारी शर्तों को मान ही लिया जायगा । बहुत से माननीय साथियों ने अभी चुनाव के संबंध में चर्चा की । माननीय सदस्य, मैनपुरी सूबेदार ने अलीगढ़ के दंगे का जिक्र किया कि वहां पर यह साम्प्रदायिक कांड कांग्रेस ने कराया । मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । अलीगढ़ के एस०पी० ने आई०जी०, उत्तर प्रदेश को लिखा कि यहां पर पुलिस बहुत कम है और पुलिस

का प्रबन्ध किया जाय । आई०जी० ने० यू० पी० सरकार को लिखा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की कमी है, दिल्ली सरकार से रिजर्व फोर्स मंगा ली जाय मगर वैसा नहीं किया गया ।

सरकार कान में तेल डाले बैठी रही, अलीगढ़ में दफा १४४ लगी हुई थी । जलूस निकल रहा था जुलूस में जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो उसके ५ घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है । तो अब आप ही बताइये यह झगड़ा संविद की सरकार ने खुद कराया या कांग्रेस वालों ने कराया ? झगड़ा कराने वाले आप संविद की सरकार वाले खुद थे । जब वहां पर १ मार्च को एक एम० एल० ए० क्षेत्र के वोटिंग में युनुस साहब की जीत ५० हजार के करीब हो रही थी और जब यह पता चला प्रतिक्रियावादियों को तो वहां झगड़ा करा दिया । जीत से घबराकर यह झगड़ा कराया गया। झगड़ा कराकर गरीबों को आतंकित कर तब यह जीत हार में बदली गई । अभी मा० सदस्य बाजपेयी जी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव की बात और है और विधान सभा के चुनाव की बात अलग है । उड़ीसा और बंगला की बात देख लीजिये कि उनके नतीजे क्या बतलाते हैं । मैं एक बात माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव यहां पर हों लेकिन यदि संविद ने मजबूर किया और यहां पर चुनाव दोबारा हुये तो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत सी पार्टियां लोक सभा के चुनाव में खतम हो गईं और सब घटक टूटते दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से ये सारे दल टूटते दिखाई देंगे । जिस तरह से सारे नेताओं को जमीन दिखाई गई है उसी तरह से ये सारे संविद के घटक जमीन चाटते नजर आयेंगे । नामनिशान मिटा दिया जायगा जनता की अदालत द्वारा । अभी अभी संड जी ने कहा कि मैसूर में ५० लाख रु० इंदिरा जी के चुनाव के लिये भेजा, वहां २७ सीटों का चुनाव था प्रत्येक पर क्या पड़ा ? क्या श्री अटल बिहारी बाजपेयी का १० से १५ लाख खर्चा नहीं हुआ ?

श्री रामगोपाल संड—

यह हो सकता है कि हम चुनाव न लड़ें या हार जायें लेकिन दल नहीं बदलेंगे ।

श्री प्यारेलाल—

देखो संड साहब मैंने आपकी सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी आप भी सब्र व धैर्य से मेरी बात सुनें । यदि अटलबिहारी जी सिद्धांत वाले नेता होते तो राजमाता की गोद में चुनाव न लड़कर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते । अभी सदस्य मैनपुरी ने बताया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने लाभ उठाया, नाजायज ठप्पे लगा-लगा कर जाली वोट डलवाये, काउंटिंग अफसरों पर असर डालकर गिनती गलत कराई, उनपर दबाव डाला गया, लालच दिया गया । जो लोग वोट देने वाले थे उनको बहका कर वोट नहीं डालने दिया और वैसे ही गलत व नकली वोट डाल दिये । मैं पूछना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे या दिल्ली सरकार के कर्मचारी थे ? ये सब तो यू० पी० संविद सरकार के कर्मचारी थे । फिर कैसे असर माना दिल्ली का ? जहां पर संविद की सरकार थी वहां पर ही आप लोग बुरी तरह से हारे हैं । चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मैसूर हो चाहे कोई और प्रांत रहा हो, सब जगह यही हालत हुई है । जहां पर संविद की सरकार नहीं थी वहां पर कम हारे हैं । जिस तरह से बेईमानी संविद के लोगों ने कराई है वह किसी से छिपी नहीं वह सब को मालूम है । मनिराम के चुनाव की जीती जागती मिसाल है कि वहां पर ३०-३५ मंत्री गये और जनता के गलत काम किये, जनता से झूठे वादे किये, नाना प्रकार के लालच दिये और मंत्री धरना दिये वहां पर पड़े रहे, लाखों रुपया पानी की तरह खर्च किया या लेकिन यह सब करने के बाद भी १६ हजार कुछ मतों से मुख्य मंत्री जी हार गये । उसके बाद शर्मो अख्तियार करके आज भी कुर्सी पर बैठे हुये हैं ।

[श्री प्यारे लाल]

इसी तरह से एम०पी० के लोक सभा के चुनावों में लाखों रुपया खर्च किया गया वहां गठबंधन के उम्मीदवारों ने ७,८ लाख रुपया प्रकाश वीर शास्त्री ने खर्च किया हापुड़-गाजियाबाद क्षेत्र में। मुजफ्फरनगर में १० लाख रुपये के करीब चरणसिंह जी ने खर्च किया लेकिन फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा कहां से यह सब पैसा आया ? संविद के सभी घटकों के पास क्या मोर्चे के नेता पूंजीपतियों के सहारे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, क्या अमेरिका के पैसे पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे ? उल्टा वे कहते हैं कि पैसा कांग्रेस ने ज्यादा खर्च किया और हमने नहीं किया तो क्या इसको झूठ कोई मान सकता है ? जो पूंजीपतियों व राजाओं के सहारे चुनाव लड़ें वे कम खर्च की बात को कहें कि पैसा उनके पास खर्च करने को नहीं है तो इस प्रपंच को कोई सही नहीं मान सकता क्योंकि इनकी सांठ गांठ धनकुबेरों, राजाओं व व्यापारी से थी जिनसे सहज ही इंदिरा जी को हटाने के नाममात्र पर मन चाही धनराशि मिल सकती थी ।

सबसे ज्यादा किसने खर्च किया ? पानी की तरह रुपया किसने बहाया ? जिसने व्यापारियों धन्ना सेठों, राजाओं व अमरीका की हिमायत की है सब जानते हैं राजनारायण जी का क्या कम खर्च हुआ है । उन्होंने लाखों रुपया पानी की तरह बहाया । राजनरायण के लिये तो एक बात ही कहना चाहता हूं कि जिस संसोपा को अपने खून से अपने बलिदान से अपने त्याग से अपने विचारों सिद्धांत व कार्यक्रम से स्व० डा० राम मनोहर लोहिया ने बनाया और सैकड़ों नेताओं को बनाया उसे अकेले राजनारायण जी खा गये । माननीय स्व० डा० राम मनोहर लोहिया की मेहनत खून पसीने की कमाई और उनके त्याग और बलिदान को गवां दिया राजनरायण ने । सारे नेताओं को खा गये, कोई नहीं बचा । अब संविद के घटकों को खाकर ही उनका पेट भरेगा । इस तरह के जहां नेता हों वहां कोई दल पनप नहीं सकता ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

तुमको कौन खा गया जो उधर चले गये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां पर माननीय राजरायण जी की पीठ पीछे जो ये आरोप लगाये गये हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें सदन की कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं आप चाहते हैं कि उनके नाम न लिये जायं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो आपके नियम हैं उनको आप देख लें ।

एक सदस्य —

श्रीमन् यहां पर इंदिराजी भी मौजूद नहीं हैं तो कैसे उनका नाम यहां लिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी का नाम लेना वर्ज्य नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था ठीक है लेकिन जिस भावना से राजनारायण जी का नाम ले रहे हैं कि "खा गये" यह अवमावना करना (डिसरिस्पेक्ट) है । अगर भावना में परिवर्तन हो तो अच्छा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने ने यह कहा कि संसदीय शब्द प्रयुक्त होना चाहिये । यह प्रयोग नहीं होना चाहिये । यह पहली कोटि में तो नहीं लेकिन दूसरी कोटि में आता है ।

श्री प्यारे लाल—

कांग्रेस ने बी० के० डी० को बिना शर्त समर्थन दिया था, कोई शर्त नहीं लगायी थी कि कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारतीय क्रांति दल के नेता ने स्वमं यह आश्वासन दिया कि अपने दल को कांग्रेस में मिला देंगे लेकिन जब गरीबों की पीठ में छूरा भोंका अनाचारी गलत रास्ता अपनाया, राजाओं की गोद में बैठकर गरीबो के पेट पर लात मारी और जिस हंडिया में खाया उसी में उन्होंने छेद किया, लोक सभा और राज्य सभा में इंदिरा सरकार को की समर्थन नहीं दिया बल्टा राजाओं की पैरवी तब समर्थन वापस ले लिया इंदिन्रा कांग्रेस ने। अब कहते हैं कि इंदिरा जी तानाशाह बन गयी हैं। अपने दामन में झांक कर देखे कौन तानाशाह हैं। उनके क्षेत्रों में छपरौली और मुजफ्फर नगर में क्या-क्या नहीं हुआ? वहां पर नारा था एक जाति रहेगी या ३६ जातियां रहेगीं। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में क्या वातावरण है। वहां पर जाट और नान जाट का सवाल पैदा हो गया है। जाट जाति अछूत की भांति अलग खड़ी है चौधरी चरणसिंह की स्वार्थी व गलत नीती के कारण डंडे से वोट का अधिकार छीनने के कारण। चुनाव अधिकारियों से मिलकर वहां पर गड़बड़ी कराई गयी और फिर इस तरह के आरोप दूसरों पर लगा कर अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिये धूल उड़ाते हैं दूसरों पर, कहां तक इनमें सच्चाई है।

अबकी बार चुनाव आयुक्त तथा सभी पार्टियों के नेताओं ने मिल कर यह तय किया था कि एक पोलिंग बूथ के मतों को या एक पोलिग स्टेशन के मतों को अलग-अलग ना गिना जाय बल्कि तमाम बूथों और पोलिंग स्टेशनों के मत पत्रों को एक में मिला कर एक साथ गिना जाय ताकि यह जो डंडेबाजी या बाद में दुश्मनी होती है कि तुम चमार होकर भी हमारे खिलाफ वोट दोगे तो तुम्हें खेतों मे टट्टी भी नहीं करने दी जायगी। हमारे खेतों में घास नहीं काट सकते, हमारे खेतों पंर मत निकलना। तो इस तरह के झगड़े न होने पायेंगे यह इसलिए किया गया कि जिससे किसी विशेष बूथ पर किस किस ने कितनी वोटें डाली किस को डाली किसने डाली यह किसी भी प्रकार से मालूम न होने पाये। अगर किसी तरह बूथ बाईज वोटों की गिनती की गई तो यह मालूम हो जायेगा कि किसको किसने वोट दी। इसको ध्यान में रखते हुए एक एम० एल० ए० क्षेत्र के वोट एक साथ खोले जांय। बड़े बाक्स में उनको मिलया जाय उसके बाद गिनती हो। ऐसा फैसला होने व करने पर अब यह कहते हैं कि चुनाव आयोग ने धोखा किया है। ये महागठबन्धन वाले असत्य कहते हैं। इसलिये हमें कहना पड़ेगा कि "जादू वो जो सिर चढ़कर बोले और झूठ वह जो संविद के नेता बोलें"। जो इस तरह को प्रचार करते हैं, जो रूस से बैलेट पेपर मंगाने की बात करते हैं वे हारे तो हैं चुनाव में अपने कुकर्मों व गलत नीतियों की वजह से। यदि वे जनता में जाकर अपने सिद्धान्त बतलाते, कार्य-क्रम बताते किसी की गलत आलोचना नहीं करते तो कुछ सीट ले जाते। लेकिन इनका एक सूत्री कार्यक्रम था। इंन्दिरा हटाओ। इन्दिरा ने यह किया इन्दिरा ने वह किया आदि आदि। जितना इन नेताओं ने इन्दिरा को कोसा उतना ही जनता ने इन्हें जमीन के अन्दर घूसेड़ दिया। तो यह इस बात का सबूत है कि जो जनता के रहनुमा को जो गरीब जनता के मसीहा को गाली देगा वह जमीन के अन्दर घुसा दिया जायगा, उस का अस्तित्व नहीं रहेगा।

चुनाव आयोग के विषय में जांच की बात माननीय सूबेदार ने कही है। यदि ऐसा जांच आयोग कोई बैठे तो मालूम हो कि कितनी गड़बड़ियां होती है बन्दूक के बल पर वोट का अधिकार किसने छीना पश्चिमी जिलों में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं सिर्फ भारतीय क्राति दल की वजह से। १४–१५ दिन पहले वर्मा जी ने मुजफ्फरनगर पहुंच कर पुलिस वालों को और एस० पी० को धमकाया और कहा कि यहां जाटों के ग्रामों में ज्यादा पुलिस क्यों लगाई है। जनता पर नाजायज दवाव डाले उसी की वहज से वहां के एस० पी० का तबादला भी हुआ। इस प्रकार की अनिमितताये सरकार की वजह से ही हुई। किसने नाजायज दवाव चुनाव में डाले यह सब समझते हैं कि किसने जनता को दबाया संविद के नेताओं ने। यदि जांच आयोग बैठ जाय तो सब बातें साफ हो जायं। किसने कितना खर्चा किया और किसने सरकारी मशीनरी

[श्री प्यारेलाल[

का दुरुपयोग किया आज भी पच्छिमी जिलों में मां बहनों की इज्जत बिगाड़ी जाती है और लाठी व वल्लम मारे जाते है। खैर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इनके सिद्धान्त ही नहीं मिलते हैं तो फिर गठबन्धन कैसा कुछ घटक कहत है कि राजा नवाब कायम रहेंगे, पूंजीपति कायम रहेंगे, एक घटक कहता है कि इनका खात्मा कर समाजवाद लायेंगे एक पूर्व को जाने वाला है और दूसरा पश्चिम को जाने वाला है तो फिर एक राय होकर एक रास्ते कैसे चलेंगे जब राह हीं जुदा है। जब दोनों एक जगह मिलकर बैठेंगे ही तो जनता समझती है कि यह जो समाजवाद का नारा देते हैं वह ढकोसला मात्र है। ये राजाओं और अमीरों की गोद में बैठते हैं और झूठे नारे देते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, हम बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। हम यह करना चाहते हैं हम वह करना चाहते हैं।

जनसंघ ने दिल्ली में नारा लगाया कि तीन साल म नौकरी मिलेगी, पांच साल में मकान मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा जादू का पिटारा है जो वह नौकरी और मकान देंगे। उन्होंने कहा था कि कर लगायेगें नहीं। टाटा बिरला को खत्म करेंगे नहीं, राजाओं व्यापारियों को छुयेगें नहीं तो कहां से दे देंगे नौकरी और मकान---कैसे समाजवाद लायेंगे ? इसका जवाब उनके पास नहीं था क्योंकि ये तो नारा ही देना जानते थे---गोलमोल नारा। जब जनता ने देखा कि ये सब असत्य आदमी इकट्ठे हो गये हैं ये कुछ करेंगे नहीं अपना अपना स्वार्थ ही साधेगें और ये सब एक ही गिरोह के हैं जो वोट जनता से और पूजा पूंजीवाद की करना चाहते हैं। राजाओं के पैसे से राजनीति करने वाले हैं। इजराइल और अमरीका के पैसे से राजनीति करने वाले हैं। तो जनता जागी और संविद भागी। जो यह कहते थे कि सारे देश में हमारे ही दीपक जलेंगे, हम ही दिल्ली में सरकार बनायेंगे उनके दीपक बुझ गये। केवल २२ दीपक ही शेष बचे हैं सारे देश में। किसी पार्टी का अस्तित्व शेष नहीं रहा। क्योंकि सिद्धान्त विहीन व स्वार्थी समझौता था। लेनिन के खिलाफ भी ऐसा ही महागठबन्धन यूरोप में बना था। लेकिन वह भी लेनिन की प्रगति नहीं रोक पाया। ऐसा ही मोर्चा इंदिरा जी के खिलाफ बना इन्दिरा को हटाने के लिये लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। चुनाव के बाद ही श्री मधु लिमये ने कहा कि यह महागठबन्धन मोर्चा केवल चुनाव के लिए बना था, यह महागठबन्धन अब खत्म हो गया है। जार्ज फरनान्डीज ने कहा कि उत्तर प्रदेश मे संसोपा गलत रास्ते पर चल रही है। संसोपा के मंत्री संविद की सरकार से हट जावें लेकिन संसोपा नेताओं की आखों पर कुर्सियों की ऐसी चर्बी छायी है कि वह अपने दल के महासचिव जार्ज की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं, और बेहयाई के साथ कुर्सी से चिपके हुये हैं सिद्धान्त व उसूलों को तोड़ कर के धनकुबेरों की भेंट चढ़ाकर। उपाध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण व धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और नारायणदत्त जी ने जो संशोधन पेश किये है मैं उसका समर्थन करता हूं।

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री नित्यानन्द स्वामी की प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन व महंगाई भत्ते सम्बन्धी मांगों के सम्बन्ध में। श्री शिवदास तथा श्री बांकेलाल की राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क में श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में। श्री रामकृष्ण द्विवेदी की प्राथमिक शिक्षकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते सम्बन्धी मांगों के बारे में। श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद की जिला मिर्जापुर के मझवा विकास खंड के अधिकांश ग्रामों में कुओं के सूखने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में और श्री राजित राम पान्डेय की जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया में हो रहे चकबन्दी के कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में।

नियम ५६ के अन्तर्गत केवल एक सूचना प्राप्त हुई है। श्री देवकी नन्दन विभव की प्राथमिक शिक्षकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में। माननीय अध्यक्ष ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि राज्यपाल जी के अभिभाषण की बहस और अनुदानों के सिलसिले में आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

अतएव ये सभी अस्वीकृत कर दिये गए हैं।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, हमारा बड़ा जरूरी है.....

एक सदस्य--

श्रीमन्, हमारी सूचना.....

(व्यवधान)

(सदन में काफी शोर होने लगा)

श्री उपाध्यक्ष--

जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया के सम्बन्ध में आपने सूचना दी है, इसके बारे में आपको अवसर मिलेगा, आप आलोचना कर सकेंगे बजट के सिलसिले में आपको अवसर मिलेगा।

श्री राजित राम पांडेय--

मैं तो चाहता हूं कि कार्यवाही हो।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और अपने विचार रखना चाहता हूं।

चूंकि हमारे माननीय कमलापति जी भी नहीं हैं और नारायण दत्त जी तिवारी भी नहीं हैं। मेरा तो यही अनुभव है कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तब प्रायः ये नहीं रहते हैं। पता नहीं कि ये मुझसे नाराज हैं जो मेरी बात को सुनें। लोकसभा चुनावों की बड़ी चर्चा रही है और जनता ने इन्डीकेट पार्टी का काफी समर्थन किया है इसमें कोई सुबह नहीं है। कभी कभी जनता की तरफ से इस तरह की भ्रान्ति हो जाया करती है। कभी-कभी जनता द्वारा इस प्रकार की गल्ती हो जाया करती है। लेनिन के बारे में रूस में यही हुआ था। मैं यह मानता हूं कि जनता ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। क्यों लिया है? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी इन्दिरा के खिलाफ हवा बहुत तेजी के साथ बहने लगे और उनका तख्ता उटल जाय : समाजवाद और राजाओं के प्रीवीपर्स का जो नारा लगाकर नाटक खेला गया है उसका वास्तविक रूप जनता के सम्मुख बहुत जल्दी ही आ सकता है। राजाओं के साथ समझौता हुआ था कि उनको प्रीवीपर्स मिलेगा और जबकि संबिधान में उसकी धाराओं को नहीं बदला जाता उस समय तक यह समाप्त नहीं हो सकता है।

हमारे संविधान में इसके लिये जो धारायें हैं वे जब तक २।३ बहुमत से बदली नहीं जाती उस समय तक इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। पता नहीं इसमें क्या बात थी या केवल जनता को दिखलान के लिये ही इसको किया गया। जब तक संविधान की धाराओं को नहीं बदला जाता उस समय तक प्रीवी पर्स समाप्त नहीं होगा। लेकिन यह सच है कि यह एक

[श्री बांकेलाल]

नाटक रचा गया । इन्द्रा जी ने लोगों से कहा कि वह समाजवाद चाहती हैं और लोगों को रोजी, रोटी और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी तथा बेरोजगारी को समाप्त करेंगी। उन्होंने यह कहा कि इन लोगों ने मेरे पिता को काम नहीं करने दिया और मुझको भी काम नहीं करने देते हैं। इसलिये आप मेरी बांह मजबूत करें। उनका यही ५ मिनट का भाषण होता था। जनता ने केवल उनकी बांह ही नहीं उनका सारा जिस्म मजबूत कर दिया । अब तो उनका बहुमत ३/४ के करीब हो गया है। मैं आप के सम्मुख कहता हूं कि अगर ६ महीने के अन्दर इन्दिरा जी का कोई इस प्रकार का समाजवादी कदम हुआ तो मैं और मेरी पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। मैं फिर भी कहता हूं कि राजमहल में रहने वाली राजकुमारी समाजवाद के जंगल में जो काटों से भरा है कभी नहीं चल सकती है।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो कहा है वह व्यक्तिगत आक्षेप है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो कि सदन में उपस्थित न हो नाम लिया जाना न्यायसंगत नहीं है। माननीय सदय ने ऐसे तथ्यों की ओर यहां से जो सम्बद्ध नहीं है जिक्र किया है। जिन शब्दों का माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है उनके प्रति मैं गहरी आपत्ति करता हूं । माननीय सदस्य ने जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं का ध्यान न रखते हुये, सदाचरण को समाप्त कर दिया है। मैं आग्रह करूंगा कि बदलती हुई स्थिति में जब कि समाज और सामाजिक परिवर्तन हो रहा है जनता के ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने आदरणीय नेता के विरुद्ध बहुत ही आपत्तिजक है और मैं इस पर आपत्ति करता हूं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जो सदस्य वैधानिक बातोंपर भाषण दे रहे हैं वे स्वयं भी उसके अन्तर्गत रहें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक नये सदस्य के प्रति आपका इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

यह ठीक है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये जैसा कि हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि कई दफे अनाम, अमूर्त लोकतंत्र की कल्पना कर सकने की कठिनाई के कारण किसी का नाम ले लिया जाता है । यह नितान्त कठिन, विषय है, इसमें कई लोगों का नाम ले लिया जाता है । अगर किसी तथ्य के निरूपण से सम्बद्ध है, सार्वजनिक प्रश्न से जुड़ा है तो यह कहा जा सकता है कि यह सत्य है उसका जवाब दिया जा सकता है, जैसे कि राजनारायण जी का नाम लिया गया। इन्दिरा जी का नाम उम्मीदवार की हैसियत से लिया गया। जब किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति में दे चुका हूं और उसने उनका नाम लिया और आलोचना की। ऐसी बातें कहना सुरुचि के विपरीत है। ऐसी हालत में शिष्टता और मर्यादा का सदैव ध्यान रखना चाहिये।

श्री बांके लाल—

अभी कई माननीय सदस्यों ने संविद और हमारे नेताओं के बारे में खूब दिल खोलकर कहा नारायण दत्त जी तिवारी ने भी कहा और नाम ले लेकर कहा परन्तु मैं तो बरदास्त करता रहा और उसको इत्मिनान के साथी मैंने सुना। जब इन्दिरा जी समाजवाद की ओर दो एक कदम चलेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, यह विश्वास रखें। लेकिन हमें इतमीनान नहीं है। उनकी

केवल बात ही बात है, केवल नारा ही नारा है। हमारे यहां बुलहवां स्थान है। वहां पर एक साधु हो गये और उन्होंने चार साधु इकट्ठा करके ऐलान करवा दिया कि हमारी भभूत से कोढ़ अच्छा हो जायगा, जिसके बच्चा न होता हो उसके बच्चा हो जायेगा। वहां पर दो तीन लाख की भीड़ इकट्ठा होने लगी। साधु जो पर बारह बोरा बताशा चढ़ता था। देश देशान्तर के लोग वहां आने लगे। कई अंग्रेज भी वहां आये। एक दार्शनिक भी वहां पहुंचे गये जिन्हें उस साधु ने पिटवाया। उसी रात को वह साधु पकड़ा गया। वहां जनता घिर आई और उसको बहुत मारा। वह साधु छः मास कारावास में रहे। भारत की जनता एक बार सब को छूट देती है।

समाजवाद के नारे पर जनता ने आपको बहुमत में चुना। लेकिन समाजवाद छः महीने में, एक साल में, तीन साल में आना चाहिए। हम भी समाजवादी हैं। समाजवाद के मार्ग पर चलने वाले हैं। अगर दो सौ एकड़ जोतने वाले समाजवादी हो सकते हैं तो बांके लाल के पास तो केवल दस बीघा है। हमारे पास भी अकल है हम भी राजनीति करते हैं। हवा बही, आपकी जीत हो गयी। लेकिन इस जीत के उन्माद में इस तरह वार्तालाप न करें नहीं तो वह हार में परिणत हो जायगा और हम लोगों का मन चंगा हो जायगा। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करने के लिये लोग खड़े होते हैं। जब कमलापति जी और चरणसिंह जी की सरकार बनी थी तो बहुमत कमलापति जी का था, नारायणदत्त तिवारी जी का बहुमत था लेकिन सवा तीन एकड़ तक के किसानों का लगान माफ नहीं करा सके। लेकिन हम लोग केवल २५-२६ की संख्या में हैं। हम लोगों ने हाथ उठाये और लगान सवा छः एकड़ तक का माफ होगया। यह पहला मौका है जबकि ऐसा हुआ। आप को और जनता को यह मानना चाहिए। कि महात्मा गांधी का जो नारा था कि अलाभकर जोत पर लगान माफ हो तो वह कांग्रेस सरकार बीस बाईस साल में जिस काम को नहीं कर सकी, उसे संसोपा ने करवाया। यह सही बात है और सही बात को कबूल करने में क्या हर्ज है।

हमारे जैसे आदमी को लोग कहते हैं कि पूंजीवादी वर्ग से गठबंधन है। इसमें कौन पूंजीवादी वर्ग है। जो थे वह तो इंडीकेट में चले गये। मजीठिया, बिड़ला और टाटा को देखें। बीस करोड़ रुपया प्रधान मंत्री ने दिल्ली में बुला कर उनसे लिया। नतीजा यह हुआ कि मोटे कपड़े की, जिसको गरीब और मजदूर पहनता है, कीमत बढ़ गयी और साठ करोड़ रुपया कपड़े के मिल मालिकों ने लूट लिया। सीमेंट, लोहा, कपड़ा सेन्टर की चीजें हैं। यह प्रान्त की चीज नहीं है। यह इन्दिरा जी के हाथ की चीज हैं। इन सब की कीमत बढ़ गयी। क्या यही समाजवाद है? अपने लड़के को मोटर बनाने का कारखाना सौंप दिया। क्या यही समाजवाद है? राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है। क्या वह प्रांतीय सरकार के हाथ में है। गन्ने की कीमत तक तय करना तो प्रान्तीय सरकार के हाथ में है नहीं। संविधान में लिखा है कि कंपेन्सेशन देकर किसी की चीज को ले सकते हैं। अगर इन कारखानों की टूटी-फूटी मशीन को ले लेंगे जिन पर करोड़ों रुपया खर्च हो तो फिर जनता चिल्लाने लगेगी और आप भी विरोध करेंगे। इसलिए संविधान में परिवर्तन करवायें। राष्ट्रीयकरण होना है तो दिल्ली से हो। मिल में किसान का गन्ना जाता है। वहां जो मुनाफा होता है वह किसान और मजदूर में बंटे तो यह ठीक है। मिलों की आमदनी से सरकारी अधिकारी मस्ती करें और मौज लूटें। यह समाजवादीकरण हम नहीं चाहते हैं?

मैं आपका ध्यान सीलिंग से निकली हुई जमीन की ओर दिलाना चाहता हूं। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के—दोनों ही सरकार में रहे हैं। सीलिंग से जितनी जमीन निकली है वह जमीन गरीबों को नहीं मिली है। वह जमीन कहां चली गई? लाखों एकड़ जमीन किसके पेट में चली गई। वह जमीन लेखपाल के, बड़े-बड़ लोगों के, कलेक्टरों के और कमिश्नरों के पेट में चली गई और इस सरकार के पेट में चली गई। उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। समाजवाद का सदन में हल्ला मचाने से और बाहर नय-नये नक्शे दिखा देने से समाजवाद नहीं आयगा। समाजवाद लाने के लिये सामजवादी मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी। ३०

[श्री बांकेलाल]

करोड़ रुपया मध्यावधि चुनाव म खर्च हुआ । चार-चार लाख रुपया प्रधान मंत्री के एक-एक प्रोग्राम में खर्च हुआ है । यह समाजवाद का रास्ता नहीं है और न यह समाजवादी कार्यक्रम है। समाजवाद लानेके लिये बलिदान करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा । ऐसा करने के लिए इनमें से कौन है ? कोई २,००० एकड़ बोता है, तो कोई १,००० एकड़ लिए हुए है । किसी के पास ४०० एकड़ जमींन है और ट्यूबवैल लगवाकर मस्ती ले रहा है । कहे जाओ समाजवाद जब तक जनता अनाड़ी है, मगर यह परिस्थिति एक दिन जरूर बदलेगी । जो बात सही है उसको मानना चाहिये ।

राज्य कर्मचारियों तथा मास्टर लोगों की मांगों के बारे में प्रश्न आया । उनको अन्तरिम सहायता देने के लिये १५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह बात राज्यपाल के अभिभाषण में भी स्पष्ट कर दी गई है। इसके अलावा हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों तथा जिला परिषदों के स्कूलों के मास्टरों की तनख्वाह सरकारी खजाने में बैंकों के द्वारा, एक तरह से घोषणा है, दी जायेगी । जो काम होते हैं उनका समर्थन करना चाहिये, जो नहीं होते हैं उनके लिए लड़ना चाहिये, कहना चाहिये और विरोध करना चाहिए । एक हवा आई और उस हवा में मुख्य मन्त्री जी इस्तीफा दे दें । मुख्य मन्त्री जी क्यों इस्तीफा दे दें जब संविधान के अन्तर्गत उन्हें मुख्य मन्त्री बने रहने की छूट है । संविधान को ३६७ सदस्यों ने बैठ कर बनाया और उन में स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेदकर भी रहे । कहते हैं कि मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना चाहिये क्योंकि जनता ने उनको हरा दिया है । माना जनता ने उनको हरा दिया है मगर हमें तो जनता ने नहीं हराया है । हम जनता के द्वारा चुने गये हैं और उन्हें मुख्य मन्त्री बना रहे हैं । प्रजातन्त्र में विश्वास करने वालों को कभी नहीं कहना चाहिए । हमें भी प्रजा ने चुना है और हम जीत कर आये हैं । हम लोग चाहते हैं कि उनको मुख्य मंत्री बनाएं । दलील दो जो मजबूत हो, गलत दलील दोगे तो कट जाएगी ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धरती का बंटवारा हो । मैं यह चाहता हूं और यह मेरी मनोवृत्ति है । यह हमारा और संसोपा का वसूल है कि भुखमरी खत्म हो, बेरोजगारी समाप्त हो और मुफ्त पढ़ाई हो । तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन-जिन के पास अधिक जमीन है उसकी सीमा हो । शुरू में ३० एकड़ की अधिकतम सीमा रखी गई थी उसका जिक्र इसमें नहीं है । जमीन के बारे में निश्चित रूप से व्याख्या होनी चाहिए और जमीन की सीमा का निर्धारण होना चाहिये । बड़े जमीन वालों से जमीन मिलनी चाहिए । यह मैं जानता हूं कि कुछ कायदे कानून हैं मगर उन कायदे व कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है । इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि सख्ती से लोग काम नहीं ले रहे हैं मैं मंत्रीगणों से कहना चाहता हूं कि वे अधिकारियों से सख्ती से काम लें और जो जमीन सीलिंग से निकली है वह गरीबों को मिले । जमीन की सीमा निश्चित होनी चाहिए । ज्यादा जमीन इधर के लोग भी बताते हैं और उधर के लोग भी रखे हुए हैं । कोई नहीं चाहता कि जमीन की सीमा निश्चित हो । इसी कारण इसका जिक्र नहीं है । जमीन की २० एकड़ की सीमा होनी चाहिये हर परिवार के पास । और बाकी जमीन जब्त करके गरीबों में बांटनी चाहिये ।

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण की बड़ी दुहाई दी जाती है । प्रान्तीय सरकार को उसका कोई अधिकार नहीं है क्योंकि दिल्ली की सरकार अगर एक कलेक्टर है तो प्रान्त की सरकार चपरासी की तरह है । इस सरकार की मान्यता कम है जब कि दिल्ली की सरकार की मान्यता बहुत अधिक है । अब राष्ट्रीयकरण की बात जब आती है तो बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण प्रधान मंत्री जी को करना चाहिये । वे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में तो कहती हैं कि वह होना चाहिये, मगर बिहार को छोड़ना चाहती हैं, क्यों ? यह तिकड़म वाली राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है । इस पक्ष के लोगों को और उस पक्ष

के लोगों को साफ मन से समाजवाद की ओर सही कदम उठाना चाहिये और आपस में मिलजुल कर उठाना चाहिये। मन में तो चोर है, बात समाजवाद की करते हो, इससे हित नहीं होगा। यह चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज जनता सचेत हो गयी है। यह सही है कि वह समाजवाद चाहती है। मगर समाजवाद इस तरह से नहीं आयेगा। अगर समाजवाद नहीं आया तो बगावत होगी और हम लोग उसके अगुआ बनेंगे। इसलिये मन साफ करके, संगठन बनाकर समाजवाद की ओर कदम बढ़ाओ, इसके लिये हम लोग भी तैयार हैं।

एक बात मैं माननीय सदस्यों से दल बदलने के बारे में कहूंगा। अगर संसोपा के माननीय सदस्य दल न बदलते तो आज संसोपा की सरकार होती। सबसे पहले माननीय गेंदासिंह जी ने दल बदला, शुरुआत उन्होंने की। हमारे प्यारे लाल भाई ने दल बदला। नारायणदत्त तिवारी जी ने दल बदला। बरगद के चिन्ह से जीत कर एम० एल० ए० हुये, जीतने के बाद दूसरे दल में चले गये। मैं कहता हूं कि अगर दल किसी को बदलना है तो पहले वह एम० एल० ए० के पद से इस्तीफा दे, फिर से वह जिस दल में आना चाहता है, उस दल के टिकट से जीत कर आये। कुर्सी के लालच में या किसी लालच में दल बदलना बहुत ही गलत है। नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है, वही हाल हमारे प्यारे भाई का है। नारायणदत्त जी वही हैं जो पहले हमारे दल में थे। कुर्सी के खातिर चले गये। यह गलत है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जमीन के बंटवारे का कोई जिक्र नहीं है। उसका भी जिक्र होना चाहिये। गरीबों को जमीन मिलना चाहिये। जिनके पास रोटी का कोई सहारा नहीं है, उनको जमीन मिलना चाहिये।

मान्यवर, बनारस में गोली चली। विद्यार्थी लोग हमसे चिढ़े हैं। वहां के बारे में कमेटी बैठी है, उसकी जांच से सही बात पता हो जायेगी, मगर जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि संविद ने गोली चलवा दी, मैं कहता हुं कमलापति जी ने चलवा दी चुनाव को जीतने के लिये। मेरे लिये भी छूट है। जांच होगी सदन के सामने सही बात आ जायगी। यह भी हो सकता है कि कमलापति त्रिपाठी के १०--२० आदमी रहे, वह फटफटाने लगे, कि पुलिस को चोट आ गयी और पुलिस ने गोली चला दी, लोग मर गये। तथ्य पर पहुंचना चाहिये। इन शब्दों के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यह जो विवाद शुरू हुआ है धन्यवाद के प्रस्ताव पर गवर्नर साहब के, मैंने इसमें कुछ संशोधन दिये हैं, मेरी समझ में एक बात नहीं आयी कि लोक सभा के चुनाव को लेकर इस सदन के अन्दर इतनी गरम बहस क्यों हो रही है। एक दो शब्द उसमें कहे गये हैं कि उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं। उसको आधार बना कर इतनी गरम बहस होना मुझको उचित नहीं मालूम होता है। इतनी बात जरूर कहूंगा कि इसके अन्दर यह जरूर कहा जाना चाहिये था कि लोक सभा के चुनाव के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार एक आयोग के गठन पर विचार करे ताकि यह मालूम हो सके कि जो कानून बने हुये हैं, जो सीमा बनी हुई है कि अधिक से अधिक कितना रुपया चुनाव पर खर्च किया जा सकता है उसके आधार पर प्रजातन्त्र को कायम रखना है। जब वह सब मेटियामेट हो जाय तो क्या आगे प्रजातंत्र कायम रह सकेगा? इसके मानी होंगे कि कोई भी गरीब पार्टी या गरीब कैंडीडेट एलक्शन में हिस्सा नहीं ले पायेगा। आज भी समस्त उत्तर प्रदेश में न मालूम कहां कहां से एम आर जी की गाड़ियां आ गयी हैं वह अब भी घूम फिर रही हैं। वह किसी दल विशेष ने लाट ली थी और सब कैंडीडेट्स को दस-दस बीस-बीस बांट दी गयी थीं। इससे पहले एम आर जी नाम की गाड़ियां नहीं थीं। अब देखने में आ रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हसैन]

हैं। वह कहां से आयीं, कैसे आयीं, उस एम आर जी के कैंडीडेट ने कितना रुपया खर्च किया इन सारी चीजों की जांच के लिये एक कमीशन की नियुक्ति जरूरी थी, जो, प्रदेशीय सरकार को करनी चाहिये था। उसका जिक्र इसके अन्दर जरूरी था। यह बड़ा जरूरी है अगर डेमो-क्रेसी सफल बनाने की बात आप लोग करते हैं। इससे ज्यादा इस मामले में जाकर बहस करना मैं तो उचित नहीं समझता।

इस माननीय सदन के अन्दर बहुत दिनों से पिछले सालों से यह गरमागरम बहस रही कि जमीन की कोई हद मुकर्रर हो, अधिक से अधिक कितनी जमीन किसके पास रह सकती है। इसके ऊपर क्राइसिस भी आयी पार्टियों में। दल बदल भी हुये और ताकत भी बदल गयी। लेकिन खेद की बात है कि आज भी उस गरम मसले को लेकर सारी तकरीर के अन्दर गवर्नर महोदय ने यह नहीं कहा कि अब भी वह इस नतीजे पर पहुंची है या नहीं कि अधिक से अधिक कितनी जमीन, कितनी एकड़ की सीलिंग होनी चाहिये। हो सकता है जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि कुछ माननीय सदस्य इधर के बैठने वाले और कुछ उधर के बैठने वाले हों जिन्होंने २३ साल में जा बेजा, जोड़ तोड़ लगाकर हजारों एकड़ जमीन इकट्ठा कर ली हो और उन सब को यह चिन्ता हो कि कहीं जमीन पर सीलिंग हो गयी तो सारी २३ साल की कमाई चली जायगी।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह मसला आखिर हल कैसे होगा। आज गरीबी हटाने का नारा लग रहा है। समाजवाद का एक उबाल चला, लेकिन सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स जब इकट्ठे किये गये और उनसे पूछा गया कि सीलिंग के बारे में आप का क्या विचार है तो लोक सभा चुनाव के पहले और बाद में भी उन्होंने कह दिया कि हम अपने यहां की सीलिंग में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। गरीब आदमी की गरीबी उस दिन दूर होगी जब उसके पास ४ एकड़ जमीन होगी। और वह आदमी जिसके पास रहने की जगह नहीं है, उसके लिये यदि मकान बनवाय जायं, तो कम से कम प्रत्येक के मकान के लिये ४--५ हजार रुपया चाहिये। उनकी गरीबी दूर करने के लिये और उन्हें मकान देने के लिये रुपया कहां से आयेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी जो नौकरी चाहता है, और आदमी को नौकरी देने के लिये २०--२५ हजार रुपये की जरूरत है, तो कैसे गरीबी दूर होगी, यह रुपया कहां से आयेगा ?

आज कुछ लोगों को खुशी है कि आज वह शक्ति इकट्ठा हो गई है कि उन्हें किसी के मदद की जरूरत नहीं है और यह फारमूला अब बन गया है कि दूसरे को हड़प करो और अकेले चलो। लेकिन यह याद रहना चाहिये कि इस प्रदेश का वोटर इतना समझदार हो गया है कि एक समय वह था कि इस प्रदेश के वोटर ने श्री नित्यानन्द स्वामी की पार्टी को ६८ की तादाद में चुन कर भेज दिया और फिर यह समझा गया कि अब तो अकेले चल कर अपनी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। फिर यह नारा लगा कि १८ रुपया प्रति क्वींटल गन्ने का दाम किसानों को मिलगा तो उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या घट कर ४८ रह गई और उनके स्थान पर एक दूसरी नई पार्टी आ गई। फिर जब जनता को उनके जमाने में यह मालूम हुआ कि ५० करोड़ रुपये का गन्ना खड़ा सूखता रह गया और जब वह समाप्त हो गये तो एक नया नारा गरीबी हटाओ का लगा और जनता उसके नीचे आकर खड़ी हो गई। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में जो दिन प्रति दिन एन्टीनेशनल एलीमेंट्स और फिरकापरस्त ताकतें जोर पकड़ रही हैं, चाहे वे हिन्दू फिरकापरस्त ताकतें हों चाहे मुस्लिम फिरकापरस्त ताकतें हों, उस पर हमारी सरकार को बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

मेरे मुरादाबाद जिले में, आप अखबारों और रेडियो के जरिये सुनते रहे होंगे कि रात का कर्फ्यू लगा हुआ है ९--१० दिन तक वहां की जनता को पुलिस और गोली के अलावा और कुछ नहीं सुनाई पड़ा और उन्हें न खाना मिला और न पानी। मैंने इस सदन में कई बार कहा कि जो फिरकापरस्त ताकतें हैं, उनसे आपको निपटना होगा और यह देखना होगा कि वे कैसे पनप रही हैं और उन्हें कौन पनपा रहा है वे कहां-कहां पनप रही हैं। मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम

लोग जो नये संगठन हैं उसकी तरफ भी सरकार को देखना होगा कि यह संगठन कैसे पनप रहे हैं और क्यों पनप रहे हैं, इसके क्या वजूहात है। हो सकता है कि कुछ गैर मुस्लिम जनता के अन्दर ऐसी बातें हों कि उनका देश में विश्वास नहीं है और ईमान नहीं है और यह भी हो सकता है कि मुस्लिम जनता में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हों कि उनकी हर बात में उपेक्षा की जा रही है, इस लिये उन्होंने एलेक्शन में अपना प्रतिनिधि अलग से चुनकर भेजने का निर्णय किया हो। लेकिन इन सारे कारणों का यह मतलब नहीं है कि एलेक्शन की आड़ लेकर कुछ नेता मुस्लिमों की नुमाइन्दगी करने की आड़ लेकर मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम लीग जैसे संगठन बना लें और उनके द्वारा फिरकापरस्ती का एक जहर अपने देश में फैलायें।

आज से ६ महीने पहले जितने मुस्लिम लीगी थे वे मजलिसे मशावरात में शामिल थे और एलेक्शन के मौके पर फिर मैदान में आ गये। मजलिसे मशावरत के सम्बन्ध में पहले भी मैंने इसी सदन में सब का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे आपसी कशमकश में जब एलेक्शन का मौका आया तो जबाव देने के लिये मुस्लिम लीग सामने आ गयी। और वे गरीब मुसलमान जो दिन भर भूखे रहते हैं, दिन भर परेशांहाल रहते हैं, सरकार के मजालिश और दूसरी बातों से परेशान व नाराज रहते हैं उनके जजबात को उभाड़ने के लिये आपस में एक दौड़ व होड़ सी हो गयी और उसका नतीजा हुआ कि अगर मजलिस से मशावरत की ओर से नाराये तकदीर और अल्ला हो अकबर के नारे लगाये जाते थे तो मुस्लिम लीग की तरफ से डब्बल नारा ये तकबीर और अल्ला हो अकबर के लगाये जाते थे। इन सब का नतीजा यह हुआ कि एलेक्शन के मौके का फायदा उठा कर मुरादाबाद के वे नेता लोग न मालूम क्या समझ कर, उस सीट को दूसरे के लिये छोड़ कर कहां चले गये।

मुरादाबाद में फिरकापरस्ती के नाम पर एलेक्शन लड़ा गया और यह बड़े अफसोस और खेद की बात है। इसके लिये एक कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये कि यह खेल क्यों खेला गया। इस खेल की बदौलत मुरादाबाद शहर के गरीब मुसलमान, गरीब हिन्दू और तिजारत पेशा लोग १० दिनों तक अपने घरों के अन्दर पड़े रहे और भूखे प्यासे रह कर खून के आंसू पीते रहे। वहां पर इस तरह के नारे सुनने को मिलते रहे कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे, आधी रोटी खायेंगे पाकिस्तान बनायेंगे। तो यह क्या तमाशा है, इसको क्यों नहीं रोका गया और अगर नहीं रोका गया तो क्यों नहीं आप जल्द से जल्दा फैसला कर लेते कि नहीं होगा तो हम सारे देश को कई हिस्सों में बांट देंगे। एक छोटा पाकिस्तान बनायेंगे, एक डी० एम० के० स्थान बनायेंगे या एक मजहबी बंगालिस्तान बनायेंगे? इस पर आपको गहराई से सोचना पड़ेगा और दिन पर दिन जो फिरकापरस्त और हिन्दू मुसलमानों में नफरत पैदा हो रही है उसके लिये जल्द से जल्द एक कमीशन की स्थापना होनी चाहिये जिसस मालूम हो सके कि मुरादाबाद में जो दंगा हुआ या इलाहाबाद व अलीगढ़ में जो फसादात हुये उसके पीछे क्या चीज थी।

आखिर वे नेता लोग आज कहां चले गये तो रोज डबलरोटी और मक्खन उड़ाया करते थे? उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और गवर्नर महोदय को कमीशन बनाने की घोषणा करनी चाहिये जिससे लोक सभा के एलेक्शन के मौके पर हिन्दू मुसलमानों में जो नफरत का बीज पैदा हुआ उसकी इनक्वायरी करा कर उसको रोकने के सिलसिले में कोई कार्यवाही की जा सके ताकि आयन्दा जब कभी लोक सभा का एलेक्शन हो तो इस तरह की चीजें न हो सकें। यह खेद की बात है कि इस तरह के नारे लगा कर मुसलमानों के दिल पर जो जख्म था उससे फायदा उठाने की कोशिश की गयी जिससे यह प्रदेश और भी बर्बादी की ओर बढ़ सके।

यहां एक बात और कहनी है कि गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में उर्दू के लिये कहीं पर एक लाइन भी नहीं कहा है कि उर्दू की तरक्की के लिये सरकार क्या करना चाहती है। उर्दू के लिये एक लाइन भी इसमें न होने का माने यह है कि अब तक उर्दू के लिये जो कुछ भी किया गया है उससे वे मुतमइन हैं और उर्दू को आगे बढ़ाने के लिये कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिये उसके अन्दर उर्दू का कोई जिक्र नहीं है: उर्दू के लिये भी आपको कुछ न कुछ करना है क्योंकि

[श्री रियासत हुसैन]

इसका मुसलमानों के दिलोदिमाग पर बड़ा असर पड़ेगा । नहीं हम तुम्हारी परेशानी और दिक्कतों को समझते हैं और आगे कुछ करने जा रहे हैं जिसके लिये तुम्हें तसल्ली तथा इत्मीनान रखना चाहिये ।

मैं इस माननीय सदन में खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूं कि आपकी पुलिस की हालत यह है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में यक कलम खत्म कर दें तो कोई हैरत की बात नहीं होगी । उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस के सम्बन्ध में हुई तथा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा कर देखें तो सिवा इसके कि वह आर्गनाइज्ड गैंग बन कर रह गयी है और कुछ नहीं है । ला एंड आर्डर की मेनटिनेन्स में वह मददगार नहीं है । आज उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस का एक ही काम रह गया है कि अपने इंटरेस्ट में दरोगा जी ३२३ के मुकदमे को ३९४ का केस बनाते हैं और ३९४ के मुकदमे को ४२३ का मकदमा कैसे बनाते हैं ? सिर्फ यह काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के दरोगा का रह गया है । देखने में यह आया है कि ३०२ की जिस घटना में थानेदार यह समझता है कि इसमें उसे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है तो उसमें एक झबेवाला तक नहीं जाता तफतीश के लिये और जहां यह देखता है कि मोटी रकम मिलने वाली है और किसी के नाम झूठी रपट लिख देनी है तो आदमी चाहे ५०० मील पर ही क्यों न हो और रपट मैनपुरी में दिखायी गई है और लिखाने वाला यह कहता है कि २४ घंटे के लिये यह आदमी जेल में चला जाय इसके लिये एक हजार रुपया मिलेगा तो वह आदमी जरूर जेल में चला जायगा यह काम उत्तर प्रदेश की पुलिस का रहा गया है ।

आपने इस वाकये को पढ़ा होगा कि पुलिस की कस्टडी में साढ़े १० बजे ४ मुलजिम हवालात से कोर्ट लाये जाते हैं अपने मुकदमे का निर्णय सुनने के लिये और वहां से सिर्फ १०० गज के फासले पर कचेहरी के कम्पाउन्ड में दिन के साढ़े १० बजे मोटर साइकिल पर तीन आदमी आते हैं और पुलिस की कस्टडी में चार आदमियों को गोली से मार कर मोटर साइकिल पर चले जाते हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पाते हैं । तीन तीन थानेदार मारे गये लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके, किसी को पकड़ नहीं सके । जब पुलिस थानेदारों के मारने वालों को नहीं पकड़ सकी तो साधारण जनता के मारने वालों को पुलिस क्या पकड़ेगी ? मैंने आनेबिल होम मिनिस्टर को लिख कर दिया । आई० जी० से बातचीत की पिछले तीन चार महीने का रिकार्ड देखें मुरादाबाद का । तीन चार महीने में आधे से ज्यादा समय में वहां का एस० पी० छुट्टी पर रहा । डी० एस० पी० है जो फोर्स्ड रिटायर होने जा रहे हैं । सारी फैमिली को ट्रान्सपोर्ट कर चुके हैं फारेन कंट्री को । खुद भी वहीं जाने वाले हैं । इसीलिये दोनों हाथों से रुपया खींच रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स से और थानेदारों से रुपया अलग तय है । लिहाजा तीन महीने में ला एंड आर्डर की हालत वह हो गयी जिसकी मिसाल ५४ जिलों में कहीं और नहीं मिलेगी ।

उसी दौरान इलेक्शन आ जाते हैं । तो वह एंटी सोशल एलीमेन्ट इलेक्शन के दौरान भिन्न-भिन्न दलों के कैंडिडेट्स की तरफ से लीडर बन जाता है और यह सारी खुराफात वहां होती है । अगर आप सिविल पुलिस को वहां बिलकुल खत्म कर दें तो आप एक एंटी सोशल एलिमेंट को वहां से हटा देंगे । उसका आल्टरनेटिव सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पी० ए० सी० के ५, ६ जवानों की टुकड़ी एक एक हफ्ते कभी इस एरिया में और कभी उस एरिया में घूमे ला एंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये और वहां जो भी क्रिमिनल घटनायें हों उस क्षेत्र का प्रधान अथवा चौकीदार अथवा मुद्दई लिख कर नीयरेस्ट ब्लाक को अथवा तहसीलदार को रिपोर्ट दे और उनका काम यह हो कि वह ए० पी० पी० के पास उस केस की इत्तला भेज दें और वह ए० पी० पी० दफा लगाये कि किस दफा में वह मुकदमा बनता है । थानेदार से यह अख्तियारात ले लेने चाहिये और यह दफा लेकर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाये । आज सारे करप्शन का कारण यह पुलिस बनी हुई है । जो कि काग्निजेबल को नान-काग्निजेबल और नान-काग्नि-

जेबल को काग्निजेबल कर देती है। अतः मैं चाहूंगा कि किसी प्राइवेट एजेन्सी के द्वारा या सी० आई० डी० के जरिये से आप इसकी इक्वायरी करायें और इस मामले को आगे बढ़ाये और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। इस बात के लिये एक कमीशन की भी नियुक्ति की जाय।

आज जो गवर्नर का भाषण हुआ है उसमें कम्परेटिवली यह जरूर कोशिश की गई है लेकिन उसमें वह चीज नहीं है जो आनी चाहिये थी। मिसाल के तौर पर हमने रबी १९६८ से सवा छः एकड़ तक की लगान माफी की घोषणा कर दी है और वह पास भी हो गया है किन्तु मैं उस दिन भी जब कि यह बिल पेश हुआ था उसी वक्त यह कह रहा था कि यदि आप ईमानदारी से लगान की माफी कराना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त से इस लगान की माफी के आदेश दे दें वरना जो अमीर है वे किसानों से पिछले दो-दो सालों का लगान वसूल कर रहे हैं उनको हैरेस किया जा रहा है जिसकी वजह से आज किसान बहुत परेशान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस बिल के पास हो जाने के कोई आर्डर अभी डिस्ट्रिक्ट अथारिटी को नहीं भेजे गये है जिसकी वजह से अमीर किसानों से पिछले साल की वसूलयाबी कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों अभी तक उस बिल के पास होने के आदेश जिला अधिकारियों के पास नहीं भेजे गये? यदि उन अमीरों से यह कहा जाय अब तो वह बिल पास हो गया है अब क्यों आप लगान की वसूली कर रहे तो वे कहते है कि अभी हमारे पास कोई सरकारी आदेश लगान माफी के नहीं मिले हैं। इसलिये मुझे शक है और माननीय बांके लाल जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि किन-किन मजबूरियों के साथ हमने यह सवा छः एकड़ का लगान माफ कराया है। कहीं ऐसा न हो कि यह मामला गड़बड़ घोटाले में पड़जाय। क्या वजूहात है जिसके कारण इसके आदेश अभी तक जिला अधिकारियों को नहीं मिले हैं?

श्रीमन्, जमीन के बंटवारे का सवाल है। इस बारे में कहा गया है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायेगी किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इसका प्रेक्टिकल आस्पेक्ट क्या होगा। जब तक आपने मठाधीश के जरिये से जिसके कि ट्रैक्टर चल रहे हैं उसके जमीन नहीं निकलवाई और उस पर अपना कब्जा नहीं किया और भूमिहीन को नहीं दिया तब तक क्या आप समझते हैं कि भूमिहीन को जमीन मिल जायेगी? यह असम्भव बात है? गैर मुमकिन बात है। यदि आप ईमानदारी के साथ भूमिहीन को जमीन देना चाहते हैं तो जाइये मौके पर और उस भूमिहीन की मदद कीजिये, उसकी समस्यायें हल कीजिये, उसको जमीन का कब्जा दिलवाइये। यदि आप उसको जमीन का कब्जा दिलायेंगे तभी सही मानों में हम यह कह सकते हैं कि आपने उस गरीब की मदद की है।

मान्यवर, यह बातें आपके सामने रखकर मैं यह समझता हूं कि जो बातें गवर्नर के भाषण में लिखी हुई हैं उन सभी बातों को पूरा करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाना चाहिये और जो सबसे बड़ी परम आवश्यक चीज है वह यह है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं चाहे वे हिन्दू राष्ट्र विरोधी तत्व हों या चाहे वे मुसलमान विरोधी तत्व हों उनके खिलाफ इन्क्वायरी कराकर इन को रोकने का शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाया जाय और एक कमीशन बैठाया जाय। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जैसा कि आप आज सुन रहे हैं कि तेलंगाना प्रजा समिति कह रही है कि हमको अलग सूबा दो दूसरी समिति कहती है कि हमारा अलग सूबा बनाया जाय उसी प्रकार आपका जो यह प्रदेश है जिसमें कि ८ करोड़ जनता निवास करती है, देश के अन्य सूबों में सबसे बड़ा है और आपका यह सदन भी सबसे बड़ा है उसमें राष्ट्र विरोधी तत्व उनको न पनपने दें अ.र इस प्रदेश को आगे बढ़ने दिया जाय। इसके लिये आपको सोचना होगा। इसकी तरफ ध्यान देना होगा, मजबूती की तरफ चलना होगा। यह बात कह करके, मैंने जो अमेंडमेंट दिये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरनारायण। एक दो मिनट आज बोल, लीजिये, बाकी कल कहियेगा।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो चूंकि एक मिनट का समय आज है, एक ही बात कहूंगा। इस समय कुर्सी बचाने के लिए इधर के लोग डटे हुए हैं और उधर के लोग हवा दिखाकर के लोभ दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कपूर होटल में भी बुलाया जाता है और वहां बैठ करके क्या किया जाता है। इस प्रकार की भावनाओं को दिखा करके इस एम० एल० ए० के मान को घटाया जा रहा है और कहा जा रहा है, लालच दिलाया जा रहा है कि इधर आ जाओगे तो यह हो जावोगे। परन्तु अगर यहां से भी वहां चले गये तब भी कहीं के नहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि वहां बैठे रहे तो हवा लग जायगी लेकिन यह सब कहने की बातें हैं। मैं इस मौके पर ज्यादा न कह करके एक ही बात कहूंगा कि हमारे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रामधारी जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करूंगा। क्योंकि कल के लिए समय दिया है तो कल आपके समक्ष पूरे तौर से कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल ११ बजे दिन तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ मार्च, १९७१ ॥

नत्थी (क)

[देखिये नियम ३८ (२) के तां० प्र० १ का उत्तर पीछे पष्ठ ४० पर]

सीतापुर जनपद में वर्ष ६७–६८, ६८–६९ तथा ६९–७० तक में हुई अनयमितताओं का विवरण

क्रम संक	बीज भंडार का नाम	कर्मचारी का नाम	गबन/हानि की धनराशि	अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
१	२	३	४	५
			रू०	
१—१९६७–६८	महोली बीज भंडार	श्री जे० पी० चतुर्वेदी, वर्ग दो	२२५०.६१	इस हानि के लिये दोषी पाए गए कर्मचारी श्री जे० पी० चतुर्वेदी को आरोप पत्र दिया गया जिसका उत्तर हाल ही में प्राप्त हुआ है अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायगा ।
२—१९६८–६९	लहरपुर बीज भंडार	श्री हरपाल सिंह, वर्ग तृतीय	१४,१६७.००	इस हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारी श्री हरपाल सिंह को निलम्बित कर दिया गया है एवं विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

१	२	३	४	५
			रु०	
३—१९६९-७०	(अ) बिसवां बीज भंडार	श्री दीप चन्द्र शर्मा, वर्ग तृतीय ।	२,२५,१०१.३६	इस गबन के लिए दोषी कर्मचारी श्री दीप चन्द शर्मा को निलम्बित किया जा चुका है एवं विभागीय कार्यवाही जारी है ।
१९६९-७०	(ब) गोवरधनपुर बिक्री केन्द्र	श्री राजेन्द्र सिंह, बिक्री केन्द्र प्रभारी ।	५,५०६.१८	इस हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारी श्री राजेन्द्र सिंह को निलम्बित किया जा चुका है तथा अग्रिम विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।
४—१९७०-७१	महाराज नगर बीज भंडार	श्री नरायन सिंह, प्रभारी व आर० सी० मिश्रा, ग्राम सेवक ।	३६००.००	इसकी विभागीय जांच जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर को सौंप दी गई है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।
५—१९७०-७१	सिधौली जीव भंडार	श्री हर पाल दत्त शर्मा, वर्ग दो	१,८८,२७३.९३	इस गबन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी श्री हरपाल दत्त शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है तथा प्रथम सूचना पुलिस में दी जा चुकी है और साथ ही जांच जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर को सौंपी गयी है ।

नत्थी 'ख'

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन जो उपस्थित किये हुए माने गये

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
१	श्री राम गोपल सन्ड	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

१—इलाहाबाद नगर या अन्य बड़े नगरों में मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए इस वर्ष कम से कम ५-५ हजार नये मकान बनवाये जायेंगे । उन्हें छोटे दुकानदारों, अध्यापकों, कर्मचारियों को बिना लाभ के दिया जायगा ।

२—प्रदेश रोजगार से दफ्तरों में जिन स्नातकों के नाम लिखे हैं उन्हें जब तक नौकरी न मिले, १०० रुपये का मासिक बेकारी भत्ता दिया जायगा ।

३—प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित विद्युत् योजनाओं के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा किया जायगा ।

४—राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई-भत्ता दिया जायगा ।

५—डिग्री कालेज के अध्यापकों को समान वेतन-क्रम दिया जायेगा ।

६—माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को सरकारी खजाने से पहली अप्रैल से वेतन दिया जायगा, एवं उन्हें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समान महंगाई-भत्ता दिया जायगा ।

७—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कम से कम १५० रु० मासिक दिया जायगा ।

८—पंचायत मंत्रियों को कम से कम १२० रु० मासिक वेतन दिया जायगा ।

९—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जायगा ।

१०—गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों का अवकाश के समय का सिटी एलाउन्स (सी-ए) नहीं काटा जायगा ।

११—इलाहाबाद के मेडिकल कालेज में २५० शय्यायें और बढ़ायी जायेंगी ।

१२—सन् १९६६ एवं १९६७ के निलम्बित राज्य कर्मचारियों को पुनः रखा जायगा ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
२		१३—बिक्री कर को समाप्त कर उत्पादन कर-लगाया जायगा । १४—हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त मध्यमा और साहित्य रत्न की उपाधियों को बी०ए० और एम० ए० के समान माना जायगा । १५—प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी० टी० सी० यच० की डिग्री को राष्ट्र स्तरीय मान्यता प्रदान की जायगी । १६—प्रयाग को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जायगा । १७—इलाहाबाद का नाम बदल कर "प्रयाग" किया जायगा । १८—इलाहाबाद मेडिकल कालेज के नाक, कान और गले के विभाग में एक प्रोफेसर का पद और दो अतिरिक्त रीडर के पदों का सृजन किया जायगा । १९—प्रदेश के विद्यालय कर्मचारियों के लिये नया वेतन क्रम निर्धारित किया जायगा । २०—प्रयाग विश्वविद्यालय का सालाना अनुदान १० लाख रुपया बढ़ाया जायेगा ।
३	श्री पारस नाथ सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कोई समुचित व्यवस्था की घोषणा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योग विकास की कोई समुचित योजना प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं किया है ।
४	श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है : १—राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) को जिला बनाया जायगा । २—नगवा वघरोल बांध में तथा अमौली बांध में सोन नदी से लिफ्ट द्वारा पानी उठाकर भरा जाय जिससे जनपद मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी की अधिकतम भूमि सींची जाय । ३—परगना अगौरी व विजयगढ़ तहसील राबर्ट्सगंज की नजरी नक्शा गैर पैमाइशी क्षेत्र में रिकार्ड आपरेशन द्वारा एकाएक निकाली गयी वर्ग ४ भूमि का सेटिलमेंट कराकर काश्तकारों को उक्त भूमि पर सीरदार घोषित किया जायगा। ४—राबर्ट्सगंज में डिग्री कालेज तथा कोन ब्लाक चोपन में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की जाय ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		५--राबर्ट्सगंज में महिला अस्पताल ढोसरा ब्लाक चतरा तथा नेवारी ब्लाक चौपन में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाय।
		६---चौपन कोटा कौन विन्ढमगंज सड़क का पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण कराया जाय तथा राबर्ट्सगंज व सेनी व रानीडीह, सलखम से बसुहारी एवं ओवरा से सिल्की कोरठ सोन किनारे तक सड़क निर्माण करायी जाय। राबर्ट्सगंज अन्तर्गत कनहर नदी पर कोटा के पास तथा दुद्धी के पास दुद्धीघाट के कनहर नदी पर एवं पांडु नदी पर कोन के पास पुल निर्माण कराया जाय।
		७---सूखा ग्रस्त क्षेत्र जनपद मिर्जापुर में गत वर्षों के भीषण सूखाकाल में सूखा एवं सहायतार्थ दी गई सरकारी रकम माफ कर दी जाय और तकावी ऋण व सरकारी समितियों की बकाया रकम का ब्याज माफ कर आसान किस्तों में वसूल किया जाय।
		८---राबर्ट्सगंज एवं चौपन जैसे पिछड़े क्षेत्र में मास्टर प्लान न लागू की जाय।
		९---राबर्ट्सगंज में पेपर मिल खोला जाय तथा गुरूमा खदान में कन्ट्रैक्ट सिस्टम समाप्त किया जाय। राबर्ट्सगंज के कोन क्षेत्र, चुर्क बाजार, चौपन ब्लाक तथा ब्लाक चतरा क्षेत्रों में बिजली दी जाय।
५	श्री विजय बहादुर सिंह	खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्न विषयों का समावेश नहीं है --
		(१) बेकारी, बेरोजगारी एवं गरीबी त्रस्त प्रदेश की जनता के लिये क्रान्तिकारी आर्थिक योजना जो कि समय एवं क्रमबद्ध हो।
		(२) शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद एवं पक्षपात का उन्मूलन होना चाहिये।
		(३) राज्य कर्मचारी एवं प्राइमरी तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का वेतन स्तर केन्द्रीय स्तर के कर्मचारियों के वेतन एवं मंहगाई के स्तर पर कर दिया जाय।
		(४) बेकारों को काम दो या बेकारी के भत्ता के सिद्धान्त के अनुकूल योजनाबद्ध कार्य तत्काल शुरू कर देना चाहिये।
६	श्री नित्यानन्द स्वामी	प्रस्ताव में निम्न जोड़ दिया जाय---
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में---
		(१) राज्य कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान करने का आश्वासन नहीं है,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(२) राज्य कर्मचारियों, स्वायत्त शासन के कर्मचारियों तथा अध्यापकों की अन्तरिम राहत की बात तो स्वीकार की गयी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी राहत और कब से दी जावेगी ।

(३) अध्यापकों व स्कूल कर्मचारियों का चेक द्वारा भुगतान किये जाने की घोषणा में यह सम्मिलित नहीं है कि पूरे वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

(४) प्राइमरी अध्यापकों की न्यूनतम १५० रु० मासिक वेतन देने की घोषणा नहीं की गई है।

(५) बिजली कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई ।

(६) छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिये बिक्री-कर को एक सूत्री एवं सरल बनाने की ओर कोई कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई ।

(७) घनी बस्तियों से आबकारी की दूकानों को बाहर हटाने की कोई घोषणा नहीं की गई।

(८) उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में किये जाने की घोषणा नहीं की गई ।

(९) हाई कोर्ट की बेंच देहरादून या मेरठ में स्थापित करने का आश्वासन नहीं दिया गया ।

(१०) विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी की नीति का उल्लेख नहीं किया है ।

(११) देहरादून जैसे पर्वतीय पर्यटन केन्द्र में पूर्ण मद्य निषेध करने की घोषणा नहीं की गई है।

(१२) मंहगाई कम करने तथा जिन आवश्यक पदार्थों जैसे मिट्टी का तेल, डालडा, टायर-ट्यूब आदि के समुचित न्याय संगत वितरण की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा गया ।

(१३) प्रदेश में अराष्ट्रीय तत्वों की गतिविधियों को रोकने, उनके प्रचार के साहित्य, सिनेमा तथा समाचार पत्रों पर नियन्त्रण करने की कोई योजना नहीं बतायी गई ।

(१४) हरिजन बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क व स्कूलों के विकास एवं सुधार के लिये कोई घोषणा नहीं की गई है।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(१५) लाखों बेकार युवकों के लिये नगरों व ग्रामों में काम के द्वार खोलने की ओर कोई ठोस योजना नहीं रक्खी गई, न ही छोटे-छोटे बिजली द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों का ग्रामों में विकास करके बेकारी को हल करने का कोई प्रयास किया गया है।
७	चौधरी रामपाल सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर प्रकाश नहीं डाला :— १—हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य किया जायगा। २—प्रौढ़ शिक्षा योजना चालू कर प्रदेश के सभी नागरिकों को ५ वर्ष के भीतर शिक्षित किया जायगा। ३—बेकारों को काम या बेकारी का भत्ता दिया जायगा। ४—वन विभाग की पड़ी बेकार भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरित किया जायगा। ५—प्रदेश की नट, कंजर, बंजारा, जोगी जातियों को जीविका का साधन देकर बसाया जायगा। ६—परती बंजर भूमि को पट्टे पर देने तथा भूमि सेना की मदों करके अन्न उत्पादन बढ़ाए जाने की योजना बनाई जायगी। ७—सवा छः एकड़ तक की अलाभकर भूमि को सिंचाई रेट आबपाशी से मुक्त किया जायगा। ८—प्रदेश की सभी शहर की पटरियों को पक्का करा कर सड़क बना दिया जायगा। ९—१५० रु० कम से कम १,५०० रु० ज्यादा से ज्यादा आमदनी और खर्च की सीमा निर्धारित की जायगी।
८	श्री रियासत हुसैन, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया — (क) अधिकतम जोत सीमा का ब्यौरा नहीं दिया गया। (ख) सवा छः एकड़ तक की जोतों के लगान की मुक्ति जो रबी १३७८ फसली से की गई है उसकी कोई सूचना जिला अधिकारियों को नहीं भेजी गई।

कम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(ग) प्रदेश में उर्दू भाषा को तरक्की देने का कोई उल्लेख नहीं है।
		(घ) प्रदेश में बढ़ते हुए जरायम को रोकने के लिये किसी ठोस कदम का उल्लेख नहीं है।
		(च) प्रदेश में बढ़ती हुई फिरका-परस्ती को रोकने और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर उनको दबाने के लिये किसी कमीशन की स्थापना का उल्लेख नहीं।
		(छ) चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं।
६	श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित संशोधन जोड़ दिया जाय —
		किन्तु खेद का विषय है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है —
		१—उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ने का दाम किसानों का १९६९–७०, १९७०–७१ बकाया है।
		२—घाघरा नदी पर अयोध्या में पुल निर्माण हो जाने के कारण घाघरा नदी के बाढ़ से भयंकर कटान चालू रहती है जिसके कारण बस्ती जिला के ग्राम रानीपुर, बाघानाला, विक्रमजोत, पकड़ी ग्राम, दुधौरा, आशाकिता अव्वल, कटरिया, दुबौलिया बाजार, कलवारी तथा खलीलाबाद तहसील के सैकड़ों गांवों की कई हजार एकड़ जमीन तथा हजारों घर प्रतिवर्ष कट कर घाघरा नदी के गोद में चला गया है परन्तु घाघरा नदी में पत्थर के ठोकर लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है।
		३—घाघरा नदी से कटे हुये गांवों के लोगों को बसाने तथा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है।
		४—चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में मन्त्रि परिषद् द्वारा निर्मित उपसमिति द्वारा प्रतिवेदन करने की अवधि और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जायगा।
		५—हर खेत को पानी तथा हर गांवों में बिजली देने की योजना।
		६—प्रदेश के विभिन्न विभागों में फैले हुये भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिये किसी आयोग की नियुक्ति।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		७—राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी हरदुआगंज, ओबरा, पनकी आदि विद्युत् गृह प्रदेश के अन्य भागों में भूख हड़ताल, आकस्मिक अवकाश, हड़ताल करने का मूल कारण कि वजबोड की सिफारिशें राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नहीं लागू किया गया है।
		८—पूर्वी जिला तथा बुन्देलखंड के विकास हेतु निश्चित रूप पर पिछड़ेपन को दूर करने हेतु निश्चित धनराशि के साथ कमेटी का निर्माण।
		९—बस्ती जिले के हर्रैया, बस्ती, खलीलाबाद, नौगढ़, डुमरियागंज तथा बांसी तहसील के बाढ़ की रोक-थाम करना।
		१०—बस्ती जिले की छः तहसीलों में सड़कों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार, पिछड़े क्षेत्र में अस्पताल एवं शिक्षा की व्यवस्था।
		११—प्रदेश में बढ़ती हुई गन्डागर्दी तथा अराजकता की रोकथाम।
६	श्री गोविन्द सिंह तथा श्री सजीवन लाल।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—
		१—लोक सभा के मध्यावधि चुनाव का तो जिक्र किया है लेकिन इस चनाव में संविद में सम्मिलित दलों की अभूत-पूर्व पराजय को देखते हुये और मनिराम के चुनाव में जनता द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किये जाने पर भी उनके सरकार में बने रहने पर खेद प्रकट नहीं किया।
		२—पर्वतीय अंचल व अन्य पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक विषमता का तो जिक्र किया परन्तु इन क्षेत्रों के विकास के लिये किसी ठोस कार्य-क्रम की घोषणा नहीं की।
		३—जिला टेहरी-गढ़वाल में टिहरी नगर के निकट भागीरथी पर राकफिल बांध बनाने की बात तो कही है परन्तु उस क्षेत्र की जनता के पुनर्वास की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।
		४—राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों व शिक्षा तथा प्राविधिक संस्थाओं के बारे में वेतन आयोग गठित करने का तो जिक्र किया है लेकिन अन्तरिम वेतन व भत्ते की वृद्धि की घोषणा नहीं की।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		५——मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों व कमचारियों को उनक समकक्ष राजकीय अध्यापकों व कर्मचारियों के बराबर वेतन व भत्ता देने की घोषणा नहीं की। ।
		६——लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में हरिजनों व अल्पसंख्यकों पर आतंक किया गया है उसकी जांच करने के लिये किसी जांच आयोग के गठन की घोषणा नहीं की।
		७——खेती की भूमि पर जोत की सीमा कम करने की घोषणा नहीं की है और न ही शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निश्चित किये जाने की घोषणा की है।
१०	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में यह बढ़ा दिया जाय कि——
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में माननीय मुख्य मन्त्री जी के मनीराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव में पराजित होने का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही श्री राज्यपाल ने श्री टी० एन० सिंह के मुख्य मन्त्री पद पर आसीन रहने के औचित्य पर कोई प्रकाश डाला।
		श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लोक सभा के निर्वाचन शान्तिमयपूर्वक सम्पन्न होने पर सन्तोष तो व्यक्त किया है किन्तु वर्तमान मन्त्रि-परिषद् के ६ सदस्यों की पराजय के पश्चात् आज भी उनके मन्त्रिपद पर बने रहने का कोई उल्लेख नहीं किया।"
११	श्री चेतराम गंगवार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ——
		किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में——
		१——आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाहों में बराबरी लाने अर्थात् कम से कम और अधिक से अधिक राशि की दर निश्चित करने की घोषणा नहीं की।
		२——प्रदेश भर में परिवार नियोजन की तरह एक ग्राम से दूसरे ग्राम की घोषणा नहीं की।
		३——नगर की तरह देहातों में हर ब्लाक स्तर पर सरकारी ब्लाक एवं बालिका इन्टर कालेज तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल की व्यवस्था की घोषणा नहीं की।
		४——खेतों से होने वाली उपज के मूल्यों की लागत के अनुसार अधिक से अधिक स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा नहीं की।
		५——प्रदेश के शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने की कोई घोषणा नहीं की।

यू० पी०——ए० पी० २० एस० ए०—१९७१——८४५ (मैंग०)।